कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 62 अंक : 04 पृष्ठ : 52 फरवरी 2016 मूल्यः ₹ 10

ग्रामीण संपर्क के नए आयाम

प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रपति भवन शृंखला की पुस्तकों का विमोचन

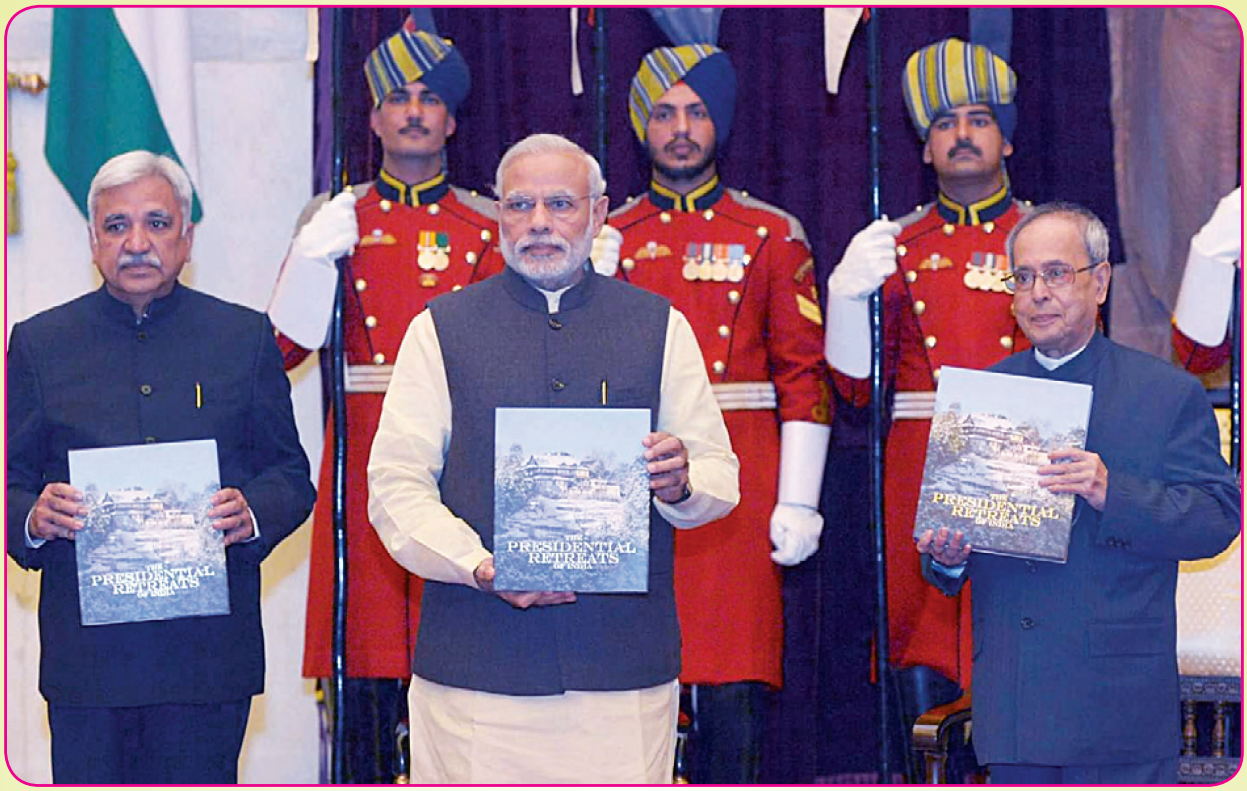

माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री सुनील अरोड़ा

माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन शृंखला के भाग के रूप में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों 'दि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स ऑफ इंडिया' तथा 'सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ दि प्रेसिडेंट–प्रणब मुखर्जी (वॉल्यूम 3)' का विमोचन 11 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन में किया। प्रधानमंत्री ने दोनों पुस्तकों की पहली प्रतियां माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भेंट की।

माननीय राष्ट्रपति को सेलेक्टेड स्पीचेज (वॉल्यूम–3) की पहली प्रति भेंट करते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स कॉफी टेबल बुक है, जिसमें शिमला के निकट मशोरबा में प्रेसिडेंशियल रिट्रीट्स और सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम के इतिहास, वास्तुकला एवं अन्य पक्षों का विवरण दिया गया है। पुस्तक में विश्राम स्थल की परंपराओं तथा आंतरिक बनावट की जानकारी दी गई है, जहां राष्ट्रपति विश्राम तथा आत्मचिंतन करने भी आते हैं और भारत के विभिन्न भागों से मिलने के लिए भी आते हैं।

सेलेक्टेड स्पीचेज (वॉल्यूम–3) उन महत्वपूर्ण भाषणों के संग्रह का तीसरा खंड है, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न अवसरों पर दिए। इन 92 भाषणों में विभिन्न विषयों के प्रति राष्ट्रपति की गहन जानकारी भी झलकती है और इन क्षेत्रों में हमारे देश को कहां होना चाहिए, इसकी दृष्टि भी झलकती है।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 62★ मासिक अंक : 04★ पृष्ठ : 52 ★माघ–फाल्गुन 1937★फरवरी 2016

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल

संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 24365925
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना

सज्जा
आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

परिवहन और संचार सुविधाएं ग्रामीण विकास की धुरी — प्रभाष झा — 5

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गांवों का बदलता चेहरा — प्रभांशु ओझा — 10

मोबाइल क्रांति ने दी ग्रामीण विकास को नई दिशा — डॉ. नीरज कुमार गौतम — 14

मेक इन इंडिया से बदलेगी गांवों की तकदीर — सतीश सिंह — 20

सूचना तकनीक से गांवों में उद्यमिता का नया माहौल — बालेन्दु शर्मा दाधीच — 25

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना — अरविंद सिंह — 28

गांवों को जोड़ते विकास के नए रास्ते — प्रमोद जोशी — 31

ग्रामीण शिक्षा: गतिशीलता से ज्ञान की ओर — राजेंद्र रवि — 35

किसानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की चुनौतियां — गिरेन्द्रनाथ झा — 39

राष्ट्रीय जुड़ाव में ग्रामीण पर्यटन का योगदान — डॉ. सुरेन्द्र कटारिया — 42

बेहतर परिवहन, बेहतर सुविधाएं — अमित त्यागी — 45

सौर ऊर्जा ने गांववासियों की जिंदगी की आसान — भारत डोगरा — 49

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर ले। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

महानगरों, नगरों, कस्बों और गांवों की परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण मानक उनका सम्पर्क सूत्र है। कुछ शहर देखते ही देखते महानगरों में तब्दील हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी कनेक्टिविटी। सड़क, रेललाइन, टेलीफोन लाइन, मोबाइल, बिजली–पानी और अब इंटरनेट इस संपर्क के बुनियादी मापदंड हैं। इनके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं भी जुड़ी हैं।

मानव विकास का इतिहास साक्षी है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में परिवहन की जितनी बड़ी भूमिका होती है उससे कम महती भूमिका संचार–सूचना की नहीं रही है। विज्ञान, तकनीकी और समाज का प्राचीनकाल से ही सामंजस्य रहा है। आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने मार्शल मैकलुहान की 'वैश्विक गांव' की परिकल्पना' को साकार कर दिया है।

गांव–गांव सड़कें पहुंच गई हैं या पहुंच रही हैं और आधारभूत सुविधाओं का लगातार विकास हो रहा है जिससे किसी न किसी रूप में खुशहाली लौट रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, संचार, शिक्षा, रोजगार आदि के साधन बढ़ रहे हैं। लोग आज कई ऐसी सुविधाओं का गांवों में ही उपयोग कर रहे हैं जिनके लिए पहले शहर आना मजबूरी था।

गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों (मुख्य रूप से सड़कों) से जहां सुविधाओं का विस्तार हुआ, वही इसने रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं और ग्रामीणों की आय बढ़ी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण पर 10 लाख के निवेश पर करीब 163 लोग गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। इस आर्थिक सशक्तीकरण का सामाजिक आयाम भी है। लोगों का जीवन–स्तर सुधर रहा है और वे अपने बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्च करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं।

आज भारत का कुल सड़क नेटवर्क लगभग 46 लाख किलोमीटर है जिसमें ग्रामीण सड़कें 26 लाख किमी. हैं। सड़क विकास योजना विज़न 2021 के तहत अब 100 से ज्यादा जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जोड़ते हुए नियोजित ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण सड़कों का विस्तार होने से सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन पर असर पड़ा है। बच्चों और खासतौर पर बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्कूलों के अलावा अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, खेतों तक पहुंच बेहतर हुई है। किसानों में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बेहतर बीज और खादों की उपलब्धता भी बढ़ी है।

बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में बाज़ारों का विस्तार होने और बाजार तक व्यापारियों की पहुंच बढ़ने से उपभोक्ता सामग्री का उपयोग भी बढ़ा हैं। बेहतर संपर्क से स्थानीय कारीगरों को भी काम मिलता है। साथ ही, यदि स्थानीय कौशल से बेहतर उत्पाद तैयार हो सकें तो उसके लिए बाहरी पूंजी निवेश भी बढ़ता है। कुल मिलाकर बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं।

आज देश में करीब पांच लाख गांवों में टेलीफोन नेटवर्क है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2015 तक भारत में एक अरब से ज्यादा फोन उपभोक्ता (लैंडलाइन और मोबाइल) थे। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के करीब 42 करोड़ थे, यानी 58 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता शहरी क्षेत्र के थे। एक अनुमान के अनुसार भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिसंबर 2015 तक 40 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है जिसमें 11 करोड़ 75 लाख के करीब ग्रामीण उपभोक्ता हैं। इन 40 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 30 करोड़ तो मोबाइल पर सर्फिंग करते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले महज 10 करोड़ उपभोक्ता हैं। ये आंकड़े गांवों में आ रहे बदलाव की कहानी बयां करने के लिए पर्याप्त हैं।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत की ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से महरूम है। हालांकि सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार ने अपने विशेष प्रयासों से इलेक्ट्रानिक मीडिया माध्यमों की उपयोगिता को भी एक बाद फिर से स्थापित कर दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होने वाले अपने संबोधन 'मन की बात' से इस दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने अपने इस कदम से भारत में ग्रामीण विकास में कालांतर से बड़ी भूमिका निभा रहे रेडियो जैसे माध्यम की वर्तमान में प्रासंगिकता को स्वीकारा और यह संदेश भी दिया है कि सरकार ग्रामीण आबादी की चिंताओं और मुद्दों के प्रति पूरी तरह सचेत है। ठीक इसी तरह सरकार ने किसानों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए डीडी किसान चैनल शुरू कर बड़ी पहल की है।

सूचना क्रांति ने हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। तकनीकी तौर पर इसकी झलक संचार के नित नए विकसित हो रहे माध्यमों में मिल जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरनेट इन नए माध्यमों का केंद्रबिंदु है। सूचनाओं का आदान–प्रदान और उन्हें पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा देना अब बेहद आसान हो चुका है। हाल ही में तमिलनाडु में एक अनूठा प्रयोग हुआ। सरकार ने, 30.42 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों में से जिन 14 लाख पीड़ित परिवारों के आंकड़े कम्प्यूटराइज्ड थे, उनके बैंक खातों में राहत राशि के सात करोड़ रुपये एक दिन में ही पहुंचा दिए। संचार क्रांति का यह एक बेहतरीन उदाहरण है।

"डिजिटल इंडिया" के अंतर्गत प्रधानमंत्री का स्वप्न देश के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की विशाल दुनिया से जोड़कर ग्लोबल बनाने का है। एक उद्देश्य सबको सशक्त बनाने का और उन बेजुबानों को आवाज देने का है जिनकी बात की पहुंच सीमित रही है। कुल मिलाकर "डिजिटल इंडिया" सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका न सिर्फ सामाजिक पहलू है बल्कि व्यावसायिक पहलू भी है। इसके जरिए सरकार की मंशा गांव के उस युवा को भी राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की है जो अपने सामान को पड़ोस वाले शहर तक ले जाने में भी असमर्थ था।

परिवहन और संचार सुविधाएं ग्रामीण विकास की धुरी

—प्रभाष झा

मानव विकास का इतिहास साक्षी है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में परिवहन की जितनी बड़ी भूमिका होती है, उससे कम महती भूमिका संचार-सूचना की नहीं रही है। विज्ञान, तकनीकी और समाज का प्राचीनकाल से ही सामंजस्य रहा है। आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने तो मार्शल मैकलुहान के 'वैश्विक गांव' की परिकल्पना को साकार कर दिया है। ऐसे में आज यह सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे गांवों को भी सूचना और संचार की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। अध्ययनों से पता चलता है कि वायरलैस ब्राडबैंड कनेक्शन ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे उत्पादकता और रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही जीडीपी को आगे ले जाने में भी सहायक साबित हो रहा है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि भारत गांवों में बसता है और जब तक ये विकसित नहीं होंगे, देश का समावेशी विकास नहीं होगा। 'सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम् शस्य श्यामलाम् मातरम्' कह कर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने जो तस्वीर लोगों के दिलो–दिमाग में उकेरने की कोशिश की थी, वह भी भारत के ग्रामीण स्वरूप को ही प्रदर्शित करती है। हालांकि, महात्मा गांधी के स्वप्न और साहित्यिक उपमाओं से इतर तथ्य अब से कुछ साल पहले तक यह रहा है कि शहर स्मार्ट होते जा रहे हैं और गावों में विकास की अपेक्षाएं उपेक्षा की शिकार हो रही हैं। नगरों में सुविधाओं के प्रसार पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जबकि गांव लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।

इसके बावजूद सामाजिक और आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत गांवों का महत्व आज भी उतना ही है, जितना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के मुताबिक, 1951

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बदली गांवों की तस्वीर

गांव–गांव सड़कें पहुंच गई हैं या पहुंच रही हैं और आधारभूत सुविधाओं का लगातार विकास हो रहा है, जिससे किसी न किसी रूप में खुशहाली लौट रही है। ग्रामीण इलाके में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, संचार, शिक्षा, रोजगार आदि के साधन बढ़ रहे हैं। लोग आज कई ऐसी सुविधाओं का गांवों में ही उपभोग कर रहे हैं, जिनके लिए पहले शहर आना मजबूरी होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों (मुख्य रूप से सड़कों) से जहां सुविधाओं का विस्तार हुआ, वहीं इसने रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं और ग्रामीणों की आय बढ़ी है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पक्की सड़कों से है, उन क्षेत्रों में सन् 2000 से 2009 के बीच आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण में 10 लाख के निवेश पर करीब 163 लोग गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। यह आर्थिक सशक्तीकरण का सामाजिक आयाम भी है। लोगों का जीवन–स्तर सुधर रहा है और वे अपने बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्च करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं।

इन बदलावों को हम अलग–अलग भौगोलिक परिस्थितियों के उदाहरणों से नीचे समझने की कोशिश करेंगे। दोनों उद्धरण विश्व बैंक की रिपोर्ट से लिए गए हैं। राजस्थान में कम बारिश की वजह से खेती भगवान भरोसे ही होती है, ऐसे में बहुत से किसान डेयरी का काम करके गुजारा करते हैं। सड़क बनने से बदलाव यह आया है कि दूध संग्रह करने वाली गाड़ियां अब उनके दरवाजे तक पहुंचने लगी हैं। उदयपुर के ग्रामीण इलाके में रोड बनने से लोगों का जीवन–स्तर उठ गया है। बीड गांव में राज्य के सहकारी दूध ब्रांड सरस ने दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी का गठन कर दिया है और कोल्ड स्टोरेज टैंक उपलब्ध करा रहा है। इससे लोग अब अपने गांव में ही दूध जमा करवा पा रहे हैं। पहले लोगों को अपनी पीठ पर दूध का बर्तन लादकर मेन रोड तक ले जाना पड़ता था और कई बार खराब मौसम की वजह से ग्रामीणों को देर हो जाती थी और दूध संग्रह करने वाली गाड़ी निकल जाती थी। सड़क सुविधाओं के बेहतर होने का एक बहुत बड़ा फायदा ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, खासकर लड़कियों की। विश्व बैंक की फीचर रिपोर्ट में जयपुर जिले के एक गांव का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पहले बारिश होने या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की स्थिति में ग्रामीण बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते थे क्योंकि कीचड़ होने या कच्ची सड़क पर धूल भरी आंधी की वजह से शिक्षकों का भी ऐसे दिनों में स्कूल तक पहुंचना मुश्किल रहता था। अब तस्वीर बदल गई है। सड़क की वजह से गांव से बस चलने लगी है और अब शिक्षक समय पर स्कूल आते हैं। यहां के एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि पिछले एक साल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से 60 प्रतिशत लड़कियां हैं।

बदलाव की दूसरी कहानी मिजोरम से है। रेल, जलमार्ग या हवाई संपर्क की गुंजाइश न होने की वजह से मिजोरम के अंदरूनी हिस्सों के विकास के लिए अच्छी सड़कों का महत्व वहां रहने वाले ही जानते हैं। एक जमाने में मिजोरम की राजधानी आइजॉल से राज्य के दूसरे बड़े शहर लुंग्लेई तक जाने वाली सड़क गड्ढ़ों से भरी होती थी और लोगों के भूस्खलन की चपेट में आने की आशंका बनी रहती थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, अब काफी चौड़ी और कहीं ज्यादा सुरक्षित सड़क बन चुकी है और रास्ता 235 किलोमीटर से घटकर 164 किलोमीटर ही रह गया है। नई सड़क से मिजोरम के उपजाऊ एवं दूरदराज के इलाके पहुंच के भीतर आ गए हैं और नए उद्यमों की स्थापना के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। थेन्जॉव्ल के बुनकरों को अपना माल बेचने के लिए अब अपने ही नगर में बाजार मिल जाता है। खेती और जमीन पर निर्भर रहने वाली राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनता को अब अपनी फसलें बेचने के लिए नए–नए बाजार मिल रहे हैं। पहले लोग जानवरों के जरिए पहाड़ी रास्तों पर माल ढोया करते थे और मानसून की भारी बारिश के दौरान ढलानों पर फिसलन रहने से कहीं आना–जाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए किसान केवल एक मानसूनी फसल बोते थे। अब वे सर्दियों में दूसरी फसलें भी उगाते हैं। यही नहीं, कारोबार की पहले से अच्छी संभावनाओं की वजह से जमीन के दाम भी बढ़ गए हैं।

में शहरी/ग्रामीण आबादी का अनुपात 17/83 था। इसके 60 साल बाद 2011 की जनगणना में शहरी/ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 31/69 था। यानी भारत की कुल 1.21 अरब जनसंख्या में से 83.3 करोड़ गांवों में और 37.7 करोड़ शहरों में बसती है। जाहिर है ढांचागत और जीवनयापन की सुविधाओं के मामले में जमीन–आसमान के अतंर के बावजूद शहरों की तुलना में अभी भी गांवों में रहने वालों की संख्या करीब सवा दो गुनी है और इनके विकास के बिना देश के विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 70 प्रतिशत गरीबों की आय और रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि है। स्पष्ट है कि कृषि और किसानों की दशा और दिशा सुधरे बिना गांवों में विकास का कोई भी मॉडल सफल नहीं हो सकता। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि गांवों का विकास करना है तो खेतीबाड़ी पर ध्यान देने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार भी इन तथ्यों से भलीभांति परिचित है, इसलिए उसकी कार्यसूची में खेतीबाड़ी के तौर–तरीकों को उन्नत करना निरंतर शीर्ष पर है। गांवों में अवसर और उन्नति के नए दरवाजे शहरों और बाजारों से सुगम संपर्क और आवागमन की सुलभ सुविधा से ही खुलेंगे। इसलिए परिवहन और संचार की सुविधाएं ग्रामीण विकास की धुरी हैं। गांव हो या शहर, जब तक वहां सड़कें नहीं होंगी तब तक विकास को गति नहीं मिलेगी और जब तक सूचना एवं संचार की तकनीक की जानकारी और सुविधा नहीं होगी तब तक सेवाओं और उत्पादों का डिलिवरी सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता है।

देश के विकास में सड़क नेटवर्क की आवश्यकता को समझते हुए नागपुर योजना (1943–61) के तहत योजनाबद्ध तरीके से सड़कों के निर्माण की पहल की गई थी। आजादी के बाद से ही तमाम सरकारों ने सभी श्रेणियों की सड़कों का निर्माण करके देश में सड़कों का घनत्व बढ़ाने के लिए पर्याप्त जोर दिया। इसके बावजूद भारत की भौगोलिक विविधता और विशाल स्वरूप की वजह से सन् 2000 तक देश के 40 प्रतिशत गांवों में सभी मौसमों में चालू रहने वाली सड़कें नहीं थीं। इसकी वजह से जहां आर्थिक गतिविधियां बाधित होती थीं, वहीं इन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति में भी काफी कठिनाई होती थी और भारतीय ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से जुड़ाव संभव नहीं हो पा रहा था। ग्रामीण विकास में सड़कों के महत्व को देखते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देशभर में शुरुआत की। इसके बाद से पिछले डेढ़ दशक में जिस गति से गांवों में सड़कें बनी हैं, वह ऐतिहासिक है। इस योजना के तहत करीब 1.67 लाख बस्तियों में सभी मौसम में चालू रहने वाली साढ़े चार लाख किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। आज भारत का कुल सड़क नेटवर्क लगभग 46 लाख किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण सड़कें 26 लाख किलोमीटर हैं। सड़क विकास योजना विज़न 2021 के तहत अब 100 से ज्यादा जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जोड़ते हुए नियोजित ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मानव विकास का इतिहास साक्षी है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में परिवहन की जितनी बड़ी भूमिका होती है, उससे कम महती भूमिका संचार–सूचना की नहीं रही है। विज्ञान, तकनीकी और समाज का प्राचीनकाल से ही सामंजस्य रहा है। आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने तो मार्शल मैकलुहान के 'वैश्विक गांव' की परिकल्पना को साकार कर दिया है। ऐसे में आज यह सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे गांवों को भी सूचना और संचार की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। अध्ययनों से पता चलता है कि वायरलैस ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे उत्पादकता और रोजगार में बढ़ोतरी हो रही हैं, साथ ही जीडीपी को आगे ले जाने में भी सहायक साबित हो रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों में वर्ष 2003 से 2009 के दौरान किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि ब्रॉडबैंड के घनत्व में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादकता 3.19 प्रतिशत बढ़ी है। अफ्रीका में 90 प्रतिशत इंटरनेट सर्विस मोबाइल आधारित है, जिसकी वजह से ई–कॉमर्स, ई–हेल्थ, ई–एजुकेशन और ई–गवर्नेंस जैसे ऐप्लिकेशन धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं। केन्या में एम–पेसा (M&PESA) मोबाइल बैंकिंग सर्विस देश की जीडीपी में 20 प्रतिशत का योगदान कर रही है।

कृषि ज्यादातर भारतीयों की आजीविका का साधन होने के साथ ही उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही है। इसलिए, खेतीबाड़ी में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अत्यंत जरूरी है। देश के कई क्षेत्रों में किसान सफलतापूर्वक ऐसा कर भी रहे हैं। कृषि की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की कोई भी प्रौद्योगिकी संचार और सूचना तकनीक के बिना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश में खेती अभी भी मुख्य तौर पर मौसम आधारित है और ऐसे में मौसम के बारे में सटीक सूचना सही समय पर बहुत महत्व रखती है। इसके अलावा किसानों को फसल लगाने से पहले अच्छे बीज, खाद और कीटनाशकों की जानकारी सही समय पर चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए

कृषि बाजार के लिए ई-प्लेटफार्म

कृषि उत्पादों को एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचाने, मंडी के अनेक शुल्कों से उत्पादकों को बचाने और उचित मूल्य पर उपभोक्ता के लिए कृषि वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए सरकार ने ऑनलाइन मंच पर राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए एक ई–प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो सितंबर 2016 तक 250 से ज्यादा कृषि मंडियों को कवर करेगा और मार्च 2018 तक कुल 585 मंडियों में ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी। केंद्र ने राज्य की मंडियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकारों से भी ई–बाजार प्लेटफॉर्म शुरू करने का आग्रह किया है, ताकि किसान किसी भी मंडी में अपनी पैदावार बेच सकें। इसके लिए केंद्रीय कृषि विभाग राज्यों को मुफ्त सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराएगा। इससे कृषि पैदावारों के लिए कुशल व्यापार प्रणाली बनेगी, जो क्रेता और विक्रेता के मौजूदा स्थानों से लेन–देन में सक्षम होगी। इससे मौजूदा बाजार का विस्तार होगा और भविष्य में उन स्थानों से भी लेन–देन किया जा सकेगा जहां बाजार मौजूद नहीं हैं। खरीद और बिक्री के लिए एक नया वितरण चैनल अस्तित्व में आएगा, जो कृषि पैदावार के बेहतर मूल्य हासिल करने के नतीजे के रूप में सामने आएगा और बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ मिलेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के प्रत्येक गांव में ऐसे सार्वजनिक और सामुदायिक सूचना केंद्र स्थापित कर रहा है, जहां कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यहां रेलवे आरक्षण से लेकर किसानों को खेती के लिए मौसम तक की जानकारी देने की पहल की जा रही है। इस दिशा में एक और पहल करीब एक दशक पहले की गई थी और इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। देशभर में फैले किसान कॉल सेंटरों में किसान अब 1800–180–1551 नंबर पर फोन करके कृषि संबंधी जानकारी और अपनी समस्याओं का समाधान मुफ्त प्राप्त करते हैं। कॉल सेंटरों से 22 भाषाओं में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सप्ताह के सातों दिन किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इन सेंटरों पर रोजाना 15 हजार से ज्यादा किसानों के कॉल आते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अधिकतर कृषि विश्वविद्यालयों ने अपने क्षेत्र विशेष के फलों और अन्य फसलों की उत्पादन से संबंधित सभी जानकारियां अपने वेबसाइट पर डाल रखी हैं, जिन्हें किसान इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। इन विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों पर भविष्य में कृषि कार्यों की जानकारी और मौसम की जानकारी भी समय–समय पर किसानों को नियमित रूप से दी जाती है।

इन सुविधाओं से जहां कृषि की उत्पादकता व गुणवत्ता सुधरी हैं, वहीं उत्पाद की मार्केटिंग और उसके बिक्री मूल्य के निर्धारण में भी ये काफी मददगार साबित हो रही हैं।

भारत में कृषि के क्षेत्र में हरितक्रांति के जन्मदाता माने जाने वाले चर्चित वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने एक बार कहा था कि सूचना तकनीक के क्षेत्र में कोशिशें भारत में सदाबहार क्रांति लाएंगी और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही उत्पादकता बढ़ेगी। उस समय भी हरितक्रांति के तकनीकी ज्ञान के विस्तार में सबसे सशक्त संचार प्रणाली 'आकाशवाणी' का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आज बात आकाशवाणी से आगे जा चुकी है, **गांवों में भी बड़ी आबादी के हाथों में इटंरनेट से लैस मोबाइल हैं। इसका घनत्व बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। देश में करीब 5 लाख गांवों में टेलीफोन का नेटवर्क है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून 2015 तक भारत में एक अरब से ज्यादा फोन (लैंडलाइन और मोबाइल) उपभोक्ता हो चुके थे। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के करीब 42 करोड़ थे, और 58 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता शहरी क्षेत्र के थे।** इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने गत वर्ष नवंबर में अपने आकलन में कहा था कि दिसंबर, 2015 तक भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने

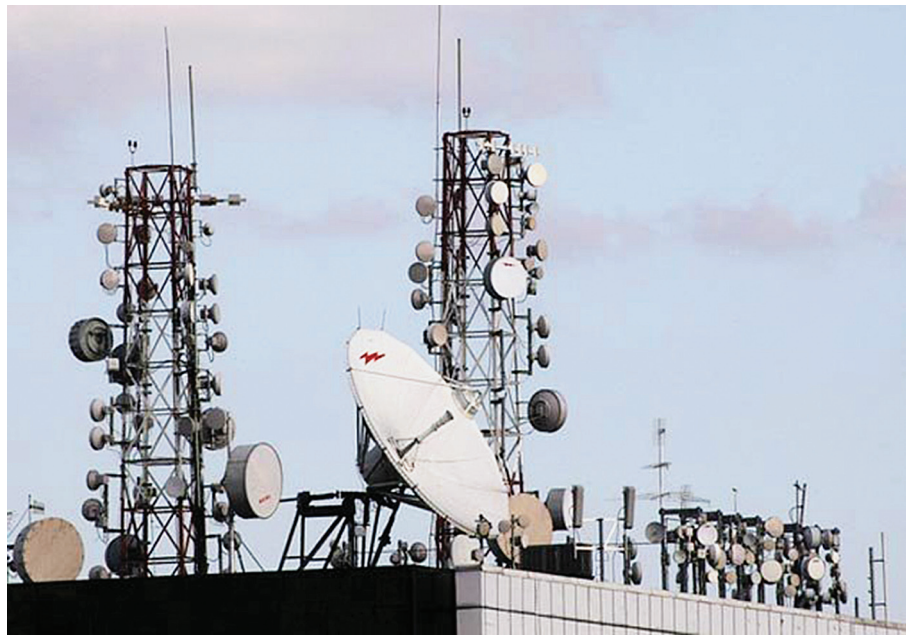

वालों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा हो चुकी होगी। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या दिसंबर में पौने बारह करोड होगी और जून, 2016 तक यह बढ़कर पौने 15 करोड होने की संभावना है। 40 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 30 करोड़ तो मोबाइल पर सर्फिंग करते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले महज 10 करोड़ उपभोक्ता हैं।

जाहिर है गांवों में टेलीफोन और मोबाइल तो पहुंच ही गए हैं, अब गांव–गांव ब्रॉडबैंड पहुंचाने की नई पहल की जा रही है। इसका लाभ यह मिलने जा रहा है कि छोटे स्तर पर शुरुआती सफलता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बीपीओ खोलने की तैयारी है। केंद्र सरकार की गांवों और कस्बों में बीपीओ खोलने पर सब्सिडी देने की भी योजना है। इन बीपीओ में महिलाओं को ज्यादा रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गांवों में बीपीओ खुलने से ग्रामीण बेरोजगारों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। सड़क और संचार की सुविधाओं का असर दिख रहा है। गांव–गांव में न सिर्फ बैंक खोले जा रहे हैं, बल्कि डाकघरों को भी बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है और सब्सिडी के पैसे सीधे खातों में आ रहे हैं। **तमिलनाडु में पिछले महीने ही एक अनूठा प्रयोग हुआ। सरकार ने 30.42 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों में से, जिन 14 लाख पीड़ित परिवारों के आंकड़े कंप्यूटराइज्ड थे, उनके बैंक खातों में राहत राशि के सात करोड़ रुपये एक दिन में ही पहुंचा दिए। इससे जहां लालफीताशाही खत्म हो गई, वहीं काफी हद तक भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा।** आर्थिक से इतर इसका सामाजिक अध्ययन करें तो पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी अब संचार माध्यमों से अपडेट होकर नए भारत के करवट लेने का संकेत देने लगे हैं। सेल्फी, सर्च इंजन, वेबसाइट, सोशल मैसेजिंग के बारे में जब ये युवा न केवल बात करने लगे बल्कि ऑनलाइन जानकारियां लेने लगे तो बात दूर तक पहुंचने लगती है। यही कारण है कि सोशल मीडिया में चलने वाली चर्चाएं युवाओं के माध्यम से गांवों तक पहुंच रही हैं और वे भी अपने शहरी साथियों एवं नातेदारों से गांव–गलियों की बातें साझा कर रहे हैं।

इन पहलों की बदौलत अर्थव्यवस्था के साथ–साथ ग्रामीण जीवन–स्तर में भी जबर्दस्त सुधार आया है। इसके बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सामुदायिक रेडियो जैसे प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्र में हो रहे हैं। सरकार को इसे बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धक नीति लाने के साथ–साथ इसे तेजी से व्यावहारिक धरातल पर उतारना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान क्षेत्रीय–स्तर पर भी आसानी से अपने अनुभव बांट सकेंगे। गांव–गांव तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पहुंचाने की घोषणा की जा रही है, लेकिन इसकी मियाद लगातार बढ़ रही है। पिछली संप्रग सरकार ने वर्ष 2012 तक देश की ढाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस से जोड़ने की घोषणा की थी, फिर इसकी अवधि बढ़ाकर 2015 कर दी गई। सितंबर 2015 तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए केवल 68 हजार ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम हो पाया था।

अब सारी उम्मीदें 'डिजिटल इंडिया' पर टिक गई हैं, जिसमें 2019 तक इन ढाई लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरत इस बात की है कि अब इस लक्ष्य को समय रहते हासिल कर लिया जाए। आज दुनिया जिस सूचना और संचार के युग में बहुत कुछ हासिल करने की देहरी पर है, यदि उसमें देश के गरीबों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को आगे बढ़कर शामिल होने को प्रेरित नहीं किया गया तो आने वाले समय में सूचना का पिछड़ापन उनके लिए त्रासदकारी साबित होगा। इसलिए यह समय की जरूरत है कि 'डिजिटल इंडिया' जैसी मुहिम को उसके सार्थक अंजाम तक पहुंचाया जाए।

(लेखक नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्यरत हैं।)
ई–मेलः prabhashjha13@gmail.com

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गांवों का बदलता चेहरा

—प्रभांशु ओझा

सरकार ने अपने विशेष प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों की उपयोगिता को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिये प्रसारित होने वाले अपने संबोधन 'मन की बात' से इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। ऐसा करके प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एक समय भारत में ग्रामीण विकास में बड़ी भूमिका निभाने वाले रेडियो जैसे माध्यम की प्रासंगिकता को स्वीकार किया, बल्कि यह सन्देश देने का भी प्रयास किया कि भारत में ग्रामीण आबादी की चिंताओं और मुद्दों के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। ठीक इसी तरह सरकार ने किसानों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 'डीडी किसान' चैनल शुरू कर बड़ी पहल की है।

आधुनिक युग सूचना क्रान्ति का युग है। यह निर्विवाद है कि सूचना क्रान्ति ने हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। तकनीकी तौर पर इसकी झलक संचार के नित नए विकसित हो रहे माध्यमों में मिल जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरनेट इन नये माध्यमों का केंद्रबिंदु है। सूचनाओं का आदान–प्रदान और उन्हें पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा देना अब बेहद आसान हो चुका है।

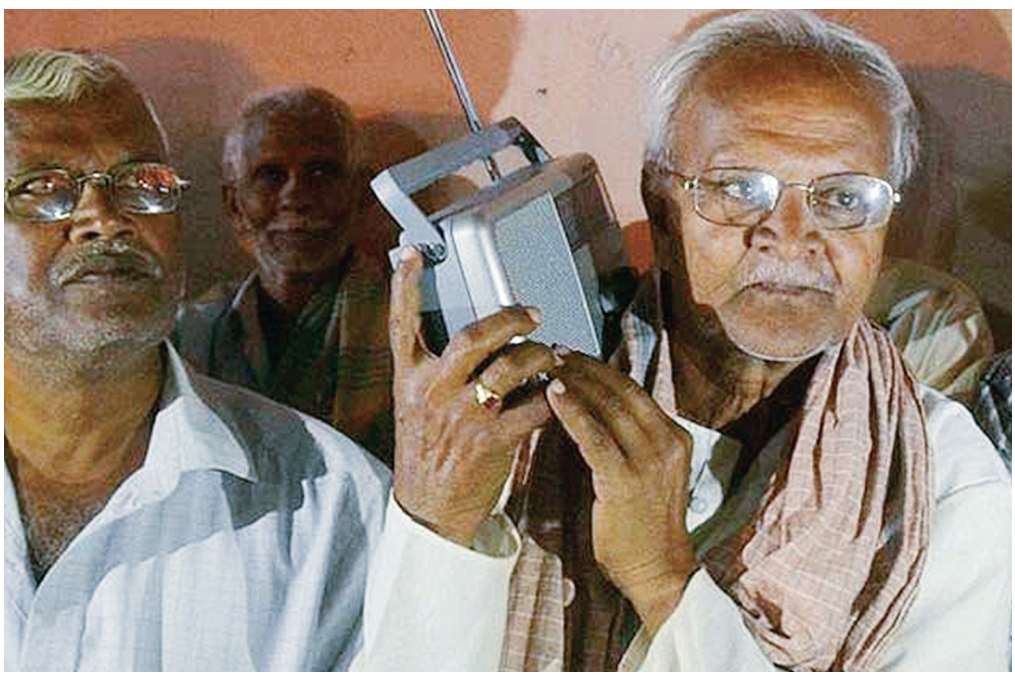

अनुमानतः भारत में जून, 2015 की समाप्ति पर 35.4 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी की पहुंच से ऐसे माध्यम दूर हैं। कालांतर में भी सरकारें इस खाई को पाटने की कोशिशें करती रही हैं, लेकिन इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास विशेष रूप से चर्चा का विषय बने हुए हैं। 'डिजिटल इंडिया' की संकल्पना और उसका लक्ष्य इन्हीं प्रयासों का प्रस्थान बिंदु है। बेशक सरकार ने आम नागरिकों को सशक्त बनाने में इंटरनेट और ऐसे तमाम माध्यमों की भूमिका को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया है, लेकिन यह बात भी उतनी ही गौर करने वाली है कि वर्तमान

सरकार ने अपने विशेष प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों की उपयोगिता को एक बार फिर से स्थापित कर दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिये प्रसारित होने वाले अपने संबोधन 'मन की बात' से इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। ऐसा करके प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एक समय भारत में ग्रामीण विकास में बड़ी भूमिका निभाने वाले रेडियो जैसे माध्यम की प्रासंगिकता को स्वीकार किया, बल्कि यह सन्देश देने का भी प्रयास किया कि भारत में ग्रामीण आबादी की चिंताओं और मुद्दों के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत है। ठीक इसी तरह सरकार ने किसानों की समस्याओं को संबोधित करने के लिये 'डीडी किसान' चैनल शुरू कर बड़ी पहल की है।

वर्तमान सरकार के इन हालिया कदमों से एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आया है कि क्या देश की ग्रामीण आबादी से संवाद स्थापित करने में रेडियो और सेटेलाइट चैनलों की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गयी है? जाहिर है कि इस सवाल के इर्द–गिर्द बहुत–सी अन्य बहसें भी खड़ी होती हैं, जिन पर बारी–बारी से विचार–विमर्श करना आवश्यक है।

भारत में ग्रामीण विकास और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिश्ता

इस बारे में असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत में हमेशा से आधुनिक संचार तकनीकों और माध्यमों का लक्ष्य नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना और उनका विकास करना रहा है। आजादी से पहले भी प्रिंट तकनीक के इस्तेमाल में राष्ट्रवादी प्रेस की अवधारणा ही निहित थी। आजादी के बाद भी इस केन्द्रीय लक्ष्य को देश के नीति–निर्माताओं ने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया कि दूरदराज क्षेत्रों और ग्रामीण आबादी तक विकास योजनाओं को पहुंचाना ही आधुनिक संचार माध्यमों का लक्ष्य होना चाहिए। भारत में रेडियो का विकास तो खासतौर पर इस सोच के साथ हुआ।

आजादी से पहले ही वर्ष 1933 के आसपास मुम्बई के समीप भिवंडी में आरंभ हुए ग्रामीण रेडियो समुदायों में मराठी, गुजराती और कन्नड़ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते थे, लेकिन इनकी पहुंच बहुत सीमित वर्ग तक थी। आजादी के बाद साल 1959 में यूनेस्को के सहयोग से 'चर्चा मंडल' नाम के ग्रामीण रेडियो फोरम स्थापित किए गए। साल 1965 तक इन मंडलों की संख्या 900 से बढ़कर 12,000 हो गई थी, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे। साल 1996 के बाद चित्रदुर्गा में देश का पहला सामुदायिक रेडियो सेट स्थापित किया गया। इन सभी प्रयासों के केंद्र में ग्रामीण आबादी का विकास ही था। इसके अलावा आकाशवाणी ने भी देश के किसानों को उर्वरकों, बीजों और नई तकनीकों का ज्ञान देने के लिये साल 1966 से अपने विशेष प्रसारण किए। वर्तमान में देश में ऐसे 59 केंद्र हैं।

रेडियो के अलावा ग्रामीण समाजों में साक्षरता और सामाजिक बदलाव लाने के उद्देश्य से किए गए सेटेलाइट टेलीविजन के प्रयोगों ने भी काफी योगदान दिया। अगस्त, 1975 में पहले टेलीविजन ट्रांसमीटर (SITE, Satellite Instructional Television Experiment) के जरिए देश के 2400 गांवों में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। इस प्रयोग के तहत जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए, उनमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से जुड़े हुए अहम लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के किसानों को इस प्रयोग के तहत उर्वरकों, कृषि तकनीकों के साथ–साथ कृषि बाजार और मौसम की जानकारी देने का भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। इस प्रयोग को वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन योजना आयोग की एक रिपोर्ट ने बताया कि पशुपालन, कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों की जागरुकता में वृद्धि हुई और इसमें टेलीविजन का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। इस पूरे इतिहास को बताने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उद्देश्य आरम्भ से ग्रामीण समाज का सशक्तीकरण करना रहा। देखा जाए तो साल 1991 से आर्थिक सुधारों के दौर के बाद लगातार फैलते गए निजी टेलीविजन

चैनलों के नेटवर्क के बावजूद भी आधुनिक संचार माध्यमों की भूमिका के प्रति इस सोच से सरकारें पूरी तरह किनारा नहीं कर पाईं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि आजादी के 66 सालों के बाद भी ग्रामीण समाज के बड़े हिस्से को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर सशक्त करने का भारी–भरकम कार्य राष्ट्र–निर्माताओं के कंधे पर है।

'मन की बात'–एक दूरदर्शी सोच

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद ज्यादातर जानकारों को एक सुखद आश्चर्य में डालते हुए ये निर्णय लिया कि वे आकाशवाणी के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि इस कार्यक्रम के जरिए संबोधन करने से पहले वे देश की जनता से प्रमुख मुद्दे और समस्याएं रखने को कहेंगे और नागरिकों द्वारा रखे गए मुद्दे ही उनके संबोधन का विषय होंगे। प्रधानमंत्री ने इस तरह का पहला संबोधन 3 अक्टूबर, 2014 को दिया और तब से लेकर आज तक उन्होंने लगातार प्रमुख मुद्दों पर देश की लाखों–लाख जनता के साथ संवाद स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम का सहारा लिया है।

आखिर प्रधानमंत्री की इस अनूठी पहल के पीछे क्या सोच काम कर रही थी, यह समझना आवश्यक है। यह बात याद रखने योग्य है कि प्रधानमंत्री ने रेडियो को माध्यम के रूप में उस वक्त चुना जब इसको देश के दूरदराज इलाकों में स्थित संपर्क करने के लिहाज से ज्यादा उपयोगी नहीं माना जा रहा था। प्रधानमंत्री की यह पहल इसलिए भी दूरदर्शी थी क्योंकि इस पहल के माध्यम से उन्होंने रेडियो जैसे प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और डिजिटल माध्यमों दोनों को जोड़ दिया। पहले उन्होंने लोगों से सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने सन्देश रिकार्ड करने के लिए कहा और उसके बाद उन्हीं मुद्दों और सुझावों को आधार बनाकर उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस तरह उन्होंने नई डिजिटल तकनीक और अनुपयोगी माने जाने वाले रेडियो के माध्यम का बखूबी इस्तेमाल किया। आश्चर्य नहीं कि जब मन की बात कार्यक्रम को एक साल पूरा हुआ तो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर 1.3 मिलियन सदस्य थे, लगभग 332 संजीदा मुद्दों पर वेबसाइट में 6.64 लाख टिप्पणियां थीं।

संवाद की विशिष्ट शैली

लेकिन संवाद के माध्यम के तौर पर प्रधानमंत्री की समझ के अलावा भी इस पहल का महत्त्व कहीं व्यापक था। हालिया दशकों में देश की ग्रामीण आबादी से सीधा संवाद और संपर्क स्थापित करने की जरुरत पर जानकारों ने काफी जोर दिया, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा सका। निस्संदेह, देश की ग्रामीण आबादी को लक्ष्य बनाकर नीतियां बनायी जाती रहीं, लेकिन सरकार के पास अपने सुझाव और समस्याएं सीधे पहुंचाने के मंच की कमी जस की तस रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस कमी को भांप लिया। यही वजह रही कि उन्होंने 'मन की बात' कार्यक्रम के एक संस्करण में खासतौर पर देश की ग्रामीण आबादी और किसानों को ही संबोधित किया। देश के विभिन्न हिस्सों से ग्रामीण आबादी ने सिर्फ कृषि संबंधित मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि कई ऐसी समस्याओं के बारे में ध्यान दिलाया, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चौंकाने वाला माना। प्रधानमंत्री ने कहा–

"मेरे लिये यह बात बेहद चौंकाने वाली है कि देश के किसानों ने खेती–किसानों के मुद्दों के अलावा गैंग–माफिया जैसी समस्याओं के बारे में भी लिखा है। कुछ ने लिखा कि उन्हें अपने गांवों में प्रदूषित पानी पीना पड़ता है तो कुछ ने शिकायत की है कि उनके पास मृत जानवरों का निपटारा करने की सुविधा नहीं है जिससे उनके इलाकों में भयंकर बीमारियां फैलती हैं।"

प्रधानमंत्री ने इसी संस्करण में यह आश्वासन भी दिया कि देश के किसानों द्वारा दिए गए सुझावों को वे अपनी सरकार की नीतियों में शामिल करेंगे और उनका यथासंभव समाधान करेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि देश में खेती–किसानी पर निर्भर ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री के इन शब्दों से नैतिक संबल भी पाता है।

नौकरशाहाना सोच से किनारा

महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सूचना क्रान्ति के इस दौर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रेडियो जैसे परम्परागत माध्यम पर वापसी के मायने क्या हैं? क्या इस पहल से एक बार फिर देश के सुदूर इलाकों को भी जोड़े रखने में रेडियो की महत्ता साबित हो गयी है या प्रधानमंत्री का रेडियो को माध्यम के तौर पर चुनने का कोई दूरगामी सन्देश भी है?

भारत में डिजिटल क्रान्ति को सफल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि रेडियो ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच देश की आबादी के 99.5 फीसदी भाग और भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 92 फीसदी भाग तक है। इसका सीधा अर्थ है कि देश के सुदूरवर्ती इलाकों से संवाद करने के मामले में रेडियो का अब भी कोई विकल्प नहीं है। यह भी समझने की आवश्यकता है कि भारत जैसे अनेकानेक बोलियों, भाषाओं और संस्कृति वाले समाज में सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज के अंतिम आदमी के हितों को संबोधित करना रही है। जैसाकि पहले भी कहा गया है कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास

का पहला उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और उनके भीतर भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बने रहने के भाव को बनाए रखना था।

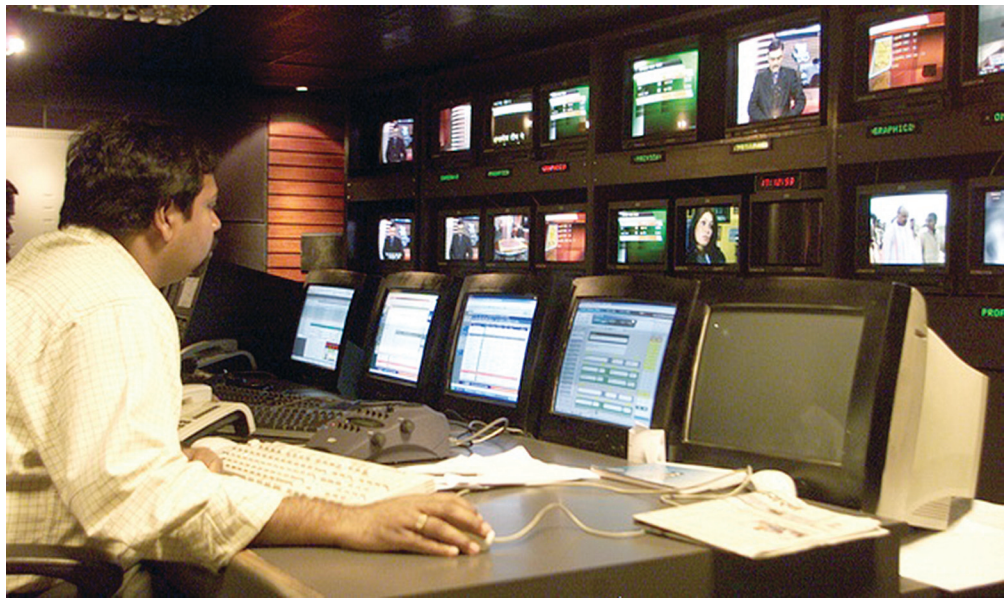

आखिर क्या वजह है कि भारत में सेटेलाइट टेलीविजन और रेडियो, दोनों को संचार माध्यम के तौर पर विकसित करने के शुरुआती प्रयोग गांवों पर किए गए? आरंभ में ग्रामीण आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर ही प्रसारण नीतियां तय होती रहीं। इसका सीधा उद्देश्य विकास प्रक्रिया से ग्रामीण आबादी को जोड़े रखना था। निश्चित तौर पर इसके लिए अन्य तरीकों का भी सहारा लिया गया, लेकिन कालांतर में सरकारों के ऊपर लगातार नौकरशाहाना कार्यशैली हावी होती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि विशेषकर भारत का ग्रामीण समाज अपनी जीवंतता खो बैठा। प्रधानमंत्री की 'मन की बात' पहल का एक बड़ा उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जीवंत बनाना ही रहा है। अगर प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए गए संबोधन की संवाद शैली पर नजर डालें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है–

"मुझे मालूम है कि बारिश की कमी की वजह से यह साल आपके लिए मुश्किलों भरा रहा है। एक गरीब किसान जो अपनी पूरी जिन्दगी खेतों में जुताई करते हुए बिता देता है, उसके पास अपनी आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं होता"।

जाहिर है कि इस तरह की भाषा देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी से संवाद करने के लिए बेहद अनुकूल कही जा सकती है। एक खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने सभी संबोधनों में आम बोलचाल के शब्दों का ही इस्तेमाल किया है। इससे उन्हें देश की बहुसंख्यक जनता की कल्पनाशीलता को छूने में मदद मिलती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरक भूमिका

एक प्रश्न ये भी उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास क्रम के लिहाज से प्रधानमंत्री की इस पहल को कैसे देखना चाहिए? यह बात गौर करने लायक है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास की स्थिति में बीते दशकों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। रेडियो के अलावा शहरी क्षेत्रों का संचार माध्यम माने जाने वाले टेलीविजन की लोकप्रियता में भी ग्रामीण इलाकों में काफी वृद्धि हुई है। नेशनल सैम्पल सर्वेक्षण के आंकड़ों ने यह लगातार दिखाया है कि भारत में ग्रामीण आबादी में सूचना के टेलीविजन जैसे आधुनिक माध्यमों पर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार इस समय भारत में 1.1 करोड़ टेलीविजन सेट हैं जिनमें से लगभग आधे ग्रामीण आबादी के पास हैं। लेकिन जिस तरह एक समय पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों के आगमन ने प्रिंट माध्यमों की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए थे, ठीक उसी तरह डिजिटल युग ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। निश्चित तौर पर अभी ये तस्वीर मिली–जुली है, लेकिन आने वाले समय में यह बहस और जोर–शोर से खड़ी होगी।

आज इस सवाल का जवाब देना कठिन अवश्य है, लेकिन निश्चित तौर पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में दुनिया भर की सरकारों का लक्ष्य नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना ही रहेगा। भारत में भी तमाम भविष्यगामी नीतियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। वास्तव में, इन सभी स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री की सोच प्रशंसनीय कही जा सकती है जिन्होंने अपनी 'मन की बात' पहल के जरिए डिजिटल माध्यमों और रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, दोनों की उपयोगिता को बरकरार रखा। संभवतः उन्होंने ग्रामीण आबादी से संवाद करने में रेडियो की पूरक भूमिका और नई विकसित हो रही डिजिटल तकनीक, दोनों के महत्त्व को पहचाना है। भारत में फिलहाल ऐसे ही संतुलित नजरिये से बढ़ने की आवश्यकता है। अच्छी बात ये है कि सरकार की इस समझ के प्रति सार्वजनिक दायरे में सकारात्मक माहौल है।

(शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय)
ई–मेलः prabhansukmc@gmail.com

मोबाइल क्रांति ने दी ग्रामीण विकास को नई दिशा

—डॉ. नीरज कुमार गौतम

वर्तमान परिपेक्ष्य में मोबाइल के माध्यम से गांव के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंटरनेट और तकनीक का विस्तार प्रस्तावित सभी दिशाओं में तेजी से हुआ है। आधुनिक तकनीक और डाटा प्रबंधन ने सरकार और नागरिकों के बीच के अंतर को पाटा है। इसका सीधा असर नागरिक सहभागिता और जन-जागरुकता पर पड़ता है, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल क्रांति ने आम आदमी के साथ–साथ ग्रामीण परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव ला दिया है। वास्तव में मोबाइल हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन का अहम् हिस्सा बन गया है और इसने हमारे सोचने, काम करने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने, बातचीत करने और जीवनशैली में बहुत अधिक परिवर्तन किया है। अब तो मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन–सा हो गया है।

मनुष्य प्रारम्भ से ही सूचना प्राप्ति एवं उसके प्रेषण के लिए नाना प्रकार से क्रियाशील रहा है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सूचना का अपना महत्व है। संचार व्यैक्तिक या समूह के साथ स्थापित होता है, इसी से जुड़े जनसंचार का संबंध अपनी जन–सम्प्रेषणीयता जनसमूह तक पहुंचाना है। जनसंचार माध्यमों के रूप में आज रेडियो, टी.वी., फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, प्रेस आदि की भूमिका सर्वोपरि है। इन माध्यमों के द्वारा हम समूह तक शिक्षा, मनोरंजन एवं सूचना प्रेषित करते हैं। आधुनिक समाज के लिये ये माध्यम अनेक रूप में उपयोगी हैं।

आज का युग वैज्ञानिक युग है। एक राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार, मोबाइल सेवाओं को विश्व भर में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। भारत गांवों का देश है जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि प्रधान देश होने के कारण आज गांव से शहरों का सीधा सम्पर्क न होना विकास में बाधक बन रहा है किन्तु मोबाइल क्रांति ने सारे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। आज प्रत्येक योजना, जानकारी, घटना, शासकीय नीतियां, सूचना सीधे मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासकीय व अशासकीय प्रत्येक कार्य को सीधा मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों न हो। आज मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट, कम्प्यूटर, बैंक की कार्यप्रणाली, किसानों से जुड़ी योजनाएं, मेल, एस.एम.एस. आदि प्रत्येक कार्य मोबाइल के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। प्रारम्भ में दूरसंचार सेवाओं का उपयोग मुख्यतः सरकारी, व्यापारिक एवं उद्योग क्षेत्र में किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी आई और दूरसंचार उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाने लगा और इसके बाद दूरसंचार सेवाओं का विस्तार सरकारी कार्यालय, व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में खेती संबंधी जानकारी, मौसम की जानकारी, मण्डी के भाव

आदि जानने के लिए दूरसंचार सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो हर घर में दूरदर्शन एवं मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध है और प्रत्येक पंचायत को दूरसंचार सेवाओं से लैस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के हर गांव को दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में लगातार कामयाबी मिल रही है। इसका असर गांवों में स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। संचार सुविधाओं के गांव–स्तर पर पहुंचने के साथ ही रोजगार भी बढ़े हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से भारत निर्माण के तहत् ग्रामीण दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। भारत निर्माण के तहत् संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का असर है कि आज हर व्यक्ति के पास संचार सुविधा उपलब्ध हो गई है। कुछ परिवारों में तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल उपलब्ध हैं। वहीं ग्रामीण इलाके की दुर्गम पहाड़ियों और रेतीले धोरों के बीच बसे लोगों के घरों में टेलीफोन की घंटियां घनघनाने लगी हैं। हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने का सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि ग्रामीणों को अपने ही गांव में हर तरफ की सुविधाएं मिल पा रही हैं।

दूरसंचार : भूमण्डलीकरण के इस दौर में सूचनाओं का आदान–प्रदान तेजी से हो रहा है। इस बदलाव की तुलना हम वैश्विक गांव से करते हैं। दुनिया एक–दूसरे के नजदीक तेजी से आ रही है। तेजी से बढ़ती ये नजदीकियां सूचनाओं के सम्प्रेषण की तीव्रता से लाभान्वित होकर विकास को प्राप्त कर रही हैं। सूचना क्रांति के इस युग में यह जरूरी हो गया है कि उन वंचित लोगों को इसके दायरे में लाया जाए जो संचार साधनों के अभाव के कारण पिछड़ रहे हैं। सूचनाएं मानव जीवन में निर्देशन और परामर्श का काम करती हैं तथा सर्वांगीण विकास के लिए लक्ष्य और कार्यक्रमों का सृजन करती हैं। एक सही सूचना मानव जीवन को बदलने और विकसित करने की क्षमता रखती है। इस तथ्य को जीवन का आधार मानते हुए भारत निर्माण में दूरसंचार को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2007 के अंत तक छूटे हुए 66822 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जो सितम्बर 2009 को पूरा कर लिया गया था।

ग्रामीण टेलीफोन : 21वीं शताब्दी के अंत तक पूरी दुनिया संचार क्रांति के दौर में प्रवेश कर गई है। संचार के विभिन्न साधनों के कारण दूरदराज गांव में बैठा हुआ व्यक्ति दुनिया में हर जगह पहुंच गया है। हालांकि ऊपरी तौर पर तो टेलीफोन केवल हालचाल जानने का साधन मालूम पड़ता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास का यह एक आधारभूत तत्व है। गांवों के लोगों के लिए तो यह इसलिए और भी अधिक जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके अभाव में वे मुख्यधारा से अलग ही रह जाते हैं।

इसलिए केन्द्र सरकार ने जहां गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाने पर जोर दिया है, वहीं गांवों को देशभर से जोड़ने के लिए टेलीफोन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। केन्द्र सरकार की इच्छा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाओं में जो काफी अंतर है, उसे कम किया जाए। ग्रामीण टेलीफोन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और उचित दरों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

गांवों में मोबाइल सम्पर्क क्रांति : देश के दूरसंचार सेवा से वंचित गांवों में चरणबद्ध रूप में मोबाइल संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु समय–समय पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) योजनाएं तैयार

ग्रामीण दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से बढ़ेगा उत्पादन

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत् ग्रामीण दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार होने से देश में विभिन्न स्तरों पर उत्पादन भी बढ़ेगा। ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा फायदा कृषि उत्पादन को मिलेगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और कम लागत में अधिक मुनाफा भी कमा सकेंगे, क्योंकि अभी तक किसानों को अपनी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए कृषि विशेषज्ञों तक पहुंचने में काफी पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा ग्रामीण स्तर पर होने से वे तुरन्त अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। अभी तक के अनुभव भी यही बता रहे हैं कि जिस गति से संचार क्रांति आगे बढ़ रही है, उसी गति से कृषि को भी बढ़ावा मिला है। संचार क्रांति से कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी किसानों को पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर और समय से मिल रही है। आज भारत का किसान एस.एम.एस. के जरिए मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहा है तो किसान कॉल सेंटर और ई–चौपाल जैसी सुविधाओं से खेती में होने वाले खतरे कम हो रहे हैं। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के साथ ही गुणवत्तापरक खेती के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ा है। किसान इंटरनेट के जरिए मंडियों के ताजा भाव के बारे में जान सकता है और भण्डारण की तकनीक भी सीख सकता है। संचार क्रांति के इस युग में किसानों को विभिन्न तरह की सूचनाओं से लैस तो किया ही गया, अब किसान ई–खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

की जाती हैं। ऐसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र जहां अभी फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 27 राज्यों के पांच सौ जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टावरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए यूएसओ निधि द्वारा साझा मोबाइल अवसंरचना योजना शुरू की गई है। ऐसे गांवों या गांवों के समूह जिनकी आबादी दो हजार या इससे अधिक हो और जहां मोबाइल कवरेज उपलब्ध न हो, वहां इस योजना के तहत् टावर स्थापित करने के लिए विचार किया गया था।

संचार क्रांति के इस युग में वैश्विक स्तर पर सामाजिक सम्पर्कों को जोड़ने या अपनी बात को तत्काल दूसरों तक पहुंचाने में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का कोई विकल्प नहीं है। ये साइट्स संदेशों के आदान–प्रदान का त्वरित व सुगम माध्यम बन चुकी हैं। यही कारण है कि इनका चलन तेजी से बढ़ रहा है। युवा वर्ग तो इनका दीवाना है। इंटरनेट संवाद और जानकारियों का अथाह भंडार है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति को नए आयाम दिए हैं और विश्व गांव की परिकल्पना को साकार किया है। इसी के साथ सामाजिक और बौद्धिक विकास को भी गति दी है। सच तो यह है कि इंटरनेट आज विकसित जीवनशैली वाले वर्ग के जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना वह कुछ भी कर पाने में असहज महसूस करता है। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सोशल मीडिया के कुछ बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल चुके हैं। मसलन कुछ समय पहले अरब देशों में जहां सोशल मीडिया ने युवकों को एकजुट करते हुए तानाशाही के खिलाफ क्रांति को संभव बनाया, वहीं भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए राष्ट्रव्यापी अभियान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्रामीण मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 35 करोड़ के पार : देश के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 35 करोड़ के पार पहुंच गई है। सेल्यूलर मोबाइल ऑपरेटरों के संगठन (सीओएआई) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों की संख्या 36.9 लाख बढ़कर 35 करोड़ 1 लाख पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 3.71 करोड़ से अधिक ग्रामीण मोबाइल एवं इंटरनेट उपभोक्ता बिहार, झारखण्ड सर्कल में हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या में सर्वाधिक 18.1 लाख की बढ़ोतरी सर्कल बी के इलाकों में दर्ज की गई।

मोबाइल की पहुंच : आज विश्व में पांच अरब मोबाइल कनेक्शन हैं, लेकिन कुछ विकसित देशों में जितनी जनसंख्या है उससे दुगुनी संख्या में मोबाइल हैं। वर्ष 2015 तक भी विश्व की केवल 50 प्रतिशत जनसंख्या के पास ही मोबाइल था और इसे सौ प्रतिशत होने में 2020 तक का समय लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय मोबाइल फोन के सिग्नल पृथ्वी के 90 प्रतिशत हिस्सों पर पहुंच रहे हैं। इस तरह पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेगा। दुनिया के ग्रामीण इलाकों में 75 प्रतिशत जनसंख्या तक मोबाइल सिग्नल पहुंचता है और ग्रामीण इलाकों की 50 प्रतिशत जनता इसका उपयोग करती है। इस रिपोर्ट में एक अहम सिफारिश की गई कि सभी देशों को 2015 तक दुनिया की आधी आबादी तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क ले जाने के लिए तेज गति से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ब्रॉडबैंड मोबाइल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में जानकारी का आदान–प्रदान हो सकेगा। इसमें ब्रॉडबैंड के जरिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शोध केन्द्रों और अस्पतालों को परस्पर जोड़ने पर जोर दिया है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किए गए कार्यों में से ग्रामीण भारत में किसानों के लाभ के लिए ई–सूचना कार्यक्रमों में उत्तरोतर वृद्धि से सम्पूर्ण भारत विशेषकर गुजरात के किसानों ने बखूबी लाभ उठाया। हाल के वर्षों में कम्प्यूटर आधारित मोबाइल से सूचना प्राप्त करने में ग्रामीण भारत में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। उपरोक्त संकेत सरकार और किसानों के बीच एक सकारात्मक संवाद और भविष्य में ई–सूचना से भारतीय किसानों को होने वाले लाभ को भी दर्शाते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण भारत के किसानों को एक वेब–आधारित पोर्टल मोबाइल पर उपलब्ध कराया है जोकि भारत भर में फैले 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों से सम्पर्क कर मोबाइल संदेशों/वीडियो के जरिए सरकार के विभिन्न संगठनों/कार्यालयों से प्राप्त कर सुन/पढ़/देख बातचीत कर सकते हैं। उपरोक्त वीडियो में बात करता एक भारतीय किसान निरन्तर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की बढ़ती

डिजिटल इंडिया - एक कदम गांवों की ओर भी

डिजिटल इंडिया : प्रधानमंत्री का स्वप्न भारत के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की विशाल दुनिया से जोड़कर ग्लोबल बनाने का है। एक उद्देश्य सबको सशक्त बनाने का और उन 'जुबानों' को भी आवाज देने का है जिनकी बात की पहुंच सीमित थी। अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो डिजिटल इंडिया एक ऐसी क्रांति है जो बिना किसी सीमा को जाने–पहचाने लोगों को सूचना का अधिकार देती है। मुख्य रूप से गांवों को इंटरनेट प्रदत्त बनाने के लिए प्रकल्पित ये परियोजना, वर्तमान में यूं तो भारत के शहरों और गांवों के बीच एक पुल के तौर पर ही देखी जा रही हैं लेकिन अगर हम इसके फायदों पर विशेष रूप से गौर करें तो 'डिजिटल इंडिया' देश में इंटरनेट तक ही सिमटा हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक ऐसे संसाधन के रूप में भी उभरकर सामने आता है जिसका प्रयोग पिछड़े और गुमनाम इलाकों को भी राष्ट्रीय फलक पर लाने के लिए किया जा सकता है।

लोक–पत्रकारिता के नये आयाम के लिए : इसके जरिए न सिर्फ इन इलाके के लोगों तक बेहतर सूचना प्रसारित की जा सकती है बल्कि स्थानीय लोगों को भी अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। डिजिटल इण्डिया को सिटिजन जर्नेलिज्म (लोक–पत्रकारिता) के लिए एक प्रेरणास्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग : तकनीकी के माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन अपने विचारों और संसाधनों को साझा कर रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य सामग्री सिद्ध हो रही है। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन साझा किए गए नोट्स हो, परिचर्चा हो, ब्लॉग अथवा ई–बुक हो, वीडियो या कोई अन्य सामग्री, सभी को डिजिटली संकलित कर उंगलियों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। वृहद् पाठ्यसामग्री से बच्चों में शोध क्षमता का विकास होगा। कई तरह के गेम्स और एप्लीकेशंस के माध्यम से शिक्षण देने के प्रयोग में बच्चों की समझ और याददाश्त में भी वृद्धि पाई गई। एक लाख करोड़ रुपये के अति महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत के सभी स्कूलों को वाई–फाई से जोड़कर, वृहद् ज्ञान तंत्र खड़ा किया जाना है। इसके साथ ही स्तरीय पाठ्य सामग्री, ग्रामीण भारत के बच्चों के पास भी सहज उपलब्ध हो सकेगी। भारत की 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में यह बात उभर कर सामने आई है कि छः से आठ वर्ष की उम्र के बीस प्रतिशत बच्चों को शब्द और संख्याओं का ज्ञान नहीं था। ''गल्ली–गल्ली सिम–सिम'' नामक एक अनूठी पहल के अंतर्गत बिहार और दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों को 'फन एंड लर्न' एप्लीकेशन के उपयोग से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।

स्वस्थ ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल इंडिया : ग्रामीण महिलाओं का गिरता स्वास्थ्य, कुपोषण और सर्वाधिक मातृत्व मृत्युदर वर्तमान परिदृश्य में भारत की अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है और इससे निपटने के लिए डिजिटलाइजेशन काफी हद तक सहायक हो सकता है। मसलन, एक परियोजना के तहत् सरकार ने 'आरोग्य सखी' नाम एक मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है जिसका इस्तेमाल गांवों की महिला उद्यमी सुरक्षापरक स्वास्थ्य जानकारी हर महिला तक पहुंचाने के लिए करेंगी। इन उद्यमियों को टैबलेट, स्मार्टफोन और डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी यंत्र से लैस किया जाएगा ताकि वो हर परिवार के स्वास्थ्य की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाएं और डॉक्टर आसानी से दुर्गम प्रदेश के लोगों का भी समुचित इलाज कर पाएं। इसका मुख्य इस्तेमाल महिलाओं को उनकी गर्भावस्था और उसके पश्चात् समुचित स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी हो रहा है। ऐसे अनेक प्रयास भारत को स्वास्थ्य से संबंधित अपनी चिन्ताओं से निपटने में काफी मदद कर सकते हैं।

स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का सहयोगी : डिजिटल इंडिया न सिर्फ देश को डिजिटल बनाने वाला एक कदम है बल्कि ये सरकार की दो अन्य परियोजनाओं, देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से कुशल बनाने को लक्षित महत्वाकांक्षी परियोजना 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' का सहयोगी भी साबित हो सकता है। ये परियोजनाएं 'डिजिटल इंडिया' के साथ के जरिए बेहतर परिणाम दे सकती हैं।

लोगों की समस्याओं का समाधान और जागरुकता के प्रसार के लिए : इतना ही नहीं, डिजिटल इण्डिया का उपयोग आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े दूरदराज के गांवों तक भी बिना रोकटोक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। कुछ प्रदेशों में जहां अंधविश्वास का प्रभाव अधिक है और शिक्षा का कम, डिजिटलीकरण के जरिए लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है एवं उनकी समस्याओं के बारे में जाना जा सकता है, उसका हल ढूंढ़ा जा सकता है तथा उन्हें जागरूक बनाया जा सकता है।

महिला सशक्तीकरण के लिए : डिजिटल इंडिया को वर्तमान सरकार की महिला सशक्तीकरण की पहल के तौर पर भी देखा जा सकता है। चूंकि ये योजना लोगों को सशक्त बनाने की है। इसे आसानी से उन मुद्दों पर केन्द्रित किया जा सकता है जिससे गांवों, घर की महिलायें और बच्चियां अब तक जूझती आई हैं। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा–दीक्षा से लेकर उनके खानपान तक के मुद्दे पर भी उन्हें जागरूक बनाया जा सकता है।

रोजगार के बढ़ते अवसर : डिजिटल इंडिया सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका न सिर्फ सामाजिक पहलू है बल्कि व्यावसायिक पहलू भी है। इसके जरिए सरकार की मंशा गांव के उस युवा को भी राष्ट्रीय मानचित्र पर ले आना है जो अपने सामान को पड़ोस वाले शहर तक ले जाने में भी असमर्थ था।

भारत में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा 98 करोड़ ट्रांजेक्शन ई–सेवा क्षेत्र में हुआ। वर्तमान वर्ष में बेमौसम बरसात और ओला बारिश के कारण उत्पन्न हुई ग्रामीण किसानों की मुसीबतों के चलते ग्रामीण इलाकों में ई–ट्रांजेक्शन काफी बढ़ गया, तब यह अहसास हुआ कि किसानों का दुख दूर करने में ई–टेक्नोलॉजी काफी मददगार है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) के अनुसार भारत में कुल 68.7 करोड़ जी.एस.एम. मोबाइल की संख्या में से 33 करोड़ मोबाइल ग्रामीण भारत में हैं। इस तरह किसानों का ई–ट्रांजेक्शन सरकार के साथ काफी बढ़ने की उम्मीद है। उपरोक्त विश्लेषण देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय किसान मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए अपने समाधानों को पाने के लिए उत्साहित और प्रयत्नशील हैं।

मौजूदगी, विशेषकर मोबाइल पर उसका सरकार से सीधा सम्पर्क है।

3.5 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन–ई–व्यवहार, वर्ष 2014 में किए गए उसमें से आधे ग्रामीण इलाकों से आए जबकि इसके पिछले वर्ष केवल 20 प्रतिशत ही ई–व्यवहार पारस्परिक रूप से, किसान और सरकार के बीच सम्पादित हुए। ये आंकड़े इंडियास्पेंड ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए गवर्नेंस डैशबोर्ड से प्राप्त किए हैं। ई–सेवाओं के इस्तेमाल का यह मतलब नहीं है कि उनकी वर्तमान गुणवत्ता वही है जोकि वास्तव में होनी चाहिए, लेकिन कम्प्यूटर और मोबाइल सहायक आधारित आंकड़े भारतीय किसानों और सरकारों के बीच हुए संदेशों के आदान–प्रदान के अभिनव रिकार्ड्स हैं। मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों को सुग्राह्यता और सुविधा प्रदान करती है और इस मोबाइल बैंकिंग से हम निरन्तर सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रौद्योगिकी आजकल बैंकिंग का अविभाज्य अंग बन गई है और इसने बैंकिंग उत्पादों और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के वितरण में पूर्णतः क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, प्रौद्योगिकी वर्ग विशेष कर बैंकिंग से विशाल बैंकिंग की ओर अग्रसर हो रहा है।

भारत के सम्पूर्ण ई–ट्रांजेक्शन का 30 प्रतिशत जोकि 98 करोड़ है, केवल कृषि क्षेत्र में दर्ज किये गये। उपरोक्त सभी ई–ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनके माध्यम से किसानों ने निम्न क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, ये हैं–मौसम, मृदापरीक्षण, नए रजिस्ट्रेशन, नित्य के बाजार भाव और जिंस की बाजार में आवक जिससे भारत भर में फैली 3,200 कृषि मंडियों के बारे में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को एस.एम.एस. और ई–मेल के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है। विभिन्न कृषि सलाहकार केन्द्रों में भारतीय किसानों द्वारा पंजीयन कराने वालों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है जोकि वर्ष 2013 में 37 लाख से बढ़कर 2014 में 93 लाख हो गई। यद्यपि यह सच है कि काफी संख्या में किसान मोबाइल का इस्तेमाल परामर्श मांगने के लिये करते हैं।

गांव में ई–गवर्नेंस उपयोग में रिकॉर्ड 35 प्रतिशत की वृद्धि : ई–गवर्नेंस का यह मतलब नहीं है कि इंटरनेट पर एक वेबसाईट खोल दी और प्रार्थना–पत्रों के निवारण के कार्य होने लगे, बल्कि सरकार को ई–गवर्नेंस के लिये समुचित समाधान और कुशल और सक्षम अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जो शिकायती–पत्रों पर उचित और शीघ्र कार्य कर सकें।

ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र : सरकारी बिलों और अन्य सुविधाओं का इंटरनेट वेबसाईट के माध्यम से भुगतान होता है। इस बिल भुगतान क्षेत्र में भी गुजरात का स्थान प्रथम है, जहां 6 करोड़ ई–ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक और आंध्रप्रदेश आते हैं।

ई–सेवाओं के विस्तार के कारण बिचौलियों/दलालों का खात्मा हो जाता है और सरकारी सुविधाएं जल्दी निष्पादित हो जाती हैं। भारत की विशालता और हर तरफ की विभिन्नताओं के चलते मूलभूत सुविधाओं को भारत के सुदूरतम इलाकों तक पहुंचाने में केवल एक पारदर्शी ई–गवर्नेंस ही सहायक हो सकता है। हाल में भारत में सम्पादित 35 लाख ई–ट्रांजेक्शन इस बात का प्रमाण हैं कि सामान्य भारतीय नागरिक अपने मूलभूत कार्यों को पूरा करने के लिए लम्बी और बोझिल कतारों में घंटों खड़ा होने के बजाए, वह आज का एक अच्छा औजार मोबाइल सेट का इस्तेमाल करना पसंद करेगा।

बढ़ती आबादी का दबाव और पर्यावरण की चुनौतियों के बीच भारत में खेती और तकनीक के सदुपयोग पर गहन शोध की आवश्यकता है। विगत् कुछ योजनाओं ने निश्चित तौर पर किसानों को कुछ राहत पहुंचाई है। इसमें ग्रामीण जीवनशैली के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सामाजिक रहन–सहन, स्थानीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई–गवर्नेंस आदि में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों जैसे जमीनों के नक्शे और उसके स्वामित्व या टैक्स संबंधी सूचना, रेलवे टिकट बुकिंग, अस्पतालों की ओ.पी.डी. सुविधाओं तक पहुंच जैसी कई सुविधाएं, सरल और सहज रूप में उपलब्ध होने लगी हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांव में ही दैनिक जीवन की जरूरत वाली सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। आज गांवों में हर क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों की झलक साफ देखी जा सकती है।

(अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला सागर, म.प्र.)
ई–मेलः neeraj_gautam76@yahoo.co.in

Mc Graw Hill Education

सिविल सेवा परीक्षा 2016

हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 425/-

ISBN: 9780071329477

₹ 295/-

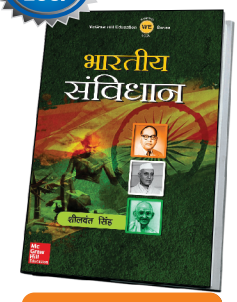

ISBN: 9789339222734

₹ 510/-

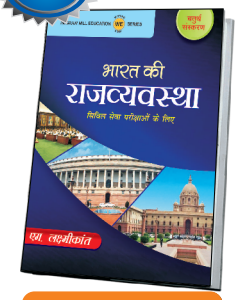

ISBN: 9789351342663

₹ 330/-

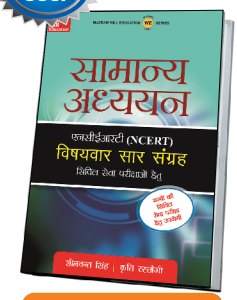

ISBN: 9781259064166

₹ 1450/-

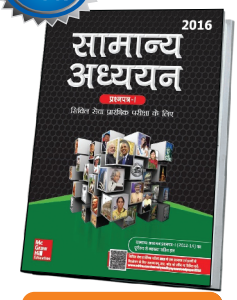

ISBN: 9781259098864

₹ 995/-

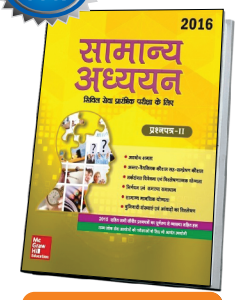

ISBN: 9789339224189

₹ 395/-

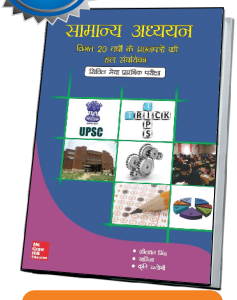

ISBN: 9789385880179

₹ 550/-

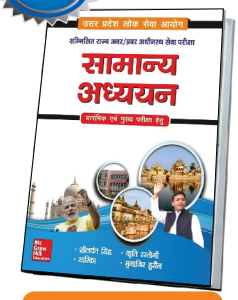

ISBN: 9789339224998

₹ 595/-

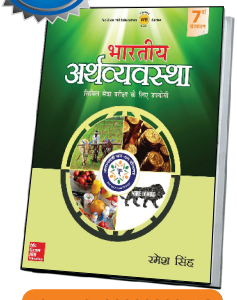

ISBN: 9789339222710

₹ 395/-

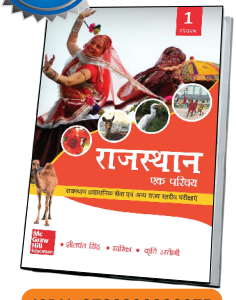

ISBN: 9789339220075

Prices are subject to change without prior notice.*

Mc Graw Hill Education

मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर-63, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301

SHIPPING FREE Above ₹500/-

संपर्क करें @ /McGrawHillEducationIN /mheducationIN /company/mcgraw-hill-education-india

टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

मेक इन इंडिया से बदलेगी गांवों की तकदीर

—सतीश सिंह

"मेक इन इंडिया" से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सरकार को एक निश्चित रूपरेखा बनाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दर्शन "मिनीमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" का है, जिसका अर्थ है देश में सुशासन कायम किया जाए और लालफीताशाही को खत्म करके डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाए। अगर ऐसा होता है तो देश के दूरदराज के इलाकों में भी "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने पर ही देश के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। अपने 10 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से प्रधानमंत्री नौकरशाहों के मनोबल में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में सुधार, नये विचारों का स्वागत एवं उनके समीचीन होने पर उन पर अमल, कामकाज में पारदर्शिता, टेंडर और अन्य सरकारी कामों के लिए ऑनलाइन बोली, मंत्रालयों के बीच तालमेल, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए प्रणाली के तहत काम करना, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर काबू, बुनियादी ढांचे में सुधार, निवेश बढ़ाने पर जोर, नीतियों व योजनाओं के अमल में समय–सीमा का ध्यान, सरकारी नीतियों में स्थायित्व तथा निरंतरता आदि कार्य करना चाहते हैं।

"मेक इन इंडिया" की संकल्पना का आगाज इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के स्वतन्त्रता दिवस पर की और ठीक इसके 40 दिनों के अंदर इसे अमलीजामा पहनाने की दिशा में अग्रसर कार्रवाई भी शुरू की गई।

"मेक इन इंडिया" एवं किए जा रहे प्रयास

"मेक इन इंडिया" का अर्थ ऐसी वस्तुओं या उत्पादों से है जिसका निर्माण भारत में किया गया हो। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि भारत में बिकने वाली हर वस्तु पर "मेड इन इंडिया" लिखा हुआ हो। यह तभी संभव हो सकता है जब सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाए। मौजूदा समय में भारत में बनी वस्तुओं की संख्या नगण्य है, जिसके कारण भारत को लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से करना पड़ता है। आयात अधिक

एवं निर्यात कम होने के कारण भारत में हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति बनी रहती है। विविध वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, जिसका अर्जन तभी हो सकता है, जब भारत निर्यात में बढ़ोतरी करे और यह तभी संभव हो सकता है जब "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को पूरी तरह से साकार किया जाए। सरकार "मेक इन इंडिया" को एक योजना की शक्ल देना चाहती है। इसलिए सरकार की योजना इस संकल्पना के फलीतार्थ को पूरी दुनिया में पहुंचाने की है। इसके लिए सरकार भारतीय दूतावासों की मदद ले रही है।

इस योजना की सफलता के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कारोबारियों आदि की भी सहायता ले रही है। सरकार ने खुद भी इस योजना के लिए 930 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार फिलहाल इस योजना के लिए 581 करोड़ रुपये देगी और पूरी योजना पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि "मेक इन इंडिया" से भारत को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, जिसमें परमाणु ऊर्जा समेत अनेक दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना

"मेक इन इंडिया" के सपने को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "इंवेस्ट इन इंडिया" नाम की वेबसाइट लांच की है। माना जा रहा है कि इस वेबसाइट की मदद से विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए लुभाया जा सकेगा। दरअसल, सरकार इस वेबसाइट की मदद से निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहती है। इस वेबसाइट की मदद से सरकार नियामक प्रक्रिया पर भी निगाह रख सकती है। सरकार ने इस वेबसाइट में कारोबारियों के सवालों व समस्याओं के निदान के लिए जानकार लोगों की एक टीम को जोड़ा है, ताकि कारोबारियों की समस्याओं का निदान 72 घंटों के अंदर किया जा सके।

राज्य सरकारों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को साकार करने के लिए देशी एवं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन आयोजित करेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास पूंजी की कमी है इसलिए ऐसा करना जरूरी है। सरकार खुद से "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को साकार नहीं कर सकती है। इसके लिए उसे विदेशी एवं देशी निवेशकों की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए, सरकार निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार उन कंपनियों को विशेष तरजीह देना चाहती है जो नई तकनीकों से लैस हैं। इस क्रम में सरकार ने 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें कैपिटल गुड्स, तकनीक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं, की पहचान की है जिनमें भारत विश्व की अगुआई कर सकता है।

इस बीच, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ढांचे को सरल बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश के विलय का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन इस संशोधन के दायरे से बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र को अलग रखा गया है, क्योंकि इन्हें 'संवेदनशील क्षेत्र' माना जाता है। अभी रक्षा क्षेत्र में पोर्टफोलियो निवेश 24 प्रतिशत एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तक किया जा सकता है, जबकि सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी संस्थागत निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्रमशः 49 एवं 74 प्रतिशत तक किया जा सकता है। बहरहाल, इस संशोधन के बाद 49 प्रतिशत तक के पोर्टफोलियो निवेश के लिए क्षेत्रीय नियामकों से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में तेजी आने की संभावना है।

"मेक इन इंडिया" अभियान का आगाज होने के बाद से अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वार्षिक आधार पर 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच भारत में 19.84 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था, जो पिछले साल की समान अवधि में 13.4 अरब डॉलर था। गौरतलब है कि वित्तवर्ष 2014–15 में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में 1.11 लाख करोड़ रुपये निवेश किए थे, जो 2013–14 में महज 79,708 करोड़ रुपये थे। नए साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40 से 45 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है।

क्षेत्रों का चयन

"मेक इन इंडिया" की सफलता के लिए सरकार ने कुछ उद्योगों को चिन्हित किया है, जिसमें वाहन, वाहन कलपुर्जे, रक्षा, अंतरिक्ष, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण उपकरण, बुनियादी ढांचा, रसायन व पेट्रो–रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, दवा, कपड़ा, औद्योगिक उपकरण, विनिर्माण आदि शामिल होंगे। राज्य सरकारों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि "मेक इन इंडिया" के चिन्हित क्षेत्रों जैसे वाहन, वाहन कलपुर्जे, रक्षा, अंतरिक्ष, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण उपकरण, बुनियादी ढांचा, रसायन व पेट्रो–रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, दवा, कपड़ा, औद्योगिक उपकरण, विनिर्माण आदि क्षेत्र में कार्य करेंगे।

मेक इन इंडिया का प्रभाव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले वर्ष शुरू किए गए "मेक इन इंडिया" के नतीजे इस साल दिखने शुरू हो गए हैं और

देश में स्टार्टअप्स और ई–कॉमर्स उद्योग में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप्स के तहत सरकार ने कारोबारियों को ढेर सारी रियायत देने की घोषणा की है, जिसमें कर में छूट, लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को आसान, लाइसेंस राज से मुक्ति, कारोबार शुरू करने एवं बंद करने में आसानी, पर्यावरण से जुड़ी अनुमति पाने की प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से "मेक इन इंडिया" की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। क्लिक जॉब्स डॉट कॉम के अध्ययन के मुताबिक 2016 में तकरीबन 12 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

2015 में सबसे अधिक नौकरियों का सृजन करने वाले क्षेत्रों में आईटी, ई–कॉमर्स, दूरसंचार, खुदरा, ढांचागत क्षेत्र, स्वास्थ्य व फार्मा, बैंकिंग एवं वित्त, मीडिया व मनोरंजन, शिक्षा आदि क्षेत्र शामिल रहे हैं। क्लिक जॉब्स डॉट कॉम की रिपोर्ट में साफतौर पर कहा गया है कि 2016 में नये कर्मचारियों की भर्ती की वृद्धि दर 45 प्रतिशत रह सकती है, वहीं वेतन वृद्धि की दर 20 से 30 प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्लिक जॉब्स डॉट कॉम के अनुसार 2016 में "मेक इन इंडिया" की पहल से विमानन उद्योग, मीडिया व मनोरंजन, शिक्षा, आईटी और ई–कामर्स में तेज वृद्धि रहने की संभावना है।

घरेलू कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा

"मेक इन इंडिया" की सफलता के लिए शुरुआती दौर में सरकार घरेलू कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीद रही है। इस आलोक में सरकार ने अपने मंत्रालयों एवं अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे देशी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयास करें। सरकार चाहती है कि देश में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का फिलहाल आयातन किया जाए, ताकि घरेलू कंपनियों के उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने में मदद मिल सके। हालांकि, सरकार घरेलू कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। इस संबंध में सचिवों की एक समिति ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को उत्पाद के साथ उसके मूल्य से संबंधित संपूर्ण विवरण अंकित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सभी मंत्रालय और विभागों को चाहिए कि वे खरीददारी के लिए घरेलू उत्पादों की पहचान करें और हर पखवाड़े के अंत में उसके बारे में संबंधित अधिकारियों व मंत्रालयों को सूचित करें, ताकि मामले में अपेक्षित परिणाम निकले।

माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू सामानों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार यह भी चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग की ओर से जारी टेंडरों के लिए ड्राफ्ट मसौदे का सख्ती से अनुपालन किया जाए। विभागों को यह भी कहा गया है कि खरीददारी के लिए ऑनलाइन प्रणाली का निर्धारण किया जाए, ताकि मामले में कोई गड़बड़ी न हो।

फायदे

"मेक इन इंडिया" के सपने के साकार होने से वस्तुओं का निर्माण देश में होगा, जिससे उनकी कीमत कम होगी। विदेशों से वस्तुओं का आयात करने से उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उत्पादों को विदेश से लाने में हुए खर्च को भी उत्पादों की कीमत में शामिल किया जाता है। अगर किसी वस्तु का निर्माण देश में होगा तो देश के लोगों की जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ निर्यात से देश में विदेशी मुद्रा आएगी, आय में इजाफा, अंतर्देशीय व्यापार में मुनाफा, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी, विकास दर में इजाफा, अर्थव्यवस्था में मजबूती, रोजगार दर में वृद्धि आदि संभव हो सकती है। "मेक इन इंडिया" से हमारा देश 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बन सकता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो सकती है। सरकार चाहती है कि "मेक इन इंडिया" की मदद से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़कर 16 से 25 प्रतिशत, 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन, घरेलू मूल्य संवर्धन

स्टैंड अप इंडिया

स्टैंड अप इंडिया को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2016 को मंजूरी दे दी। स्टैंड अप इंडिया की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में राष्ट्र को संबोधित करते हुए की थी। इस घोषणा का मकसद समाज के सभी लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना था। इसलिए, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कारोबारियों को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। योजना को लागू कराने में बैंकों की अहम भूमिका होगी। बैंकों को समाज के हाशिये में रहने वाले इन तीनों वर्गों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी होगी। हर बैंक शाखा को प्रत्येक वर्ग को ऋण सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

इस योजना के तहत तकरीबन 2.5 लाख लोगों को ऋण सुविधा दिए जाने का लक्ष्य है, जिसे योजना के शुरू होने के 36 महीनों के अंदर पूरा करना होगा। साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्जदारों को बैंकों द्वारा तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, कर्ज 7 सालों के लिए दिया जाएगा, मार्जिन मनी 25 प्रतिशत होगी, कर्ज 10 लाख से 100 लाख तक दिया जा सकेगा। बैंक पर एनपीए का और बोझ नहीं पड़े, इसलिए कर्ज को सरकार ने अपनी क्रेडिट गारंटी द्वारा सुरक्षित बनाया है।

आदि संभव हो। इसलिए, इस पूरी प्रक्रिया को ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों के समग्र विकास के लिए समुचित कौशल के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है।

रोजगार के अवसरों में इजाफा

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान (एनएसएसओ) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के संदर्भ में रोजगार के अवसरों में बीते सालों कमी आई थी। वर्ष 2005 में 29 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा था, जोकि 2012 में घटकर 22 प्रतिशत हो गया। विगत वर्षों में आई मंदी की वजह से भी रोजगार के अवसरों में कमी आई थी। अर्थव्यवस्था की पतली हालत की वजह से भी कुछ साल पहले निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। इस वजह से भारत में फ्लेक्सिबल स्टाफिंग का चलन शुरू किया गया। इस संकल्पना को मोटे तौर पर संविदा आधारित नौकरी के तौर पर देखा जा सकता है। इसके तहत अस्थायी तौर पर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी), राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा आजकल इस तरह की नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

स्पष्ट है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे भारत का विकास "मेक इन इंडिया" के बिना संभव नहीं हो सकता है। इक्कीसवीं सदी में भी हमारे देश में रोजगार कार्यालय खोले जा रहे हैं। फिर भी, अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहा है। रोजगार के अभाव में युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बहरहाल, माना जा रहा है कि "मेक इन इंडिया" से रोजगार के अवसरों में जबर्दस्त इजाफा आएगा और जब ग्रामीण, कस्बाई एवं शहरी इलाकों में कुटीर उद्योग आकार लेने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा।

गरीबी को दी जा सकती है मात

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया से भुखमरी खत्म करने के लिए प्रति व्यक्ति सालाना 160 डॉलर, यानी तकरीबन 10,000 रुपये की जरुरत होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने कहा है कि 2030 तक विश्व से स्थायी तौर पर भुखमरी को खत्म करने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवेश करने एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 267 अरब डॉलर प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी। ऐसा होने से गरीबों को दो वक्त की रोटी मिलेगी, जिससे उनके जीवन–स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा। एफएओ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने अपनी साझा रिपोर्ट में कहा है कि अगर पन्द्रह वर्षों में सभी औसतन 160 डॉलर प्रतिवर्ष आय अर्जित करते हैं तो भुखमरी पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। आज की तारीख में विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 30 करोड़ लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, जबकि यहां एक परिवार के लिए प्रतिदिन दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए महज 100 रुपये की

स्टार्ट अप इंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में स्टार्ट अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत के युवा नौकरी खोजने वाले के बजाय रोजगार पैदा करने वाले बनें। उन्होंने कहा कि यदि एक स्टार्ट अप सिर्फ 5 लोगों को भी रोजगार दे तो यह भी राष्ट्र की बड़ी सेवा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्ट अप को पहले तीन साल तक लाभ पर आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी।

स्टार्ट अप इंडिया को "मेक इन इंडिया" की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। "मेक इन इंडिया" का सपना साकार करने के लिए स्टार्ट अप इंडिया की जरूरत है। दरअसल, प्रधानमंत्री इस योजना की मदद से देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, विकास दर में इजाफा आदि लाना चाहते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन देश में अनुकूल माहौल नहीं होने या कारोबार शुरू करने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा, कारोबारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों के लिए अनेक रियायतों की घोषणा की है।

इस योजना के तहत कारोबारियों को स्वसत्यापन की सुविधा, निरीक्षण में 3 सालों की रियायत, पेटेंट आवेदन शुल्क में 80 प्रतिशत तक की कटौती, पेटेंट नियमों को सरल, नए उद्यमियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण, सरकारी खरीदारी में कारोबारियों को समान अवसर, कारोबारियों की सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत, कारोबार बंद करने के लिये आसान शर्ते, सार्वजनिक–निजी साझेदारी के लिए 35 नए इनक्यूबेटर, राष्ट्रीय संस्थानों में 31 नए नवाचार केंद्र, 7 नए अनुसंधान पार्क, 5 बायो–क्लस्टर, सेक्टर केंद्रित इनक्यूबेटर, प्रयोगशाला, कारोबारियों के कारोबार में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, कर में छूट, लाइसेंस राज से मुक्ति आदि सुविधाएं कारोबारियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

जरुरत होती है, लेकिन इतना कमाना भी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। माना जा रहा है कि "मेक इन इंडिया" के तहत सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे वे अपनी आजीविका चलाने में समर्थ हो सकेंगे।

बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर

ग्रामीण भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग निवास करते हैं। ग्रामीण भारत में कृषि ही रोजगार का एकमात्र विकल्प है। कुटीर उद्योगों के अभाव में लोगों की निर्भरता कृषि पर लगातार बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में छदम रोजगार की स्थिति बनी हुई है। एक इंसान की क्षमता वाले काम को अनेक लोग मिलकर कर रहे हैं। खेती–किसानी में दो वक्त रोटी का इंतजाम करना आज मुश्किल हो गया है। खेती–किसानी के दौरान रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए किसानों को वित्तीय मदद की जरुरत होती है, जिसकी पूर्ति के लिए किसानों को अक्सर महाजन की शरण में जाना पड़ता है। दरअसल, भारत में खेतीबाड़ी आज भी भगवान भरोसे है। ग्रामीण भारत में कृषि कार्य हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है।

आधारभूत संरचना की कमी को दूर करने, रोजगार में बढ़ोतरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती, खेती–किसानी की बेहतरी आदि के लिए ही सरकार ने "मेक इन इंडिया" की संकल्पना का आगाज किया है। इस दिशा में स्वयंसहायता समूह (एसएचजी), वित्तीय संस्थान आदि की मदद से "मेक इन इंडिया" के कार्यों को गति दी जा सकती है। वैसे, इस दिशा में प्रयास पहले से किए जा रहे हैं, लेकिन उसे गति देने की जरूरत है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी एसएचजी छोटे स्तर पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वे जूते व चप्पल, बर्तन, कपड़े, घरेलू जरूरत की वस्तुएं, पापड़, अचार, कुर्सी–टेबल आदि बना रहे हैं, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बने हुए होते हैं।

शहरों में सरस मेले में इन सामानों की बानगी को देखा जा सकता है। अगर सरकार इन सामानों की बिक्री के लिए प्रयास करे या प्रोत्साहन दे तो मौजूदा स्थिति में बदलाव आ सकता है। हालांकि, सरकार इस संदर्भ में अनेक कल्याणकारी योजनाएं जैसे, पीएमईजीपी, एसजीएसवाई आदि चला रही है, जिससे इस तरह के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इन प्रयासों को तब तक पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जब तक स्वदेशी सामानों के समुचित विपणन एवं बिक्री की व्यवस्था न की जाए। हमारे देश में मानव संसाधन की कमी नहीं है। देश में वैसे लोग भी बेरोजगार हैं, जिनके पास बड़ी–बड़ी डिग्रियां एवं ज्ञान दोनों हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिलने के कारण वे अपना योगदान देश के विकास में नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लोग "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को स्वरोजगार के माध्यम से साकार कर सकते हैं।

लोगों को आत्मनिर्भर एवं देश में समावेशी विकास को गति देने के लिए ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1918 में हथकरघा की मदद से घर–घर में हाथों से कपड़ा बनाने का आह्वान किया था। इस आलोक में खादी के कपड़ों का व्यापक–स्तर पर निर्माण करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था। जाहिर है, जब घर के सभी सदस्य मिलकर कपड़ा बुनेंगे तो घर की आमदनी में इजाफा, बचत को बढ़ावा, परिवार को दो वक्त की रोटी का मिलना, दूसरे पर से निर्भरता का समापन आदि संभव हो सकेगा। जब गांव के सभी लोग इस मार्ग पर चलने लगेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, देश में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। गांधी जी चाहते थे कि इस हुनर को देश के हर गांव में विकसित किया जाए, ताकि देश में कोई बेरोजगार न रहे, क्योंकि इस तकनीक में नाममात्र पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी इस विधि का अनुसरण करके आत्मनिर्भर बन सकता है।

निष्कर्ष

बेशक, हमारे पास "मेक इन इंडिया" से जुड़े अनेक विकल्प हैं। इसकी सफलता के लिए प्रयास करने के साथ–साथ हमें अपनी मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। हम बिना दूरगामी विचार किए विदेशों खासकर चीन में बने सामानों का इस्तेमाल करते हैं। हालात इतने खराब हैं कि आज देश के गली–मोहल्लों में चादर, देवी–देवता, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री आदि जो चीन में बने होते हैं, का उपभोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। बिना बिल के इन सामानों को खरीदने में कभी भी हमें अपने कर्तव्यों का अहसास नहीं होता है। इसलिए, जरूरत हमें अपनी मानसिकता को भी बदलने की है।

"मेक इन इंडिया" से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सरकार को एक निश्चित रूपरेखा बनाने की जरूरत है। इस दिशा में सरकार को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से काम करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दर्शन "मिनीमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" का है, जिसका अर्थ है देश में सुशासन कायम किया जाए और लालफीताशाही को खत्म करके डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाए। अगर ऐसा होता है तो देश के दूरदराज के इलाकों में भी "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा।

(लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पटना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक मुख्यधारा की पत्रकारिता में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है और विगत चार वर्षों से पत्र–पत्रिकाओं के लिए मुख्य तौर पर आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)

ई–मेल : satish5249@gmail.com/singhsatish@sbi-co-in

सूचना तकनीक से गांवों में उद्यमिता का नया माहौल

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार तकनीकों को आधार बनाते हुए उद्यमिता का नया माहौल पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला कई रूपों और क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। 'महिला शक्ति' नामक एक परियोजना को ही देखिए जिसके तहत मोबाइल फोन का इस्तेमाल निचले स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। किसानों को खेती और मौसम से जुड़ी जानकारियां देने वाली किसान संचार परियोजना हो या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क उपलब्ध प्रसव सेवाओं की जानकारी देने वाली 'माइ हेल्थ, माइ वॉयस' परियोजना हो, दूरसंचार तकनीकों ने नई सोच और नए जज़्बे को जन्म देने में योगदान दिया है। इनमें से हर एक की अपनी अहमियत है। 'एडुवार्ता' नामक मोबाइल सूचना सेवा बेरोजगार युवकों को नई नियुक्तियों की जानकारी मुहैया कराने में जुटी है तो कच्छ की 'हैलो सखी' परियोजना घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रही है।

जिस अंदाज में भारत के गांवों में मोबाइल फोनों और मोबाइल माध्यमों से इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, उससे संकेत मिलते हैं कि ग्रामीण भारत में दूरसंचार क्रांति की संभावना महज एक संभावना मात्र नहीं है। भारत के गांवों में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में कनेक्टेड उपभोक्ताओं की मौजूदगी तमाम तरह की सरकारी, कारोबारी और सामाजिक सेवाओं की सहज डिलीवरी का जबर्दस्त तंत्र खड़ा करने में सक्षम है। संभवतः इसी संभावना का जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस समय किया था जब उन्होंने मोबाइल गवर्नेंस को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक करार दिया था।

दूरसंचार तकनीकों के दूरगामी प्रभावों के बारे में प्रधानमंत्री की दृष्टि स्पष्ट है। मोबाइल फोन एक ऐसी तकनीकी युक्ति है जिसे खरीदना अधिकांश भारतीय नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल

नहीं है। आज बहुत–सी कंपनियों के स्मार्टफोन तीन–चार हजार रुपये तक या उससे भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। बाजार में मौजूद प्रतिद्वंदिता के मद्देनजर सामान्य भारतीयों तक ऐसे उत्पादों की पहुंच का बढ़ते चले जाना तय मानकर चल सकते हैं। इन गैजेट्स में दूरसंचार के साथ–साथ कामचलाऊ कंप्यूटिंग क्षमताएं और इंटरनेट के उपयोग की क्षमताएं मौजूद हैं। इनका उपयोग करने के लिए बिजली की जरूरत बेहद सीमित है और एक बार चार्ज होने के बाद ये बिना बिजली के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हें जन सेवाओं की डिलीवरी के वैकल्पिक माध्यम के रूप में देखा है। यह एक उपयोगी ख्याल है क्योंकि गांवों में घर–घर कंप्यूटर और इंटरनेट पहुंचाने की चुनौती आज भी काफी बड़ी है। बिजली की समस्या भी हल होनी बाकी है। ऐसे में मोबाइल फोन के रूप में हमारे पास एक ऐसा सशक्त तकनीकी माध्यम मौजूद है जो घर–घर सूचनाएं और सेवाएं पहुंचाने में सक्षम है। क्यों न इसका राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए? क्यों न दूरसंचार उपकरण और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आम नागरिकों तथा हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में किया जाए? क्यों न सरकार और ग्रामीण जनता के बीच संपर्क के माध्यम के रूप में दूरसंचार तकनीक को बढ़ावा दिया जाए?

घटनाक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भी भारत की लगभग दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। तकनीकी विकास हो या फिर आर्थिक तरक्की, इस आबादी को साथ लिए बिना हम एक इकाई के रूप में देश के आर्थिक विकास को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते। प्रश्न उठता है कि इस आबादी तथा शहरी आबादी के बीच विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अंतराल को कैसे पाटा जाए जो बेहतर शिक्षा, रोजगार और आधारभूत ढांचे तक ग्रामीणों की पहुंच में बाधाएं खड़ी करता है। दूरसंचार तकनीकों का प्रसार इस चुनौती का समाधान करने में मदद कर सकता है।

दूरियों के खत्म होने और संपर्क बढ़ने का सीधा परिणाम अवसरों के बढ़ने से माना जाता है। 120 देशों में बीस साल की अवधि के दौरान किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ था कि जिन क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्कों का ज्यादा प्रसार हुआ है वहां गरीबी का अनुपात अपेक्षाकृत कम है।

संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट के निदेशक जैफ्री सैच्श ने अपनी किताब 'गरीबी का अंत' (द एंड ऑफ पॉवर्टी) में लिखा था कि मोबाइल फोन विकास के लिए अकेली सबसे महत्वपूर्ण रूपांतरकारी तकनीक है। सैच्श लिखते हैं कि गरीबी काफी हद तक उपेक्षा और अंतराल से ताल्लुक रखती है। ज्यादातर इलाकों में वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं, बाजार आदि से दूरी पर निर्भर करती है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी इसी उपेक्षा या अलग–थलग कर दिए जाने की प्रवृत्ति का समाधान कर रही है।

मैकिन्सी के एक अन्य अध्ययन में कहा गया कि दूरसंचार सेवाओं में दस फीसदी के प्रसार से संबंधित क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर में औसतन 0.06 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन यही बात जब मोबाइल दूरसंचार के बारे में कही जाती है तो डेलोइट नामक सलाहकार फर्म के अध्ययन के अनुसार यही आंकड़ा बढ़कर 1.2 फीसदी तक पहुंच जाता है। स्पष्ट है कि सामान्य दूरसंचार सेवाओं की तुलना में मोबाइल टेलीफोन का आर्थिक प्रभाव कहीं ज्यादा है।

हो सकता है कि दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार और आर्थिक विकास के बीच सीधे संबंध को आपने महसूस न किया हो लेकिन इसे इस तरह समझा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास और मोबाइल टेलीफोन के प्रसार के बीच एक किस्म का सामंजस्य दिखाई देता है। जब से सकल घरेलू उत्पाद के बेहतर आंकड़े आ रहे हैं, दूरसंचार सुविधाओं के प्रसार ने भी तेजी पकड़ी है। यह बात शहरों के साथ–साथ गांवों पर भी खरी उतरती है, हालांकि वहां कुछ अन्य पहलू भी अहमियत रखते हैं, जैसे मानसून।

हाल के वर्षों में इंटरनेट आधारित सेवाओं और सूचनाओं तक ग्रामीणों की पहुंच पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। वे शिक्षा के बारे में बेहतर ढंग से जागरूक हो रहे हैं और अच्छे शिक्षण संस्थानों से सीधे संपर्क करने की स्थिति में आ रहे हैं। रोजगार और कारोबार के नए अवसरों की जानकारी उन तक पहुंच रही है। वे भौतिक दूरियों और सीमाओं से आगे बढ़ते हुए सरकारी सेवाओं का उपभोग करने की स्थिति में आ रहे हैं। ई–कॉमर्स वेबसाइटों के ग्राहकों में ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही है। चिकित्सा सुविधाएं और कृषि संबंधी जानकारियां अब ज्यादा तेजी और आसानी से उन तक पहुंच पा रही हैं। बीपीओ जैसे रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। अहम बदलाव यह है कि ग्रामीण लोग भी किसी न किसी रूप में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की स्थिति में आ रहे हैं। संवाद एकपक्षीय नहीं रह गया है। जागरुकता पर किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं रह गया है लेकिन यह तो अभी शुरुआत है।

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के तहत होने वाले इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का आंकड़ा 2015 में दुगुना हो गया था। इससे जाहिर है कि उपभोक्ताओं–ग्रामीण और शहरी के बीच इन सेवाओं की पैठ बढ़ रही है। यह आंकड़ा सरकारी वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ईताल) के माध्यम से आया है जो केंद्र और राज्य सरकारों की ई–गवर्नेंस परियोजनाओं

के क्रियान्वयन पर नजर रखती हैं। ईताल के आंकड़ों के अनुसार 2014 में जहां ई–गवर्नेंस से संबंधित माध्यमों पर 3.53 अरब सौदे दर्ज किए गए थे वहीं 2015 में इनकी संख्या 6.95 अरब थी। यह बदलाव तकनीक के प्रति बढ़ती सहजता का द्योतक है।

इस संदर्भ में एक और पहलू पर गौर करना जरूरी है। दूरसंचार कंपनियों के लिए शहरी बाजार धीरे–धीरे ठहराव की स्थिति में आ रहा है जबकि ग्रामीण भारत में कारोबार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। अभी भी आधी से ज्यादा ग्रामीण आबादी तक मोबाइल दूरसंचार सुविधाओं का पहुंचना बाकी है। निजी क्षेत्र के लिए ग्रामीण इलाकों पर फोकस करना एक अनिवार्यता बन रही है जहां आधारभूत दूरसंचार ढांचे का निरंतर विकास जरूरी होगा। इसमें से रोजगार के नए अवसर तो निकलेंगे ही, सूचना और दूरसंचार तकनीकों को केंद्र में रखते हुए नए कारोबार और नई सुविधाएं भी निर्मित होंगी। इधर 3जी और 4जी मोबाइल तकनीकों के प्रसार और उपलब्धता से ग्रामीण इलाकों के लोग बेहतर किस्म की सेवाओं का उपभोग करने की स्थिति में आएंगे। ये तकनीकें ई–शिक्षा, ई–चिकित्सा, लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी, इन्फोटेनमेंट आदि को गांव–गांव तक पहुंचाने में योगदान देंगी। ऐसी सेवाएं धीरे–धीरे ग्रामीण जनता की अपनी भाषा में भी आएंगी।

केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया परियोजना को ग्रामीण भारत में दूरसंचार सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकार ने डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में दूरसंचार ढांचे के प्रसार को दूसरी वरीयता दी है। चालीस हजार से अधिक गांवों में 16 हजार करोड़ रुपये की लागत से सर्वत्र कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य पांच साल की अवधि में पूरा किया जाना है।

अगर दूरसंचार सुविधाओं को ब्रॉडबैंड इंटरनेट मुहैया कराने की मुहिम के साथ जोड़कर देखा जाए तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत में होने वाले क्रांतिकारी बदलाव की तस्वीर साफ हो जाती है। डिजिटल इंडिया के तहत ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जानी है। इतना ही नहीं, कुछ बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों की तकनीकों के जरिए और भी ज्यादा बड़ी संख्या में गांव डिजिटल तकनीकों से जुड़ने वाले हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत में डिजिटल माहौल की शुरुआत हो चुकी है।

मोबाइल क्रांति के आगमन या उसकी आहट ने गांवों में दूरसंचार तकनीक के इर्द–गिर्द उद्यमिता और नवाचार को भी प्रोत्साहित किया है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में सक्रिय मेरा मोबाइल, मेरा साथी नामक परियोजना जिसके तहत ग्रामीणों को शिक्षा, चिकित्सा और दूसरे सामाजिक मुद्दों पर मोबाइल संदेश भेजकर जागरुकता पैदा की जाती है।

उड़ीसा में मोबाइल दूरसंचार प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने की परियोजना शुरू हुई है। वीमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशियो कल्चरल अवेयरनेस (वोस्का) नामक संगठन इस परियोजना का क्रियान्वयन करता है। इसके सदस्य, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी हैं, को मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर काम की जानकारियां दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत कौन से नए काम किए जाने हैं, कहां रोजगार की गुंजाइश निकल रही है, इसकी जानकारी उसके पात्र लोगों तक पहुंचाया जाना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली सामग्री का सही ढंग से वितरण हो रहा है या नहीं, इसके बारे में भी संदेशों का दोतरफा लेनदेन होता है। ये सूचनाएं बाद में सरकारी अधिकारियों के साथ बांटी जाती हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाती है।

आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं बहुत–सी हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी उद्यमी इन्हें शुरू कर रहे हैं और अच्छी परियोजनाओं को पहचान कर पुरस्कार भी दिए जाने लगे हैं। यह दिखाता है कि ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार तकनीकों को आधार बनाते हुए उद्यमिता का नया माहौल पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में यह सिलसिला कई रूपों और क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, यह मानकर चलिए।

किसानों को खेती और मौसम से जुड़ी जानकारियां देने वाली किसान संचार परियोजना हो या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध प्रसव सेवाओं की जानकारी देने वाली 'माइ हेल्थ, माइ वॉयस' परियोजना हो, दूरसंचार तकनीकों ने नई सोच और नए जज़्बे को जन्म देने में योगदान दिया है। इनमें से हर एक की अपनी अहमियत है।

जहां–जहां सूचनाओं और सुविधाओं की कमी है, दूरसंचार तकनीकें वहां सकारात्मक हस्तक्षेप कर सामाजिक बदलाव का वाहक बन सकती हैं। बदलाव तमाम तरह के हैं– सामाजिक भी, व्यावसायिक भी, राजनैतिक भी (हमने पिछले कुछ चुनावों में मोबाइल आधारित संदेश सेवाओं का असर देखा है), आर्थिक भी। वे नागरिकों के स्तर पर भी हैं, संगठनों के स्तर पर भी, प्रशासन के स्तर पर भी और सरकारों के स्तर पर भी। दूरसंचार तकनीकों में हमारे ग्रामीण जनजीवन की तस्वीर बदल देने की क्षमता है और आने वाले वर्षों में संभवतः हम इसी को घटित होते हुए देखेंगे।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विषय के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : balendudadhich@gmail.com

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

—अरविंद सिंह

सरकार की नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2016 में किसानों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह फसल बीमा किसानों का भाग्य बदल देगी। इसकी विशेषता यह है कि किसान खेतों में खड़ी फसल, कटाई के बाद खलिहान में पड़ी उपज अथवा बुवाई के बाद पौधों-पैडी का बीमा करा सकेंगे। सरकार की कम प्रीमियम, बड़े बीमा वाली यह योजना किसानों की क्रय-शक्ति में इजाफा करेगी। प्राकृतिक आपदा में नष्ट होने वाली फसलों का 100 फीसदी मुआवजा मिलेगा और वह भी महज 15 फीसदी प्रीमियम अदा करने पर। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें शेष पांच गुना प्रीमियम राशि 50: 50 के हिसाब से वहन करेंगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी और किसानों को इसका लाभ खरीफ फसल से मिलना शुरू हो जाएगा। नई फसल बीमा योजना के मुताबिक रबी फसल की बीमा का प्रीमियम 1.5 फीसदी रखा गया है और खरीफ फसलों का प्रीमियम दो फीसदी रखा गया है। वहीं, बागवानी व व्यावसायिक फसलों का बीमा प्रीमियम 5 फीसदी होगा। किसान अपनी उपज का औसतन 150 फीसदी तक फसल बीमा करा सकेंगे। उम्मीद है कि यह बीमा योजना सरकार की देश के किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह नई फसल बीमा को किसानों के लिए 'अमृत योजना बता रहे हैं। नई फसल बीमा में खेतों में बुवाई से लेकर कटाई और उपज घर तक लाने का बीमा होगा। नई बीमा योजना में खलिहान में पड़े अनाज का भी बीमा किया जाएगा। वहीं, वर्तमान की फसल बीमा में सिर्फ खड़ी फसल का बीमा किया जाता है। इसका प्रीमियम 15 फीसदी तक है। 11 फीसदी कैपिंग के चलते किसानों को उपज नुकसान का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। यही कारण है कि देश के 23 फीसदी किसानों ने ही फसल बीमा कराया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कैपिंग को हटा देने से प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने पर किसानो को 100 फीसदी उपज का मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं सरकार 90 फीसदी तक किसान की आर्थिक मदद करेगी। यानी प्रीमियम की राशि अधिक होने पर सरकार 90 फीसदी तक आर्थिक मदद करेगी। इसके अलावा सरकार फसल नुकसान के आंकलन के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल करेगी। इसमें तहसील व ब्लॉक–स्तर पर कर्मचारियों को स्मार्ट फोन मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु

लोहिड़ी, पोंगल एवं बीहू जैसे त्यौहारों के शुभ अवसर पर सरकार ने किसानों को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। यह योजना अप्रैल 2016 से लागू होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी, 2016 को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को मंजूरी दी, जो किसानों के कल्याण के लिए लीक से हटकर एक अहम योजना है। किसानों के लिए बीमा योजनाएं समय–समय पर बनती रही हैं, किंतु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत ही हो सका है। सभी योजनाओं की समीक्षा कर, अच्छे फीचर शामिल कर और किसान हित में नए फीचर्स जोड़कर, फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से बेहतर है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	2.0%
2	रबी	1.5%
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें	5%

- वर्ष 2010 से प्रभावी संशोधित एन.ए.आई.एस. में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी आनुपातिक रूप से कम हो जाती थी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में धान की फसल के लिए 22 प्रतिशत वास्तविक प्रीमियम था। किसान को 30 हजार रुपये की बीमित राशि पर कैप के कारण मात्र 900 रुपये और सरकार को 2400 रुपये प्रीमियम देना पड़ता था। किंतु शत–प्रतिशत नुकसान की दशा में भी किसान को मात्र 15 हजार रुपये की दावा राशि प्राप्त होती।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार बीमित राशि पर 22 प्रतिशत वास्तविक प्रीमियम आने पर किसान मात्र 600 रुपये प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपये का प्रीमियम देगी। शत–प्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपये की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। अर्थात उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपये से कम होकर 600 रुपये। दावा राशि 15000 रुपये के स्थान पर 30 हजार रुपये।
- बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है, उसे दावा राशि मिल सकेगी।
- ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को 'स्थानीय आपदा' माना जाएगा। पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जलभराव (पानी में डूब) हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट ऑफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुकसान कितना है। इस कारण कई बार नदी–नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।
- पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी ।
- योजना में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे कि फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी।

सेटेलाइट की मदद से ड्रोन से इस प्रक्रिया को जोड़ा जाएगा। नई बीमा योजना में फसल के नुकसान की 25 फीसदी राशि का भुगतान तुरंत होगा और 30–45 दिन के भीतर शेष 75 फीसदी राशि जारी कर दी जाएगी।

कृषि मंत्रालय ने अगले तीन साल में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 फीसदी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है। पहले साल यानी 2016–17 में 30 फीसदी किसानों को नई फसल बीमा में शामिल किया जाएगा। इससे सरकार पर लगभग 5700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दूसरे साल में यह दायरा बढ़कर 40 फीसदी किया जाएगा। अतिरिक्त आर्थिक बोझ 7400 करोड़ रुपये हो जाएगा। अंतिम साल में 50 फीसदी किसानों को नई फसल बीमा में लाने पर सरकार 8800 करोड़ रुपये वहन करेगी। वर्तमान में 23 फीसदी किसान फसल बीमा कराते हैं। बताते हैं कि देश के 14 करोड़ किसानों को फसल बीमा में शामिल करने पर आर्थिक बोझ 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। आगजनी अथवा जानवरों के नुकसान करने पर फसल बीमा नहीं मिलेगा। भूमिहीन व लीज पर खेती करने वाले किसानों को नए बीमा में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में राज्य व जिलों में अलग–अलग बीमा योजनाएं लागू हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में एक जैसी होंगी और इसका प्रीमियम भी समान होगा। बड़े राज्यों में दो बीमा कंपनियां व छोटे राज्यों मे एक बीमा कंपनी योजना में शामिल की जाएगी।

एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 80 फीसदी किसान मौसम के रहम पर खेतीबाड़ी करते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा आदि पड़ने पर उन्हें फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है। बीमा नहीं कराने वाले 46 फीसदी किसान फसल बीमा की जानकारी रखते हैं, लेकिन उनकी इसमें रुचि नहीं है। वहीं 24 फीसदी किसानों को फसल बीमा की जानकारी नहीं है जबकि 11 फीसदी बीमा का प्रीमियम देने में असमर्थता जताते हैं।

वर्तमान में राज्य सरकारों की फसल बीमा योजना के अजीबो–गरीब नियमों के कारण किसान इससे दूरी बनाए हुए हैं। कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, सूखा आदि पड़ने पर ब्लॉक–स्तर पर असर होने पर बीमा का क्लेम दिया जाता है। जबकि कई राज्य तालुका–स्तर पर इसका असर होने पर किसानों को बीमा क्लेम देते हैं। इसमें हजारों गांव शामिल होते हैं। ब्लॉक–तालुका के कुछ हिस्सों में (सैकड़ों गांव) प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं दिया जाता है। यानी जिलों में बड़े सामूहिक रूप से फसलों के प्रभावित होने पर ही किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल पाता है। इस विसंगति के कारण किसान फसल बीमा कराने से दूर भागते हैं।

अभी बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा होने पर बीमा कंपनियां किसानों की पिछले दस साल की उपज व आय का औसत आंकलन करती हैं। इसके आधार पर बीमा क्लेम तय किया जाता है। बीमा कंपनियां विभिन्न फसलों के मुताबिक किसानों से 1.5 से 3.5 फीसदी प्रीमियम वसूलती हैं। इसके बावजूद किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिल पाता है। फसल बीमा योजना में क्लेम का 33 फीसदी हिस्सा बीमा कंपनी देती हैं। जबकि शेष राशि का 50 : 50 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारें व केंद्र सरकार बीमा कंपनियों को सब्सिडी के रूप में देती हैं। इसलिए अधिकांश राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने से कन्नी काटती हैं। मौजूदा बीमा कंपनियां प्राकृतिक आपदा की जानकारी रेडियो, अखबारों, टेलीविजन आदि से प्राप्त करती हैं। उनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है जिससे वह पता लगा सकें कि देश के किस हिस्से में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप कितना हुआ है। कंपनियां फसलों के नुकसान की जानकारी के लिए लेखपाल, कृषि अधिकारी पर निर्भर रहती हैं। प्रीमियम लेने वाले किसानों से उनका कोई संपर्क नहीं होता है।

(लेखक दैनिक हिंदुस्तान में विशेष संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं।)
ई–मेलः arvindsingh1234@gmail.com

गांवों को जोड़ते विकास के नए रास्ते

—प्रमोद जोशी

ग्रामीण सड़कों का विस्तार होने से सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर असर पड़ा है। बच्चों और खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्कूलों के अलावा अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, खेतों तक पहुंच बेहतर हुई है। किसानों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बेहतर बीज और खादों की उपलब्धता बढ़ी है। इलाके में बाजारों का विस्तार होने और बाजार तक व्यापारियों की पहुंच बढ़ने से उपभोक्ता सामग्री का उपभोग भी बढ़ा है। इससे स्थानीय कारीगरों को काम मिलता है। साथ ही, यदि स्थानीय कौशल से बेहतर उत्पाद तैयार हो सके तो उसके लिए बाहरी पूंजी निवेश भी बढ़ता है। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं।

''सरज़मीने हिन्द पर आवामे आलम के 'फिराक'/काफिले बसते गए, हिन्दोस्तां बनता गया''। फिराक गोरखपुरी ने भारत निर्माण की कहानी थोड़े से शब्दों में बयान कर दी है। ये काफिले बस नहीं पाते यदि इन्हें रास्ते न मिले होते। भारत के विस्तार की कहानी उन रास्तों में छिपी है, जो देश के दूरदराज इलाकों तक चले गए हैं। इन्हीं रास्तों से हम देश की अंतरात्मा तक प्रवेश करते हैं और इन्हीं से होकर अब लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। सम्पर्क में रहना इंसान की फितरत है। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को करीब लाने में मदद की। इससे माल, सेवा और रोजगार के नए बाजार खुले। इक्कीसवीं सदी में समूची दुनिया एक–दूसरे के करीब आने को बेताब है। खासतौर से भारत जैसे विकासशील देशों में सम्पर्क और संचार की आंधी आने वाली है। हमारा अनुभव है कि जो बेहतर तरीके से जुड़ा है, वह विकसित और सम्पन्न है। जिसके सम्पर्क सूत्र ठीक से नहीं जुड़ पाए, वह इस दौड़ में पीछे रह गया।

महानगरों, नगरों, कस्बों और गांवों की परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण मानक उनका सम्पर्क सूत्र है। कुछ शहर देखते ही देखते महानगरों में तब्दील हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी कनेक्टिविटी। सड़क, रेललाइन, टेलीफोन लाइन, बिजली–पानी और अब इंटरनेट इस सम्पर्क के बुनियादी मापदंड हैं। इनके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाएं भी जुड़ी हैं।

दशरथ मांझी का भगीरथ प्रयत्न

बिहार में गया के करीब गहलौर गांव के दशरथ मांझी का नाम हाल में एक फिल्म के कारण प्रसिद्ध हुआ। दशरथ मांझी ने केवल एक हथौड़े और छेनी की मदद से 360 फुट लंबे 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बनाई, जिसकी वजह से अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किमी. से कम होकर केवल 15 किलोमीटर रह गई। इस सड़क को लगातार 22 साल तक मेहनत करके उन्होंने बनाया। दशरथ मांझी अपनी लगन और तपस्या के लिए

याद किए जाते हैं। उन्हें ग्रामीण सड़कों के भगीरथ की तरह याद किया जाना चाहिए।

दशरथ मांझी को पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाते वक्त उनकी पत्नी फगुनी दर्रे में गिर कर मर गई। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई, क्योंकि बाजार दूर था। समय पर दवा नहीं मिल सकी। दशरथ ने संकल्प किया, मैं अकेले दम पर रास्ता निकालूंगा। जब उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उन्हें पागल कहा। कुछ ने उन्हें खाना दिया और औजार खरीदने में मदद भी की। दशरथ मांझी का जुनून व्यक्तिगत प्रयास था, पर उसके पीछे असहायता से लड़ने की कोशिश थी। अविकसित इलाके की सबसे बड़ी पहचान है उसका अलग–थलग होना जैसे दशरथ मांझी का गांव। यह असहायता तभी दूर होगी जब इन गांवों को शेष विश्व से जुड़ने का मौका मिलेगा।

भारत में विकास के लिए उचित सड़क नेटवर्क की जरूरत को आजादी के पहले ही समझ लिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी स्तर पर परिवहन के कारण सड़कों की दशा खराब होने लगी थी। इसे देखते हुए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने अलग–अलग प्रांतों के चीफ इंजीनियरों का एक सम्मेलन सन 1943 में नागपुर में बुलाया। इस सम्मेलन के निष्कर्षों और निर्णयों को नागपुर योजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत देश में अगले 20 वर्षों में मार्ग विकास की एक समन्वित योजना को तैयार किया गया। आधुनिक भारत में सड़कों के विकास का यह पहला समन्वित कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत देश की सड़कों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया। 1. राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), 2. राज्य राजमार्ग(एसएच), 3. मुख्य जिला सड़कें(एमडीआर), 5. अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) और 5. ग्रामीण सड़कें(वीआर)। इनमें आखिरी दो श्रेणियां देश की ग्रामीण सड़क व्यवस्था से जुड़ी हैं। बाद के 20 वर्षों में सड़क विकास योजनाओं में सभी श्रेणियों की सड़कों का निर्माण करके देश में सड़कों का घनत्व बढ़ाए जाने पर पर्याप्त जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

नागपुर के बाद मुम्बई और लखनऊ प्लान आए। देश का कुल सड़क नेटवर्क इस वक्त 48 लाख किलोमीटर के आसपास है, जिसमें ग्रामीण सड़कें 27–28 लाख किलोमीटर के आसपास हैं। इनमें से तकरीबन 10 लाख किलोमीटर सड़कों को तकनीकी लिहाज से सड़क कहना उचित नहीं होगा। सन 2000 में देश के 1500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों की कनेक्टिविटी थी। 1000 से 1500 के बीच की आबादी वाले 86 फीसदी गांव और 1000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में 43 फीसदी गांव सड़क मार्ग से जुड़े थे। इसके बाद सरकारी लक्ष्यों में निरंतर सुधार होता गया। जनवरी 2000 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास की भावी जरूरतों और गांवों से शहरों की और होते तेज पलायन को देखते हुए राष्ट्रीय ग्राम सड़क विकास समिति का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जन्म हुआ।

नवीनतम सड़क विकास योजना विज़न 2021 में जिला–स्तर पर 250 से ज्यादा आबादी वाली सभी बस्तियों को हर मौसम में उपयुक्त सड़कों से जोड़ते हुए नियोजित ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकास पर जोर दिया गया है। नागपुर योजना में तय किया गया कि पूरे देश में सड़कों को स्टार और ग्रिड के पैटर्न पर बनाया जाएगा। एक लक्ष्य यह भी रखा गया कि देश में सड़कों की संख्या इतनी बढ़ाई जाए कि प्रति 100 किलोमीटर घनत्व पर कम से कम 16 किलोमीटर लम्बी सड़कें हों। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जमीन पर 0.66 किलोमीटर की सड़क का घनत्व है, जो चीन और ब्राजील जैसे देशों से बेहतर है। आबादी के घनत्व के हिसाब से यह अच्छा नहीं है।

गरीबी दूर करने का प्रवेशद्वार

हमारे यहां मोटे तौर पर प्रति 1000 की आबादी पर केवल 3.8 किलोमीटर की सड़कें ही हैं। इनमें भी यदि बारहमासी, 4 लेन या 2 लेन वाली सड़कों का अनुपात देखेंगे तो वह बहुत कम मिलेगा। 27–28 लाख किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों में 20 से 25 फीसदी के बीच सड़कें ही साल के बारहों महीने

चलने लायक हैं। ग्रामीण सड़कों की इस खराब स्थिति के कारण किसानों की तकरीबन 30 फीसदी फसल को सही कीमत नहीं मिल पाती, बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है और बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। गरीबी दूर करने का प्रवेशद्वार ये सड़कें हैं। जब तक इन्हें व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबी दूर करने के दूसरे प्रयास सफल नहीं होंगे।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि भारत में ग्रामीण सड़कों पर किया गया एक करोड़ रुपये का निवेश 1650 लोगों को गरीबी के फंदे से मुक्त कराता है। भारत में ही नहीं इसी संस्था के चीन में किए गए एक अध्ययन से पता लगा कि ग्रामीण सड़कें बनाने पर खर्च किए गए 1200 डॉलर से 11 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं। इसी तरह सन 2002 में वियतनाम में किए गए सर्वेक्षण से पता लगा कि बारहमासी सड़कों के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली आबादी में गरीबी का अनुपात कम होता है। लगभग ऐसे ही निष्कर्ष आंध्र के एक सर्वेक्षण में सामने आए हैं।

हाल में जम्मू–कश्मीर के करगिल इलाके की एक खबर राष्ट्रीय अखबारों में देखने को मिली। करगिल शहर से 20 किलोमीटर दूर नियंत्रण रेखा के पास के गांव लाटू तक मोटर चलाने लायक सड़क आने पर जश्न मनाया गया। लोगों की निगाह में सन 1947 में आजाद होने के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। गांव के 'चाचा' असगर अली ने बताया कि गांव के लोग अपने करीब बने एक पुल से जुड़ने को इतने व्यग्र थे कि उन्होंने अपनी कोशिशों से 4 किलोमीटर लम्बा रास्ता बनाकर उस पुल से खुद को जोड़ लिया। सड़कों और पुलों से जुड़ने की यह ललक देश के दूरदराज के हर गांव के मन में है।

देश से कटी तीन चौथाई आबादी

सन 2000 में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) शुरू हुई उस समय देश की लगभग 40 प्रतिशत बस्तियां बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ी हुई थीं। यानी देश की लगभग 75 फीसदी आबादी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सीधा सम्पर्क नहीं था। जो रास्ते थे भी, उनमें से काफी को सड़क कहना अनुचित होगा। जो सड़कें बनी भी थीं, वे रखरखाव का इंतजाम न हो पाने के कारण खराब हो रही थीं। शुरुआती वर्षों में सड़कों के निर्माण के पीछे स्थानीय और राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते थे। मसलन चुनाव जीतने के लिए सड़क बनाने का वादा। अक्सर सड़क की वरीयता तय करते वक्त वास्तविक स्थिति की उपेक्षा हो जाती थी।

इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरु हुई। यह पूरी तरह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार हमारे यहां राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सड़कें राज्यसूची में हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोर नेटवर्क में शामिल तथा सड़क मार्गों से न जुड़ी 500 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर, मरुभूमि क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा पिछड़े जिलों में 250 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य है। इरादा खेत से सीधे बाजार तक सड़क संपर्क सुनिश्चित करने का है। इसके तहत वर्तमान रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के उन्नयन की व्यवस्था भी है। इनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित योजना सन 2000 के पहले कभी ठीक से बन ही नहीं पाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) इस दिशा में पहला बड़ा कदम था।

इसके बाद सन 2007 में 'ग्रामीण सड़क विकास विज़न–2025' सामने आया। पीएमजीएसवाई का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और क्रास–ड्रेनेज की मदद से) से जोड़ना। पीएमजीएसवाई शुरू करते वक्त कुछ बातें परिभाषित भी कर दी गईं। यानी इसके कुछ बुनियादी नियम भी तय कर दिए गए। इस कार्यक्रम के लिए इकाई राजस्व गांव अथवा पंचायत न होकर एक बसावट या बस्ती है। ग्राम, ढाणी, टोला, पुरवा, मजरा, हैम्लेट आदि बसावटों की व्याख्या के लिए सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। इस कार्यक्रम के लिए इकाई राजस्व गांव अथवा पंचायत न होकर एक बस्ती है। एक राजस्व गांव या ग्राम पंचायत में एक

पर्यावरण-मित्र पहल

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मनरेगा के तहत वृद्ध और विकलांग महिलाओं तथा वैध जॉब कार्डधारी स्त्रियों ने सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का काम किया। उन्होंने केवल वृक्षारोपण ही नहीं इन पेड़ों की देखभाल का काम भी किया। इस प्रयोग से दो–तीन बातें निकल कर आईं। पहली यह कि स्थानीय लोगों को इस काम में अपनापन नजर आया, इससे यह भी साबित हुआ कि वृद्ध और विकलांग स्त्रियां भी कुछ काम कर सकती हैं। लगाए गए पेड़ों की शत–प्रतिशत रक्षा सम्भव हुई। पांच से दस साल बाद इन पेड़ों के फलों के सहारे इस इलाके में एग्रो उद्योग की सम्भावनाएं भी पैदा होंगी। यह पहल पर्यावरण–मित्र तो है ही। ऐसे कार्यों में पंचायतों की भूमिका बढ़ाने से न केवल सड़कों का रखरखाव बेहतर होगा, उनसे जुड़ी किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान भी सम्भव होगा। इसमें जनता की भागीदारी होगी और शायद यह हमारे लोकतंत्र के कुछ नए सूत्रों की ओर इशारा भी करे।

या इससे अधिक बस्तियां हो सकती हैं। इसका लक्ष्य सम्पर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सम्पर्क सड़क प्रदान करना है। बारहमासी सड़क वह है जो सभी मौसम में प्रयोग के लायक होती है। यानी सड़क में उपयुक्त आर–पार नालियों, पुलियों, छोटे पुलों का निर्माण किया गया हो। पैदल पथ हर मौसम में काम में आने लायक होना चाहिए। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि इस पर खड़ंजा लगाया जाए या चौरस बनाया जाए या तारकोल बिछाकर पक्का किया जाए।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार

ग्रामीण सड़कों का विस्तार होने से सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन पर असर पड़ा है। बच्चों और खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्कूलों के अलावा अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, खेतों तक पहुंच बेहतर हुई है। किसानों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बेहतर बीज और खादों की उपलब्धता बढ़ी है। एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि बड़ी संख्या में किशोर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मजदूरी में जा लगे। निर्माण कार्य होने पर इलाके में श्रमिकों की मांग बढ़ी। बावजूद इसके आंकड़े बताते हैं कि कुल मिलाकर स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। इलाके में बाजारों का विस्तार होने और बाजार तक व्यापारियों की पहुंच बढ़ने से उपभोक्ता सामग्री का उपभोग भी बढ़ा है। स्थानीय कारीगरों को काम मिलता है। साथ ही यदि स्थानीय कौशल से बेहतर उत्पाद तैयार हो सकें तो उसके लिए बाहरी पूंजी निवेश भी बढ़ता है। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं।

सड़कों का विस्तार बाजारों को व्यक्तियों से जोड़ता है। ग्राहकों के पास चुनने के लिए ज्यादा वस्तुएं होती हैं। इसी तरह उत्पादक के पास अपना माल बाहर ले जाकर बेचने के बेहतर मौके होते हैं। परिवहन लागत घटती है। इसके अलावा लोगों के बीच सम्पर्क बढ़ने से सूचना का आदान–प्रदान भी बेहतर होता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों का प्रसार होता है, नागरिक अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ती है। सड़कें गांवों से शहरों की और ले जाती हैं यानी पलायन बढ़ाती हैं। पर सड़कें लोगों को पलायन से रोक भी सकती हैं। अपने घर में रोजगार हो तो कोई बाहर क्यों जाएगा?

इन सैद्धांतिक बातों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू होने के बाद के सरकारी आंकड़ों में देखा जाना चाहिए। अभी इस किस्म के सामाजिक अनुसंधान नहीं हुए हैं जो ग्रामीण सड़कों के सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभावों की जांच करें। ऐसे सर्वेक्षणों की अब जरूरत है। सन 2001 से 2010 के बीच पीएमजीएसवाई के कारण देश के तकरीबन 11 करोड़ लोगों को बेहतर रास्ते मिले। यह संख्या देश की कुल ग्रामीण आबादी का 14.5 फीसदी है। सन 2001 की जनगणना के आधार पर देश की कुल सम्पर्क विहीन या 'अनकनेक्टेड' आबादी का 47 फीसदी।

सड़कों के बनने से सबसे बड़ा प्रभाव परिवहन लागत में कमी के रूप में आता है। इससे बाजार में बिकने के लिए जाने वाले माल की कीमत कम होती है। यह बदलाव केवल गांवों पर ही असर नहीं डालेगा। शहरों को भी गांव के काफी उत्पाद मिलने लगते हैं। इनमें सब्जियां, फल तथा दूसरे कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा दस्तकारी का माल भी शामिल है। शहरों के श्रम बाजार को भी ग्रामीण क्षेत्र से आए मजदूर मिलते हैं।

गैर–खेतीहर मजदूरी बढ़ने से गांव की आय बढ़ती है, जिससे उपभोग भी बढ़ता है। दूसरी ओर शहरी बैंकिंग, बीमा और ऋण सेवाएं भी कमोबेश गांव तक आती हैं। ग्रामीण सड़क निर्माण के समन्वय को लेकर भी दिक्कतें हैं, पर देश की विविधता को देखते हुए कई तरह की सम्भावनाएं भी हैं। बेशक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित योजना बनी है, पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कई तरह के कार्यक्रमों के अधीन होता है। इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, एमपीलैंड, आपदा राहत तथा अन्य स्थानीय कार्यक्रम जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के मुकाबले इनमें स्थानीय एजेंसियों की भूमिका ज्यादा है। यों इसके लिए राष्ट्रीय, राज्य–स्तरीय और स्थानीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। फिर भी इसके समन्वय को, मसलों को और खासतौर से स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलने की जरूरत अब भी है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों की भूमिका इसमें बढ़नी चाहिए।

स्थानीय भागीदारी

सड़कों की योजना बनाने, उनके निर्माण और रखरखाव तीनों अवसरों पर स्थानीय भागीदारी होने पर ही इसकी सफलता सम्भव है। इस कार्यक्रम में अभिनव प्रयोग भी किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक की 'ट्रांजेक्ट वॉक' पहल के मार्फत इसका प्रयोग करके देखा भी गया। इसके तहत स्थानीय पंचायतों और समुदायों के प्रतिनिधि पूरे रास्ते पर साथ–साथ जाते हैं। विश्व बैंक इस प्रयोग को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इन सड़कों को बनाने में आधुनिक मेकेनाइज्ड तकनीक के अलावा स्थानीय तकनीक विकसित करने के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ऐसे प्रयोग अफ्रीका के देशों में, चीन और नेपाल में भी हुए हैं। ऐसे ही प्रयोग सड़कों के रखरखाव में भी किए जा सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं; दैनिक हिन्दुस्तान में स्थानीय संपादक के पद से सेवानिवृत्त हुए। फिलहाल मीडिया संस्थानों में अध्यापन कार्य में संलग्न हैं।)
ई–मेल: pjoshi23@gmail.com

ग्रामीण शिक्षा: गतिशीलता से ज्ञान की ओर

—राजेंद्र रवि

दूर होते स्कूल और बालिकाओं की ड्राप-आउट की समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने ''बालिका साइकिल योजना'' आरम्भ की जिससे लड़कियों को स्कूल आने-जाने में सहूलियत तो हुई ही, साथ ही साथ इनके परिवार को भी गतिशीलता का औजार मिल गया। जिन लड़कियों को साइकिलें मिली हैं वे खुद तो इसका इस्तेमाल करती ही हैं साथ ही साथ भाई-बहन और अभिभावक भी करते हैं। आजकल झारखंड के किसी भी ग्रामीण इलाके के विद्यालय परिसर में रंगबिरंगी साइकिलों का जमावड़ा मिल जाएगा और सड़कों पर साइकिल चलाती लड़कियों का समूह भी। साथ-साथ के सफर से उनमें सामूहिकता बढ़ी है और आसपास के माहौल की जानकारी भी। इससे उनके अन्दर सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी और उससे सामना करने की समझ में विस्तार हुआ है। इससे शिक्षा और ज्ञान के आंकड़े में सुधार तो होगा ही, सबसे ज्यादा परिवार और समाज में उनके प्रति नजरिया भी बदल रहा है।

शिक्षा और ज्ञान से गतिशीलता का रिश्ता हमेशा रहा है ताकि विद्यार्थियों को आने–जाने में परेशानी नहीं हो और वे निश्चित होकर अध्यापन कर सकें। यही वजह है कि शिक्षा संस्थान या तो आबादी के आसपास स्थापित हुए या आवासीय। जैसे–जैसे समाज विकसित हुआ, शिक्षा के प्रति ललक और मांग बढ़ी। जिसके लिए सरकार ने नई–नई योजनाएं बनाई, जिसका लाभ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र–छात्राओं को हुआ। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा से दूर होते युवाओं को ध्यान में रखकर अलग–अलग सरकारों ने उन्हें मुफ्त साइकिलें दी और जिन इलाकों में सरकारी बस थी उन इलाकों में मुफ्त सफर का प्रबन्ध किया जिसका व्यापक असर दिखने लगा। परन्तु भारत विविधताओं वाला देश है जिसमें वंचितों की बहुत बड़ी संख्या है। इसमें से आधी आबादी महिलाओं की है। इनके लिए भी सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर कई अभिक्रम हुए ताकि हम समतायुक्त समाज की दिशा के लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें।

भारत में इसकी शुरुआत 19वीं सदी से ही हो गई थी जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूना में जनवरी 1848 में पहली बालिका पाठशाला की स्थापना की थी और इस पाठशाला में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली अध्यापिका थी। फिर तो साल–दर–साल बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ती गई और धीर–धीरे उच्च शिक्षा में भी स्त्री शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। आजादी की लम्बी लड़ाई में स्त्री शिक्षा और समानता अहम सवालों में एक था। गांधी और अम्बेडकर दोनों ने इस सवाल को बार–बार न सिर्फ उठाया बल्कि इसके लिए लगातार कार्यक्रम भी किए जाते रहे। आजादी के बाद हमारे संघीय ढांचे में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और पंचायत के स्तर पर इस समस्या के उन्मूलन के लिए नीति और बजटीय प्रबंधन दोनों किए जाते रहे। परन्तु हमारा मुल्क बहुत बड़ा और वृहद् जनसंख्या वाला है इसीलिए तमाम सरकारी और गैर–सरकारी कोशिशों के बावजूद स्त्री शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में हम पिछड़ते रहे। हमारे देश के

सामने स्त्री शिक्षा को लेकर हमेशा से बहुआयामी समस्या रही है। जहां एक ओर लड़कों की तुलना में लड़कियों की पढाई–लिखाई के प्रति पारिवारिक और सामाजिक दोनों स्तर पर भेदभावपूर्ण रवैया रहा है वहीं दूसरी ओर ऐसी महिलाओं की भी बहुत बड़ी आबादी रही है जो साक्षर भी नहीं हैं। दूसरी ओर हमारी जनसंख्या के फैलाव के हर स्तर पर स्कूल की स्थापना करना और चलाना भी हमारी सरकारी योजनाओं से बाहर रहा है जिसके कारण हमारे समाज की बहुत बड़ी आबादी को स्कूल की "पहुंच" से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि ना तो उनके घर के पास स्कूल है और ना वे स्कूल जा सकती हैं। जाहिर तौर पर यह वंचित तबका हमारी समाज की महिलाएं ही होती हैं। ऐसे हालात में "महिला और गतिशीलता" का सवाल बहुत ही अहम हो जाता है।

5 जनवरी, 1988 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लागू किया जिसका लक्ष्य उन महिलाओं को साक्षर बनाना था जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था और ना कभी किताब–कॉपी ही। फिर भी वह महिलाओं को आकर्षित नहीं कर पा रही थी क्योंकि साक्षरता केंद्र तक आना–जाना उनके लिए कठिन हो रहा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए पोदुकोटी के जिलाधिकारी ने एक पहल की। उन्होंने महिलाओं के समूह को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया और एक–एक साइकिल भी दी। जिलाधिकारी सुश्री शीला रानी चुंकाथ के नेतृत्व को सुश्री कन्नाम्मल का साथ मिला। सुश्री कन्नाम्मल इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी त्याग कर पूरी तरह इस अभियान से जुड़ गई। एक वर्ष के दौरान दो लाख तीस हजार महिलाओं ने शिक्षा ली और एक लाख महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तथा पच्चीस हजार कार्यकर्ता तैयार किए गए। "साइकिलिंग और शिक्षा" के इस अभियान को जिला–स्तर से राष्ट्रीय–स्तर तक इतनी ख्याति मिली कि यूनेस्को जैसी संस्थानों ने इसका अध्ययन करवाया। इन महिलाओं के दैनिक वेतन में एक हजार प्रतिशत की वृद्धि हो गई। साइकिलिंग इस इलाके में आन्दोलन के रूप में विकसित हो गई और साइकिल जत्था, साइकिल रेस तो नित्य दिन का कार्यक्रम हो गया। स्कूल और कॉलेज में साइकिल पार्किंग की जगह कम पड़ने लगी। महिलाओं ने साइकिल पर "सचल पुस्तकालय" स्थापित किया जो घर–घर जाकर महिलाओं को किताबें देती–लेती हैं। साइकिल चलाते हुए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और पैडल की लय से इनके ज्ञान और गतिशीलता का एहसास किया जा सकता है।

ज्ञान और गति का पहिया यही नहीं रुका। दूर होते स्कूल और बालिकाओं को जोड़ने एवं ड्राप–आउट की समस्या से निपटने के लिए झारखंड की सरकार ने "बालिका साइकिल योजना" आरम्भ की जिससे लड़कियों को स्कूल आने–जाने में सहूलियत तो हुई ही, साथ ही साथ इनके परिवार को भी गतिशीलता का औजार मिल गया। जिन लड़कियों को साइकिलें मिली हैं वे खुद तो इसका इस्तेमाल करती ही हैं साथ ही साथ भाई, बहन और अभिभावक भी करते हैं। आजकल झारखंड के किसी भी ग्रामीण इलाके के विद्यालय परिसर में रंगबिरंगी साइकिलों का जमावड़ा मिल जाएगा और सड़कों पर झुण्ड – की – झुण्ड साइकिल चलाती लड़कियों का समूह भी। साथ–साथ के सफर से उनमें सामूहिकता बढ़ी है और आसपास के माहौल की जानकारी भी। इससे उनके अन्दर सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी और उससे सामना करने की समझ में विस्तार हुआ है। इससे शिक्षा और ज्ञान के आंकड़े में सुधार तो होगा ही, सबसे ज्यादा परिवार और समाज में उनके प्रति नजरिया भी बदल रहा है। पहले उनका स्कूल तो छूटता ही था उनकी सामाजिक जान–पहचान भी छूट जाती थी। आज वे कहती हैं कि "अगर मुझे किसी सहेली से मिलने जाना है तो साइकिल उठाई, चल दी जबकि पहले घर के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज कई बार बाजार से सामान लाने, छोटे बहन–भाईयों को स्कूल छोड़ने जैसा काम वे आसानी से करती हैं। इस तरह समय तो बचता ही है सामाजिकता भी बढ़ती है। इस तरह आज वे आत्मनिर्भर हैं।"

झारखंड का सिमडेगा एक पिछड़ा जिला माना जाता है और नक्सल–प्रभावित इलाका भी। लेकिन सुबह–सुबह साइकिल की घंटियों की आवाज और रंगबिरंगी स्कूली पोशाक में झुण्ड के झुण्ड लड़कियों से भरी सड़कों को देखकर "पिछड़ेपन और नक्सली" का भ्रम भी जाता रहता हैं। वहां एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि " साइकिलों की वजह से लड़कियों के जीवन में बहुत फर्क आया है और यह कोई छोटा–मोटा फर्क नहीं है,बहुत बड़ा फर्क है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस फर्क को एक लड़की या स्त्री ही महसूस कर सकती है। साइकिल के पैडल पर उनका पांव रखना ऐसा है मानो उसके पैर की कोई बेड़ी टूट गई हो और वह आजाद हो गई हो। घर में बैठी लड़की मजबूर और बंधी हुई महसूस करती है। लोग उससे सवाल करते हैं तुम स्कूल नहीं जाती हो तो उसे सूझता नहीं क्या जवाब दे, किसे दोष दे। लेकिन जब वह स्कूल जाती है तब वह रोज कुछ–न–कुछ सीखती है,सहेलियों से मिलती है, शिक्षिकाओं से मिलती हैं तो उनके दिमाग के कपाट खुलते हैं। फिर जब साइकिल की सीट पर बैठकर रास्ते–रास्ते गुजरकर आती हैं तो उन्हें शिक्षा के साथ ज्ञान का सामना होता है। इसलिए साइकिल चलाना एक भौतिक क्रिया भर नहीं है उसका असर बहुआयामी है।"

यह भी सही है कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव भी है लेकिन एक बार पांव घर से बाहर आने का असर दिखने लगता है और वे लड़कियां अपने अभिभावकों से जिद्द और

मान–मनौअल करके इसकी भरपाई ट्यूशन सेंटर में करती हैं। यही वजह है कि झारखंड के हर छोटे–बड़े कस्बे में छोटे–छोटे ट्यूशन सेंटर खूब फल–फूल रहे हैं।

बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहां की सामाजिक बेड़ियों ने अपनी ही लड़कियों को जकड़ कर रखा हैं लेकिन आजकल यहां की लड़कियां पिंजरा लिए उड़ रही हैं। सरकार ने साइकिल दी, लड़कियों ने असर दिखाया। हवा की तरह लहराती साइकिल के झुण्ड में लड़कियां सुबह–सबेरे घर से निकल जाती हैं उन्हें न अब समाज डराता है न सड़क पर मनचले लड़कों की फिक्र होती है। कभी जरुरत पड़ती है तब ऐसे लोगों को सबक सिखाने से भी नहीं हिचकती हैं। सरकार ने शिक्षा में लैंगिक संतुलन और स्कूल छोड़ने की बढ़ रही समस्या से निपटने के लिए लड़कियों को मुफ्त साइकिलें उपलब्ध करवाई। जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ी और स्कूल में उनकी उपस्थिति तथा कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी। लेकिन इसका असर चतुर्दिक हुआ, लड़कियां अपने भविष्य के प्रति पहले से ज्यादा सतर्क और चौकस हो गई। इसका सबसे ज्यादा असर समाज के वंचित तबकों के अन्दर देखा जा सकता है। जो लड़कियां उच्च शिक्षा की ओर नहीं जा पा रही हैं, नौकरी तथा स्वरोजगार की ओर उन्मुख होने लगी हैं। लड़कियां अब अपनी शादी के बारे में भी सचेत हो रही हैं। वह परिवार को इस बात के लिए राजी कर रही हैं कि जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाती हैं तब तक शादी को टाल दिया जाए। इस सिलसिले में कई बार उन्हें कड़े विरोध को भी सहना पड़ता है। सरकार ने पंचायतों में अलग–अलग समूह की महिलाओं के लिए अलग से सीटों को आरक्षित किया जिसका लाभ भी इन लोगों ने उठाया। उनका मानना है कि "राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए भागीदारी जरुरी है।" यह शिक्षा का असर है कि ग्राम–सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी जिससे उनकी गुणवत्ता में बदलाव आया। कहां जाता था कि "लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो डरकर निकलती हैं।" बिहार की लड़कियों ने गतिशीलता का उपयोग करते हुए शिक्षा और ज्ञान को तो बढ़ाया ही, सामाजिक–राजनैतिक भागीदारी में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेकर इस मिथक को भी तोड़ा है जिसकी झलक यहां की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखने से मिलती है।

जब किसी सामाजिक योजना का लाभ राजनैतिक परिणाम भी देने लगता है तब ऐसी योजनाओं का विस्तार देश के अलग–अलग इलाकों में होने लगता है और यह लाजिमी भी है। पंजाब की सरकार ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ रही छात्राओं को चार लाख सोलह हजार साइकिलें बांटी हैं। इस योजना का नाम "माइ भागो विद्या योजना" है। सरकार ने कहा है कि "यह राज नहीं सेवा" है। पश्चिम बंगाल की सरकार आठवीं और दसवीं के विद्यार्थियों को चालीस लाख साइकिलें देगी। इस योजना से राज्य भर की उन छात्राओं को मदद मिलने की सम्भावना है जो स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि घर और स्कूल दूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल की ओर से हर जिलाधिकारी के माध्यम से साइकिल वितरण की योजना चलाई जाती है। तमिलनाडु में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक विभाग यह योजना चलाता है। हरियाणा सरकार सिर्फ दलित समूह की छात्राओं को साइकिल देती है जो नौवीं और ग्यारहवीं क्लास में पढ़ रही हैं। असम में बीपीएल परिवारों की लड़कियों को एक लाख तीस हजार साइकिलें दी गई हैं जो आठवीं और दसवीं में पढ़ रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार सरस्वती साइकिल योजना और मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के तहत साइकिलें देती हैं। महाराष्ट्र सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं को साइकिलें प्रदान करती है। इसके लिए हर जिला की जिला परिषद जिम्मेदारी निभाती है। यह सब राज्य सरकारें अपने विद्यालयों में घटते हुए विधार्थियों की संख्या, खास कर लडकियों के ड्रापआउट की समस्या को कम करने के प्रयास के तहत कर रही हैं। इसके कुछ सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह हो रही है कि अब छात्राएं स्कूल और रास्ते में आत्मविश्वास और ताकत के साथ दिखती हैं। यह सब इसलिए होता हुआ दिख

रहा है क्योंकि सरकार ने शिक्षा को गति देने के लिए साइकिल का साथ लिया है।

ऐसा नहीं है कि सब कुछ इतनी सरलता से ही स्वीकार हो रहा है कही–कही इसका प्रबल विरोध भी होता है। कई जगह सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा है। यदि अच्छी योजनाएं भी सरकार सख्ती से लागू नहीं करती है तब लोगों को कैसे फायदा होगा और यथास्थितिवादियों से सरकार कैसे निपटेगी जो परम्परा के नाम पर अपना वर्चस्व बनाए रखकर अपना स्वार्थ साधते हैं। इस तरह की समस्याएं सिर्फ भारत में ही नहीं हैं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हैं जहां की महिलाएं गतिमयता से वंचित होने के कारण समाज की मुख्यधारा से पीछे रह जाती हैं। यह वहां के समाज और सरकार पर निर्भर है कि इससे उन्हें कैसे निजात दिलाती है।

एक ताजी घटना जापान की है। यहां एक गांव है होकाइदो। इस गांव में एक लड़की रहती है जिसे गांव से दूर क्लास करने जाना होता था। सरकार ने वहां से चलने वाली रेल को बंद कर दिया क्योंकि इस रेल से कोई भी नहीं आता–जाता था। रेल बंद होने से उस लड़की का स्कूल आना–जाना रुक गया। जब इस बात की जानकारी सरकार को हुई तब सरकार ने इस ट्रेन को पुनः शुरू करवाया। इतना ही नहीं ट्रेन की टाइमिंग उस छात्रा के स्कूल आने–जाने के समयानुसार रखी। सरकार ने रेल विभाग को यह हिदायत दी है कि इस ट्रेन को तब तक जारी रखा जाए जब तक इस छात्रा की पढाई पूरी नहीं हो जाती है। जापान जैसे विकसित मुल्क में भी इस तरह चुनौतियां आती हैं लेकिन उसे हल करने के उनके अपने तरीके हैं और हमारे अपने।

अब जब भारत और जापान कई मुद्दों पर एक साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम उनसे भी कुछ ऐसी बातें सीखें जो हमारे समाज और देश के लिए फायदेमंद हो और समस्याओं से निजात दिलाती हों। आज हमारा समाज एक तेजी से बढ़ता हुआ समाज है लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "हम जो भी कर रहे हैं उससे समाज के अंतिम जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।" यही गांधी का जंतर है।

(लेखक इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी,दिल्ली से जुड़े हैं तथा शहरीकरण और गतिशीलता के सवालों पर अध्ययन–लेखन करते हैं)
ई–मेल : rajendraravi1857@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की बयार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

किसानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की चुनौतियां

—गिरेन्द्रनाथ झा

गांव-गांव तक हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने का काम अभी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण संपर्क की मूलभूत जरूरतें मसलन सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के संग अब तो हम डिजिटल नेटवर्क की भी बातें करने लगे हैं। किसान समाज को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने के लिए सरकार भी कदम बढ़ा रही है। वह चाहे किसानों के लिए मोबाइल एप्प हो या फिर इंटरनेट के जरिये पंचायत-स्तर तक सरकारी कामकाजों को जोड़ना हो। लेकिन इन सबके बावजूद जब हम ग्रामीण संपर्क की बात करने बैठते हैं तो लगता है कि अभी भी हम किसी मोड़ पर गांव से दूर हैं हालांकि सरकार दूरियां पाटने में लगी है।

हम सब बचपन से यह वाक्य पढ़ते आए हैं – भारत की आत्मा गांवों में बसती है लेकिन क्या हमने कभी इस वाक्य के भीतर जो भाव बसा हुआ है उस पर बात की है ? यह एक बड़ा सवाल है। जिस आत्मा की बात हम करते आए हैं उसे संवारा कैसे जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि देश की करीब 70 फीसदी से ज्यादा आबादी अभी भी गांवों में रहती है।

दरअसल गांव–गांव तक हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने का काम अभी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण संपर्क की मूलभूत जरूरतें मसलन सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के संग अब तो हम डिजिटल नेटवर्क की भी बातें करने लगे हैं। किसान समाज को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने के लिए सरकार भी कदम बढ़ा रही है। वह चाहे किसानों के लिए मोबाइल एप्प हो या फिर इंटरनेट के जरिये पंचायत–स्तर तक सरकारी कामकाजों को जोड़ना हो। लेकिन इन सबके बावजूद जब हम ग्रामीण संपर्क की बात करने बैठते हैं तो लगता है कि अभी भी हम किसी मोड़ पर गांव से दूर हैं हालांकि सरकार दूरियां पाटने में लगी है।

किसानों की मूलभूत जरूरतों को समझने के लिए किसानी कर रहे लोगों के साथ वक्त बिताना

होगा। जो योजनाएं बनती हैं उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए किसानों से बात करनी होगी। एक छोटा–सा उदाहरण है किसानों के लिए कृषि विभाग ने मौसम विभाग के साथ मिलकर जो मोबाइल एप्प बनाया, उसके बारे में अभी भी करोड़ों किसान अनजान हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि मोबाइल एसएमएस या वॉयस सेवा के बारे में कई किसान जानते भी नहीं हैं। जबकि सरकार किसानों को जागरूक बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही है।

कृषि मौसम एसएमएस 160 से कम अक्षरों में किसानों को मौसम की भविष्यवाणी और कृषि संबंधी अन्य विषयों की जानकारी प्रदान करता है। इसकी विषय–वस्तु स्थानीय स्थितियों और जरूरतों के मुताबिक होती है। लेकिन इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना होगा। निचले पायदान पर जो किसान समाज है वहां तक मोबाइल की पहुंच बनानी होगी। उन्हें बताना होगा कि यह सेवा क्या है। ग्रामीण संपर्क की बातें करते हुए हमें इन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा।

हालांकि सरकार किसान पोर्टल के माध्यम से मौसम की रिपोर्ट से लेकर खाद की जानकारी, सबसे बढ़िया तौर–तरीकों आदि की जानकारी किसानों को देना चाह रही है। कृषि में मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। एक करोड़ से अधिक किसानों को सचेत करने और सूचना देने के लिए 550 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए लेकिन किसानों को कितना लाभ मिला, इस पर भी बात होनी चाहिए।

ग्रामीण भारत के विकास और जुड़ाव की जब हम बातें करते हैं तब सबसे पहले हमारा ध्यान खेतों पर जाता है जहां लहलहाती फसलों को समय पर सिंचाई की जरूरत होती है। लेकिन यह दुःख की बात है कि यहां किसानों को निराश होना पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए योजना बना रही है। एक किसान के तौर पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाएगी। इस योजना का विज़न यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी ना किसी तरह के सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की 'प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार' मिले।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके जरिए गांवों की तस्वीर बदलने लगी है।

सरकारी मशीनरी के साथ ही स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर–सरकारी संगठनों ने लोगों को जागरूक करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी प्रावधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालयों में स्वच्छता के लिए पंचायतें भी स्वयं के संसाधनों से अंशदान कर सकती हैं। ग्रामीण संपर्क की एक धारा स्वच्छ भारत भी है। गांव तक सफाई की बात पहुंचे, ग्रामीण समाज साफ–सफाई का ख्याल रखे इसके लिए योजनाओं को ईमानदारी से गांव तक पहुंचाना होगा।

हालांकि स्वच्छता अपनाने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विद्यालयों के बच्चों से लेकर आम आदमी अब मानने लगा है कि स्वच्छता अपनाए बिना स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में जागरुकता अभियान चला कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया जाना चाहिए लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण कई इलाकों में यह अभियान सही तरीके से ग्रामीणों इलाकों में नहीं चल पाया। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान को लेकर लोग पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। जबकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर घर–घर शौचालय का निर्माण किया जाना है। लेकिन लंबी विभागीय प्रक्रिया और सरकारी कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाए जाने की वजह से लोग शौचालय बनाने से कतरा रहे हैं।

अभी तक हम ग्रामीण विकास की बात करते हुए सड़क–बिजली तक ही सिमटे थे लेकिन अब कई मोर्चों पर किसान के संग

सरकार है लेकिन किसानों को भी जागरूक होना होगा। वहीं सरकार को भी योजना के क्रियान्वयन में व्यावहारिक पक्षों पर ध्यान देना होगा।

पिछले साल जुलाई की पहली तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत की थी। इस दौरान सरकार ने डिजिटल क्रांति को लेकर अपनी बात रखी। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को नौ क्षेत्रों में बांटने की कोशिश की है। एक ग्रामीण के तौर पर सरकार की जिस बात को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में हूं वो है ब्रॉडबैंड हाइवे। इसके तहत देश के आखिरी घर तक ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में सबसे पहला जो सवाल कौंध रहा है वो है गांव तक कैसे ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। दरअसल ब्रॉडबैंड हाइवे की शुरुआत आप्टिक फाइबर नेटवर्क से होती है। ऐसे में गांव–गांव तक फाइबर नेटवर्क का तार बिछाना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। उन गांवों तक सरकार को पहुंचना होगा जहां तक अभी भी न सड़क पहुंच पाई है और न बिजली।

डिजिटल इंडिया का नारा व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत ही पसंद है लेकिन क्या बिहार या देश के अन्य राज्यों के उन गांवों को तुरंत इसमें शामिल किया जा सकेगा जो अभी भी विकास की रोशनी से दूर हैं। यह एक बड़ा सवाल है। मैंने खुद अपने गांव चनका में सोशल मीडिया मीट का आयोजन किया था। लोगों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई थी। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कॉनसेप्ट की तारीफ भी की थी लेकिन सभी ने हाइ स्पीड इंटरनेट पर सवाल उठाया था, आखिर कैसे इंटरनेट गांव में सुगम हो पाएगा, अच्छी स्पीड के संग।

डिजिटल इंडिया के तहत सरकार पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम की बात कह रही है। लेकिन जरा सोचिए जिस गांव में बिजली और सड़क नदारद है वहां तक आप ऐसे ख्वाब कैसे पहुंचाएंगे। यदि पहुंचाते भी हैं तो कितना वक्त लगेगा आपका, यह समझना होगा। हर पंचायत तक इस योजना को पहुंचाना कठिन चुनौती है। सरकार ई–गवर्नेंस की भी बात कर ही रही है। इसका अर्थ ये है कि वो सरकारी दफ्तरों को डिजिटल बनाना चाहती है और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का ख्वाब रखती है। इन सभी को अमलीजामा पहनाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। सरकार को हर सरकारी कर्मचारी को डिजिटल कार्यक्रम से रूबरू कराना होगा।

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ई–क्रांति की बात कह रही है। मैं इस क्रांति को अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। मैं खुद गांव में रहकर स्मार्ट फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूं, इंटरनेट के माध्यम से देश–विदेश के लोगों से जुड़ता हूं लेकिन ऐसा हर कोई करेगा, इसकी क्या गारंटी है। हर किसी के पास फोन, हर किसी के पास मोबाइल या कम्प्यूटर की सुगमता चुनौती है। जिस देश में अभी भी अन्न–जल चुनौती है। जहां हर दिन लाखों लोगों का चूल्हा आज भी बड़ी मुश्किल से जल रहा है वहां डिजिटल उपकरण की उपलब्धता की गारंटी देना सपना लगता है। तमाम विरोधाभासों के बावजूद एक नए सुबह की हम आशा रख ही सकते हैं।

सरकार इस मुहिम को हर गांव तक ले जाना चाहती है। इसके तहत शुरू में कुछ गांवों में से एक में सरकारी कम्प्यूटर हब होंगे, जहां जाकर ग्रामीण उस कम्प्यूटर पर लॉग इन कर सकते हैं। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों में से एक है। ये उनके दो बड़े प्रोजेक्ट यानी मेक इन इंडिया और स्किल्ड इंडिया से जुड़ा है।

वैसे सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत यह महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) को पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी ग्रामीण संपर्क सुविधा परियोजना माना जा रहा है। इसके तहत देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एनओएफएन का जाल बिछने पर देश के 60 करोड़ ग्रामीण नागरिक लाभान्वित होंगे।

एक ग्रामीण के तौर पर, जिसे डिजिटल इंडिया के नारे से प्रेम है, जो इंटरनेट के जरिए अभी भी अपना काम गांव–देहात से कर रहा है, वह चाहता है कि सरकार इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मिशन मोड में काम करे। गांव–गांव, कस्बे–कस्बे तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर काम करना होगा। आधारभूत ढांचे का निर्माण करना होगा। इसमें भारी खर्च होगा। डिजिटल फाइबर केबल पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में केबल बिछाना होगा। पहाड़ों, नदियों, जंगलों से होकर हर गांव तक केबल ले जाना कितना कठिन काम है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। लेकिन हम एक नागरिक के तौर पर तो सरकार पर विश्वास कर ही सकते हैं।

एक किसान के तौर पर मेरा मानना है कि ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए सरकार और ग्रामीण समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। पंचायत को डिजिटल बनाना होगा साथ ही गांव वालों को हर योजना के बारे में विस्तार से बताना होगा। कागजी कामकाज को अब पीछे छोड़कर डिजिटल करना होगा। बिजली–सड़क और सफाई पर विशेष ध्यान रखना होगा तब जाकर ही शहर और महानगरों से ग्रामीण संपर्क की कड़ी मजबूत हो पाएगी।

(लेखक युवा पत्रकार और किसान हैं। दैनिक जागरण और कई अन्य संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। ग्रामीण और खेतीबाड़ी के मुद्दों पर लिखते रहते हैं।)
ई–मेलः girendranath@gmail.com

राष्ट्रीय जुड़ाव में ग्रामीण पर्यटन का योगदान

—डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

ग्रामीण पर्यटन वह सशक्त तथा प्रभावी माध्यम है जो देश के सांस्कृतिक एवं आर्थिक ताने-बाने को प्रगाढ़ता से जोड़ता है। यह ग्रामीण पर्यटन ही है जो सारे देश में विविधता के साथ एकता को अनुप्राणित करता है क्योंकि गांवों में आज भी अजनबी को मेहमान मानकर स्वागत एवं सहायता करना एक परम्परा और गर्व की बात है। गांवों में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने ढाबों की दाल का स्वाद न तो किसी फाईव स्टार होटल में मिलता है और न ही घर की रसोई में। इसी तरह कुम्हार के चाक पर हाथ आजमाने या चंग पर थाप लगाने का सुख तो गांवों में ही नसीब होगा। राजस्थान के गांवों में साफा बांधने की प्रतियोगिता से लेकर रेतीले टीबों में सिर पर पानी से भरा मटका लेकर दौड़ लगाने तथा खाट पर बैठकर प्याज-रोटी-चटनी खाने का शौक तो ग्रामीण पर्यटन ही पूरा कर सकता है।

वैश्विक—स्तर पर भारत की पहचान एक ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले ऐसे शांतिप्रिय देश की है जो ऐतिहासिक निरन्तरता के साथ—साथ पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सभी प्रमख विरासतों से भरपूर है। इनमें हिमालयी बर्फ से लेकर कन्याकुमारी के त्रिसागरों तक, राजस्थान के मरुस्थल एवं किलों—महलों से लेकर असम की ब्रह्मपुत्र एवं पूर्वोत्तर की जनजातियों तक तथा दिल्ली—मुम्बई की चकाचौंध से लेकर सांची के शांत बौद्धस्तूपों तक पर्यटन स्थलों की एक अंतहीन श्रृंखला विद्यमान है। यह भारत का सौभाग्य है कि न तो ईश्वर ने इसे प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान करने में कोई कमी रखी और न ही इतिहास के पन्नों में दर्ज शासकों ने कोई कसर बाकी रखी। सभ्यता एवं संस्कृति का ऐसा सुन्दर संगम शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिले।

पर्यटन

पर्यटन वह मानवीय गतिविधि है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय कारणों से व्यक्ति एक से दूसरे स्थान की यात्रा करता है तथा ज्ञान, मनोरंजन, स्वास्थ्य, धन, सुख तथा आनन्द की प्राप्ति करता है। पर्यटन को उसके आकार, उद्देश्य, स्थान तथा क्षेत्र की दृष्टि से कई स्वरूपों में विभक्त किया जाता है। धार्मिक पर्यटन, वन्य पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, मरुस्थल पर्यटन, नौ—पर्यटन, आदिवासी पर्यटन, प्राकृतिक (पारिस्थितिकीय) पर्यटन, पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वाणिज्य पर्यटन, तीर्थाटन पर्यटन, सभा—सम्मेलन पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, खरीदारी पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन इत्यादि स्वरूपों में पर्यटन हमारे सामने आता है।

ग्रामीण पर्यटन से तात्पर्य शहरी चकाचौंध से दूर प्राकृतिक परिवेश में रचे—बसे गांवों में घूमने तथा वहां की सभ्यता एवं संस्कृति से

रूबरू होना है। भारत को वैश्विक–स्तर पर गांवों का देश माना जाता है क्योंकि 6 लाख से अधिक गांव न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक पूंजी भी हैं। शहरों में स्थित मंदिरों, झीलों और राजा–महाराजाओं के महल–किलों के अलावा शेष सभी वे चीजें गांवों में ही विद्यमान हैं जो एक पर्यटक को आकर्षित करती हैं। ग्रामीण पर्यटन के मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं–

- पर्वत, घाटी, वन, नदी, तालाब, झील, बावड़ी एवं दरिया
- धार्मिक स्थल
- ग्रामीण खेलकूद तथा रोमांचकारी गतिविधियां
- प्राकृतिक सौन्दर्य
- कृषि, सिंचाई एवं बागवानी आकर्षण
- हस्तकला एवं लघु उद्योग
- लोकगीत एवं नृत्य
- पशुधन तथा वन्य जीव
- अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क
- चौपाल, पंचायत, नुक्कड़ तथा सभाएं
- ग्रामीण व्यंजन एवं भोज
- पहनावा, साज–शृंगार तथा निवास
- जानवरों पर बैठकर सवारी
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
- जादू

मेले एवं प्रदर्शनी

विश्व पर्यटन संघ के अनुसार भारत में 1450 ग्रामीण एवं स्थानीय स्थल ऐसे हैं जहां देश–विदेश के पर्यटक सर्वाधिक आना पसंद करते हैं। इनमें राजस्थान के जैसलमेर में सम के रेतीले टीबे, बस्तर के संथाल, मध्य प्रदेश के गोंड, असम के बोडो, नीलगिरी तथा चित्रकूट के झरने, मिजोरम का डम्पा अभ्यारण्य, राजस्थान का सीतामाता अभ्यारण्य, मणिपुर की लोकटाक झील, केरल की सांप नाव दौड़, पंजाब के दंगल, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, राजस्थान का पुष्कर एवं बीकानेर ऊंट मेला, हरियाणा की सूरजकुण्ड यात्रा, गुजरात में कच्छ का रन, सिक्किम में फूलों की खेती, लेह–लद्दाख का प्राकृतिक जीवन, मध्य प्रदेश में भीम बेटका की आदिमानव गुफाएं इत्यादि मुख्याकर्षण हैं।

भारत विविधताओं से भरा एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर जितने विदेशी पर्यटक अचम्भित होते हैं उतने ही देशी पर्यटक भी। एक राजस्थानी समुद्री तट तथा बर्फ को देखकर आश्चर्य करता है तो तमिलनाडु के व्यक्तियों के लिए सारा राजस्थान ही कौतूहल है। ग्रामीण हस्तकलाएं तथा संस्कृति से जुड़ी विधाएं केवल गांवों में देखी जा सकती हैं। आन्ध्र प्रदेश की कलमकारी एवं चेरियाल, बंगाल के जादू पट, केरल की मुरल, राजस्थान की पिछवाई तथा फड़, बिहार की मधुबनी, महाराष्ट्र की वरली, ओडिशा की पाटाचित्र इत्यादि को प्रत्यक्षतः देखकर जो आनन्द एवं ज्ञान मिलता है, वह दुर्लभ है।

ग्रामीण पर्यटन का योगदान

पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो वैश्विक–स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद(जी.डी.पी.) में 11 प्रतिशत योगदान देता है। भारत में यह अभी भी 6–7 प्रतिशत ही है जबकि पड़ोसी देशों यथा–चीन (8.6), श्रीलंका (8.8), इण्डोनेशिया (9.2), मलेशिया (12.9) तथा थाईलैण्ड (13.9) में यह हमसे बहुत अधिक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत में केवल 17 हजार विदेशी पर्यटक आए थे जो सन् 2014 तक लगभग 77 लाख पर्यटक प्रति वर्ष हो चुका था। वर्ष 2013–14 में विदेशी पर्यटकों से देश को 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की आय हुई थी लेकिन आज भी भारत की विश्व पर्यटन में हिस्सेदारी आधा प्रतिशत (0.5) से भी कम है। इसी तरह घरेलू पर्यटन की दर एवं मात्रा विगत दो दशकों में अत्यधिक तेजी से बढ़ी है।

भारत में विदेशी पर्यटक

वर्ष	संख्या	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	आय (रुपये में)	आय में वृद्धि प्रतिशत
2006	44,47,167	13.5	39,025	15.2
2007	50,81,504	14.3	44,360	24.3
2008	52,82,603	4.0	51,294	10.3
2009	51,67,699	–2.2	53,700	–5.9 (डॉलर की तुलना में कमी)
2010	55,75,692	11.8	64,899	27.5
2011	63,09,222	9.2	77,591	16.7
2012	65,77,745	4.3	94,487	7.1
2013	69,67,601	5.9	1,07,671	4.0
2014	77,03,386	10.6	1,20,083	6.6

भारत में पर्यटकों विशेषकर विदेशी पर्यटकों की संख्या में जब–तब कमी आती रही है। हाल–फिलहाल इसके प्रमुख कारणों में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियां तथा आतंकवादी घटनाएं रही हैं। विगत दशकों की प्रवृत्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि पर्यटक हमेशा शांत एवं सुरक्षित स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। इसीलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा केरल में भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।

ग्रामीण पर्यटन वह सशक्त तथा प्रभावी माध्यम है जो देश के सांस्कृतिक एवं आर्थिक ताने–बाने को प्रगाढ़ता से जोड़ता है। सदियों पूर्व आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ, कुंभ, महाकुंभ तथा सिंहस्थ की परम्परा, देश भर में फैली मां दुर्गा की शक्ति पीठें तथा अन्य कई धार्मिक स्थल और इनसे जुड़ी हमारी सामाजिक मान्यताएं अनिवार्य तीर्थाटन को सुनिश्चित करती हैं।

'सोने की चिड़िया' के उपनाम से विश्व प्रसिद्ध रहा भारत रेशम, स्वर्ण, नमक, नील, जूट, मसालों तथा आयुर्वेद के कारण संसार भर को आकर्षित करता रहा है। ज्ञान, आध्यात्म, शांति, योग और प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ग्रामीण परिवेश अनुकूल सिद्ध होता है।

यह ग्रामीण पर्यटन ही है जो सारे देश में विविधता के साथ एकता को अनुप्राणित करता है क्योंकि गांवों में आज भी अजनबी को मेहमान मानकर स्वागत एवं सहायता करना एक परम्परा और गर्व की बात है। गांवों में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने ढाबों की दाल फ्राई का स्वाद न तो किसी फाईव स्टार होटल में मिलता है और न ही घर की रसोई में। इसी तरह कुम्हार के चाक पर हाथ आजमाने या चंग पर थाप लगाने का सुख तो गांवों में ही नसीब होगा। राजस्थान के गांवों में आने वाले पर्यटक साफा बांधने की प्रतियोगिता से लेकर रेतीले टीबों में सिर पर पानी से भरा मटका लेकर दौड़ लगाने या मूंछों की लम्बाई में प्रतियोगिता कर अत्यधिक साथ नृत्य करने तथा खाट पर बैठकर प्याज–रोटी–चटनी खाने का शौक तो ग्रामीण पर्यटन ही पूरा कर सकता है।

बाधाएं तथा समाधान

इसमें कोई दो मत नहीं है कि पर्यटन उद्योग सर्वाधिक सुलभ एवं दीर्घवर्ती आय का स्रोत है तथा इससे मानवता एवं भाईचारा भी सुदृढ़ होता है। समाज एवं दुनिया को जानने–समझने का इससे बढ़कर दूसरा अन्य कोई सहज मार्ग नहीं है। समस्या यह है कि आज भी देश के लगभग 10 प्रतिशत गांव बारहमासी पक्की सड़कों, विद्युत एवं पेयजल सुविधाओं से वंचित हैं। लगभग 150 जिले नक्सलवादी घटनाओं से निरन्तर पीड़ित हैं। निर्धनता, निरक्षरता, शोषण, बंधुआ मजदूरी, नशाखोरी तथा अपराधों का बोलबाला है तो दूसरी ओर पर्यटकों के साथ बदसलूकी एवं लूट की घटनाएं भी आम बात हैं। राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2002 में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की सुस्पष्ट रणनीति वर्णित है किन्तु सरकारी विभागों में समन्वय का सर्वथा अभाव किसी भी सरकारी नीति की सफल क्रियान्विति में सर्वोच्च बाधा सिद्ध होता है। छोटी–छोटी बातों को लेकर राजनीतिक पार्टियां एवं दबाव समूह रास्ता रोक देते हैं, सार्वजनिक सम्पत्ति को स्वाह कर देते हैं, दूसरे राज्यों के श्रमिकों को बाहर जाने की धमकी देते हैं या उनसे हिंसक व्यवहार करते हैं तो यह सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए प्रश्नचिन्ह है। दुःखद पक्ष यह है कि देश के पर्यटक स्थलों पर स्वच्छ शौचालय भी नहीं हैं।

यद्यपि भारत सरकार ने 'अतिथि देवो भवः' तथा 'अतुल्य भारत' जैसे कार्यक्रमों से पर्यटन उद्योग में नव प्राण फूंकने के प्रयास किए हैं तथा 'हुनर से रोजगार' के माध्यम से ढाबे वाले रसोइयों को प्रशिक्षित किया है किन्तु पर्यटन पुलिस, गाईड, दुकानदारों तथा स्थानीय नागरिकों को संवेदनशील एवं राष्ट्रप्रेमी बनाया जाना तत्काल आवश्यक हो गया है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में पंचायतों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में ऐलीफेंटा की गुफाओं तथा केरल में बैक वाटर टूरिज्म स्थलों पर कई पंचायतें टैक्स लगाकर वहां की पर्यटक सुविधाएं बढ़ा रही हैं। समय की मांग तो यह है कि पर्यटक स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हों तथा गाईड की दरों से लेकर वहां बिकने वाली हर वस्तु का रेट निश्चित कर बोर्ड लगा दिया जाए। पर्यटक तक सूचना, सुरक्षा, फोन नम्बर तथा सभी प्रकार की पहुंच सुनिश्चित हों। यह भारत के गांव तथा उनका परिवेश ही है जो हमारी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में वर्णित इस वाक्य को चरितार्थ कर सकता है –

''भारत, मस्तिष्क एवं आत्मा की एक यात्रा है; भारत, पांच ज्ञानेन्द्रियों की एक यात्रा है; भारत, स्वयं को खोजने की एक यात्रा है; भारत, आत्मसंतुष्टि की एक यात्रा है।''

(लेखक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के लोक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर हैं।)
ई–मेल : skkataria64@rediffmail.com

बेहतर परिवहन, बेहतर सुविधाएं

—अमित त्यागी

स्थल परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था में उस हृदय की तरह है जिसके द्वारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। रेल और सड़क परिवहन इसके लिए धमनी और शिराओं का काम कर रहे हैं। हृदय से दूर अंगों पर शरीर का नियंत्रण धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है। सुदूर किसी अंग तक खून का दौरा रुकने की स्थिति मे शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों मे रेल एवं सड़क परिवहन में सरकार के प्रयास अर्थव्यवस्था एवं विकास की तेजी की दिशा में किए गए ऐसे ही प्रयास हैं।

अपने जीवनकाल में मानव दैनिक उपयोग की बहुत–सी वस्तुओं का उपयोग करता है। कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती हैं। कुछ जीवन को समृद्ध एवं वैभवशाली बनाने के लिए होती हैं। ये सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर उत्पादित या निर्मित होती हों, ऐसा नहीं है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली शायद बहुत कम ही वस्तुएं ऐसी होती हैं, जिनका उपयोग वहीं होता है जहां उसका उत्पादन या निर्माण होता है। जैसे खाड़ी देशों के पास तेल की प्रचुरता है पर उनके पास अन्न नहीं है। भारत के पास अन्न है किन्तु तेल नहीं है। अमेरिका के पास तकनीक है किन्तु वहां श्रम महंगा है। बांग्लादेश, केन्या जैसे देशों के पास श्रम उपलब्ध है किन्तु तकनीक में वो पिछड़े हैं। इस तरह सभी देश आपस मे किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। सिर्फ देशों के मध्य ही ऐसा नहीं है। भारत जैसे बड़े देश मे प्रदेशों के मध्य भी ऐसा ही व्यापारिक रिश्ता है। एक तरफ पंजाब और मध्य प्रदेश में गेहूं की अधिकता है तो बंगाल में चावल प्रचुरता में होता है। बनारस साड़ियों के लिए मशहूर है तो अहमदाबाद सूती कपड़ों के लिए। वस्तुओं का ये आदान–प्रदान एक बड़ा व्यापार है और परिवहन इस व्यापार का जरिया है। परिवहन की सुगमता किसी भी निश्चित भूभाग के विकास का सबसे अहम कारक है। परिवहन के साधन में तीन बड़े अहम किरदार हैं। जल परिवहन, वायु परिवहन एवं स्थल परिवहन। भारत की ज्यादातर आबादी गांवों में निवास करती है इसलिए भारत की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यहां स्थल परिवहन ज्यादा प्रासंगिक है। गांव का शहरों से जुड़ाव का माध्यम सड़क है एवं दो शहरों के आपस में संपर्क का माध्यम रेल है।

इस प्रकार स्थल परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था में हृदय की तरह है जिसके द्वारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। रेल और सड़क परिवहन इसके लिए धमनी और शिराओं का काम कर रहे हैं। हृदय से दूर अंगों पर भी शरीर का नियंत्रण धमनी और शिराओं के द्वारा रहता है। यदि किसी अंग तक खून का दौरा रुक जाता है तो शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। देशरूपी शरीर को चुस्त रखने एवं संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए सुदूर क्षेत्रों तक परिवहन का दुरुस्त होना बेहद आवश्यक शर्त है। भारत, जोकि राज्यों का एक संघ है, के भीतर बहुत से प्रदेश हैं। ये प्रदेश अपनी विशिष्ट शैली, उत्पादन एवं प्राकृतिक संसाधनों में इतनी विविधता रखते हैं कि ये यूरोप के बहुत से देशों से ज्यादा क्षेत्रफल घेरे हैं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ज्यादा संभावनाशील हैं। भारत में इतनी विविधताएं मौजूद हैं कि इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पूर्वोत्तर के प्रदेश जो "सेवन सिस्टर्स" के नाम से विख्यात हैं, देखने मे जितने मनोरम हैं उतने ही प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण भी हैं। दोनों पक्षों के दोहन के लिये देश के इस महत्वपूर्ण भू–भाग का मजबूत रेल नेटवर्क के द्वारा देश के साथ शिद्दत से जुड़ना बेहद आवश्यक है।

पूर्वोत्तर से संपर्क सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार ने दिसम्बर 2014 में इस ओर विशेष ध्यान दिया जब प्रधानमंत्री द्वारा नई रेललाइन बिछाने के लिए 28 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराने की घोषणा हुई। इससे पहले इस क्षेत्र मे रेल परिवहन बेहद कमजोर था। मेघालय में रेललाईन का तब नामोनिशान ही नहीं था। और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में केवल एक–एक किमी. और मिजोरम में मात्र दो किमी. की रेललाईन थी। नागालैंड और त्रिपुरा में थोड़ी ज्यादा क्रमशः 13 और 45 किमी. रेलमार्ग की लंबाई थी। यह क्षेत्र पर्यटन की अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दूरसंचार तकनीक का स्थापित होना बेहद जरूरी है। इस क्षेत्र में टू–जी मोबाइल सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो ये दोनों योजनाएं उस भूभाग के ग्रामीण विकास में अहम योगदान की सकारात्मक शुरुआत है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के विकास के लिये 2014–15 के केन्द्रीय बजट मे 53,706 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है। मेघालय और सिक्किम में आज भी रेललाइन का अभाव है। इसके लिए कुछ समय पूर्व सिक्किम के रांगपो और पश्चिम बंगाल के सिवोक को जोड़ने वाली ब्रॉडगेज लाइन की शुरुआत की जा चुकी है। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया और पूर्वोत्तर की योजनाओं के लिए एक अलग से 'नॉन–लैपसेबल फंड' बनाया गया। इसके द्वारा पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को आपस में जोड़ने का प्रावधान है। मणिपुर में एक डीजल लोकोमोटिव सेंटर स्थापित होने का सुझाव वहां के लोगों को मुख्यधारा मे लाने का प्रभावी कदम साबित होने वाला है।

वर्ष 2002 के आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर के 2578 किमी. (1194 किमी. ब्रॉडगेज़ 1384 किमी. मीटर गेज) की तुलना में पूरे भारत में रेल नेटवर्क लगभग 65,000 किमी. था।

मूलभूत जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों मे निवेश के एक मायने होते हैं। आज भारत के पास विकासशील दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर है। विकासशील देशों के लोगों में गरीबी तो है किन्तु ये भी सत्य है कि इन क्षेत्रों मे प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता के साथ हैं। विकसित देशों ने द्वितीय विश्वयुद्ध मे अपना काफी धन गवां दिया था और तब से उनकी नजर विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनो पर टिकी हुई है। प्राकृतिक संसाधनों पर वर्चस्व बनाने के लिये विकसित देशों ने हर उस क्षेत्र को अस्थिर करने की

कोशिश की जहां हस्तक्षेप करके वह अपनी पैठ बना सकते हैं। खाड़ी देशों में जहां उन्होंने तेल के खेल के लिए अस्थिरता पैदा की वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों मे राहत कैंप एवं मिशनरियों के माध्यम से पकड़ बनाने की कोशिश की गई। भूमंडल के जिस भूभाग पर पिछड़ापन, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव एवं परिवहन के साधन कमजोर पड़े हैं वहां इनकी आड़ लेकर राष्ट्र विरोधी नकारात्मक शक्तियां हावी हो गयी हैं। इस बात को अगर पूर्वोत्तर के संदर्भ में देखे तो परिवहन, संचार एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाने वाला हर निवेश राष्ट्र निर्माण का सकारात्मक प्रयास लगने लगता है।

सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए किए गए गंभीर प्रयास की प्रमाणिकता का अंदाजा तब लगा जब 23 फरवरी, 2015 को संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्वोत्तर के राज्यों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया। संसद में राष्ट्रपति महोदय ने बताया कि "देश के उत्तर–पूर्वी राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 'राष्ट्रीय राजमार्ग अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड' की स्थापना की गई है। राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की दशा में सुधार करने के लिए नए मानक स्थापित किए गए हैं। सरकार के द्वारा उत्तर–पूर्वी राज्यों में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन में वृद्धि करने एवं उसे कायम रखने के लिए एक नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए यात्रा का प्राधिकार देने के साथ 'आगमन पर पर्यटक वीजा' को 44 देशों के लिए लागू कर दिया गया है। पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसमें कृष्ण सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं उत्तर–पूर्वी सर्किट शामिल हैं। सरकार दूरवर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों के अत्यधिक निर्धन लोगों ने अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस संसद में अटूट विश्वास दिखाया है इसलिए संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें और देश प्रेम की शक्ति से एकजुट होकर एक सशक्त और आधुनिक भारत के निर्माण हेतु कार्य करें"।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय का यह अभिभाषण पूर्वोत्तर के माध्यम से देश की आवाज बना है। सुदूर ग्रामीण अंचल की समस्याओं को समझने का एक प्रयास है जिसको जाने–अनजाने आजादी के बाद से समझने में हम चूक करते रहे हैं। इसका खामियाजा यह हुआ कि इस वजह से न तो पूर्वोत्तर के लोग शेष भारत के भूभाग से स्वयं को जोड़ पाए न ही शेष भाग के लोग पूर्वोत्तर की रमणीयता को आत्मसात कर सके। पूर्वोत्तर में संचार और परिवहन बेहतर होने की स्थिति में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। लोगों का आना–जाना बढ़ेगा। मेलमिलाप बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा। स्थानीय लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी और इस तरह विकास का पहिया घूम जाएगा।

पूर्वोत्तर का एक तुलनात्मक अध्ययन

राज्य	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	सम्पूर्ण भारत से तुलनात्मक प्रतिशत		प्रति वर्ग किमी. व्यक्ति
			जनसंख्या	क्षेत्रफल	
अरुणाचल प्रदेश	13,82,611	83,743	0.11%	2.54%	16.51
असम	3,11,69,272	78,438	2.57%	2.38%	397.37
मणिपुर	27,21,756	22,327	0.22%	0.67%	122.17
मेघालय	29,64,007	22,429	0.24%	0.68%	132.15
मिजोरम	10,91,014	21,081	0.09%	0.64%	51.75
नागालैंड	19,80,602	16,579	0.16%	0.50%	119.46
सिक्किम	6,07,688	7,096	0.05%	0.21%	85.63
त्रिपुरा	36,17,032	10,486	0.29%	0.31%	344.93
कुल योग	**4,55,33,982**	**2,62,179**	**3.07%**	**7.97%**	**173.67**
सम्पूर्ण भारत	121,00,00,000	32,87,263			374.17

स्रोत : गृह मंत्रालय की वेबसाइट

देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए 'बेजबरुआ समिति' का गठन किया गया। समिति ने अध्ययन करके बताया कि पूर्वोत्तर के लोगों की मांग थी कि उनके चेहरे–मोहरे को लेकर कसी जाने वाली फब्तियां दंडनीय अपराध मानी जाएं। सरकार द्वारा ये सिफारिशें मान ली गई। समिति ने आईपीसी की धारा 153 में संशोधन कर इसमें 153(सी) और धारा 509 में 509 (ए) जोड़ने की सिफारिश की है। इस संशोधन के बाद नस्ल, संस्कृति, पहचान या शारीरिक बनावट पर की टिप्पणियों या फब्तियों को अपराध माना जाएगा जिसमें पांच साल तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। ये एक अच्छा और सकारात्मक संदेश है। जैसे–जैसे पूर्वोत्तर में संचार एवं परिवहन का विस्तार होगा वहां के लोगों का शेष भारत से संवाद बढ़ेगा। ऐसे में अब

शरारती तत्व माहौल खराब नहीं कर पाएंगे। ये प्रयास सुदूर ग्रामीण अंचल हेतु एक सकारात्मक भूमिका का निर्माण कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों को संतुलित रखने के लिये सख्त कानून की आवश्यकता होती है। गलती कुछ गिने–चुने लोग करते हैं और उसका असर स्थानीय लोगों की सोच को प्रभावित कर जाता है। परिवहन और संचार बढ़ने की स्थिति मे ये पक्ष एक बेहद महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभरेगा।

अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। यदि आंकड़ों में देखें तो विकसित देशों ने अपनी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी नहीं की है। जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को दरकिनार रखते हुये रक्षा बजट सर्वोपरि हैं वहां अस्थिरता का माहौल है। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। कुछ दशक पूर्व तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो छोड़ दीजिए शहरों में भी ढंग के सरकारी अस्पताल मिलना दुभर होता था। धीरे–धीरे समय ने करवट ली और सरकार के प्रयासों से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अस्पताल की सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। चेचक, प्लेग जैसी महामारी जो पहले इतनी गंभीर मानी जाती थी कि गांव के गांव तक साफ हो जाते थे, अब लगभग नगण्य–सी हो गयी हैं। इसी तरह पोलियो के द्वारा होने वाली विकलांगता को डबल्यूएचओ के सहयोग से नियंत्रित कर लिया गया है। तहसील, ब्लॉक–स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचना आजाद भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। किन्तु ये बात भी विचारणीय है कि सिर्फ सरकारी नीतियों से ही राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो जाएगा। नीतियों का अनुपालन करने वाले व्यक्तियों को भी बेहतर करना आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं में जहां कमी दिखाई देती है वो वास्तव में नीतियों में कमी नहीं है, अनुपालन की कमी ज्यादा है। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज भी एक चिंतनीय विषय है। जैसे–जैसे सरकारी अस्पतालों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होती जाएगी। स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम विषय है निजी अस्पतालों में बीमार व्यक्ति के पैसे से उसका ही क्लिनिकल ट्रायल। सरकार की तरफ से क्लीनिकल ट्रायल पर गंभीरता से कदम उठाए गए हैं और न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में अब सभी दवाओं के परीक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की देखरेख में होते हैं।

एक बीमार राष्ट्र कभी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकता। स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही शिक्षा के साथ भी है। अशिक्षा अपराध को बढ़ावा देती है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर भारतीय को जीवन का अधिकार प्रदान करता है तो संविधान का अनुच्छेद 32 हमारे मूल अधिकारों को हमारा मूल अधिकार बनाता है ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाओं में सुधार सुदूर ग्रामीण अंचल की खुशबू को और सौंधी बना देता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर परिवहन एक आवश्यक शर्त है। ये बात सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी लागू होती है और भारत की आत्मा के निवास स्थान प्रत्येक गांव पर भी। विश्व बैंक के आंकड़ों पर आधारित क्रयशक्ति समानता के आधार पर दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन (180 खरब डॉलर), अमेरिका (174 खरब डॉलर) एवं भारत (74 खरब डॉलर) हैं। अमेरिका 2.5%, चीन 5% और भारत की औसत वार्षिक विकास दर 8% रहने का अनुमान है। ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि भविष्य में भारत के पास निवेश की कमी नहीं होने जा रही है। धन की सुलभता होने की स्थिति में पूर्वोत्तर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं धन के अभाव में विलंबित नहीं होगी, ये तो तय लग रहा है।

(लेखक प्रबंधन और विधि में परास्नात्तक हैं। उनके विधिक एवं संवैधानिक विषयों पर आलेख प्रमुख राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं; और "स्वस्थ भारत अभियान" के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हैं।)
ई–मेल : amittyagi219@rediffmail.com

सफलता की कहानी

सौर ऊर्जा ने गांववासियों की जिंदगी की आसान

— भारत डोगरा

बुंदेलखंड सेवा संस्थान के प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मड़ावरा प्रखंड में रहने वाले लोगों के जीवन की मुश्किलें अब थोड़ी कम हो गई हैं। संस्थान ने इनके घरों में उजाला करने के लिए न केवल सोलर लालटेन की व्यवस्था की बल्कि मोबाइल चार्जिंग के लिए सोलर चार्जिंग स्टेशन भी लगवाया।

जहां आम धारणा यह है कि निर्धन वर्ग को सरकार कई प्रकार की सहायता देती है, वहां इस बारे में बहुत कम चर्चा है कि प्रायः धनी वर्ग को बहुत कम कीमत पर या निःशुल्क मिलने वाली सुविधाएं भी निर्धन वर्ग को महंगी उपलब्ध होती हैं। ललितपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के मड़ावरा प्रखंड में रहने वाले आदिवासी, दलित व अन्य निर्धन परिवारों का तो यही अनुभव रहा है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को मोबाइल फोन पर बात करते देखा, तो किसी तरह बचत कर वे भी मोबाईल फोन खरीद लाए। उन्हें इस बात की विशेष खुशी थी कि बहुत दूर जंगल में बसे गांव में भी वे अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लिया करेंगे। जब कोई प्रवासी मजदूरी के लिए जाएगा उसका कुशल–क्षेम पूछ लिया करेंगे। मोबाइल इस दृष्टि से उन्हें उपयोगी लगा। वह कभी–कभी पेड़ पर चढ़कर भी बात करने लगे क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पर सिग्नल आसानी से उन्हें मिल जाता है।

पर उनके सामने एक बड़ी कठिनाई भी उत्पन्न हुई। इन गांवों में बिजली नहीं है। निकट भविष्य में सामान्य ग्रिड की बिजली पहुंचने की उम्मीद भी नहीं है। इस कारण वे अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें लगभग 7 से 10 किमी. दूर जाना पड़ता था। दो राज्यों की सीमा पर स्थित इन यूपी के गांवों के निवासियों को प्रायः फोन चार्ज करने के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ता था। वहां के दुकानदारों को एक बार फोन चार्ज करने के लिए 5 से 7 रुपये देने पड़ते थे। इससे कहीं अधिक क्षति उनकी मजदूरी की होती थी क्योंकि आने–जाने में आधा दिन लग जाता था। इस तरह मजदूरी का बहुत हर्जा होता

था। फोन को चार्ज करना जहां शहरों में बहुत सामान्य बात है वहां इन दूरदराज के गांव के गरीब लोगों को इतना महंगा पड़ रहा था।

इन लोगों की इस समस्या का समाधान खोजा बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने। यह संस्था कई स्तरों पर इन परिवारों के अधिकारों के लिए व सरकार के विभिन्न कार्यक्रम उन तक पहुंचाने के लिए वर्षों से प्रयासरत रही है। अतः फोन को चार्ज करने की समस्या के साथ इन घरों का अंधेरा दूर करने के लिए भी इस संस्था ने सोचना आरंभ किया। शाम ढलने के साथ इन गांवों में जो अंधेरा छा जाता था वह केवल चूल्हे की लकड़ी या मिट्टी के तेल की छोटी ढिबरी से ही थोड़ा–बहुत दूर हो पाता था। न बच्चे पढ़ पाते थे न रात को कोई अन्य काम हो पाता था। बिच्छू के काटने का डर अलग बना रहता था। मिट्टी के तेल की जलती ढिबरी पलट जाने से एक बार आग लग गई तो एक महिला की बहुत दर्दनाक मौत हुई।

अतः इन सभी कठिनाईयों को दूर करने के लिए बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने दिल्ली स्थित संस्थान 'द एनर्जी रिर्सोसिस इंस्टीट्यूट' (टेरी) को संपर्क किया। 'टेरी' सोलर पैनल व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने को तैयार तो हो गई, पर उसने प्रति गांव 40,000 रुपये का खर्च करने को कहा। इस हिसाब से दस गांव का खर्चा चार लाख रुपये बैठा जो इन निर्धन परिवारों की पहुंच से बहुत दूर था। पर सेवा संस्थान ने प्रयास जारी रखे व स्थानीय व्यापारियों जिसमें एक स्थानीय व्यापारी का खास योगदान रहा, रमेश खटीक से चंदा एकत्र कर यह धनराशि चुका दी गई।

अब यहां सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया जिससे गांववासी स्थानीय स्तर पर ही आसानी से अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। उनके लिए सोलर लालटेन की भी व्यवस्था हो गई है जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं। इस चार्जिंग स्टेशन व सोलर पैनल के रखरखाव के लिए एक बार चार्जिंग करने पर 2 रुपये की सहयोग राशि ली जाती है ताकि देखरेख व अन्य जरूरी कार्य संभालने वाले व्यक्ति को कुछ मानदेय दिया जा सके।

मामूली से शुल्क को गांववासी प्रायः सहर्ष दे देते हैं क्योंकि यह पहले के खर्च से कहीं कम है व इसके लिए उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ता है। अब सुविधा पास ही उपलब्ध है व एक दिन की मजदूरी खो देने का डर उन्हें नहीं है। साथ ही सोलर लालटेन की रोशनी से बच्चों की पढ़ाई व अन्य जरूरी कार्य हो जाते हैं, यह एक अलग लाभ भी उन्हें उपलब्ध है। इस सफलता से प्रभावित होकर अब इन गांवों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अधिक लाभ पहुंचाने की योजना बन रही है। ग्राम ऊर्जा समिति का गठन किया गया है जिसमें गांववासी अपनी ओर से भी थोड़ा–बहुत चंदा देते हैं। ऐसे कुछ गांवों में नई बैटरी की जरूरत है पर इसके लिए खर्च की व्यवस्था करने में कुछ कठिनाई आ रही है।

पर कुल मिलाकर यह अनुभव उपयोगी रहा है। बुंदेलखंड सेवा संस्थान के समन्वयक वासुदेव बताते हैं कि इस प्रयास में गांववासियों के लिए बहुत आसान हो गया है कि वे अपनी किसी कठिनाई के बारे में पंचायत या ब्लॉक कार्यालय को या किसी संस्था को सूचित कर सकें। इसके अतिरिक्त रोजी–रोटी के लिए या अन्य कार्यों के लिए परिवार के जो सदस्य बाहर जाते हैं, उनसे आसानी से संपर्क बने रहने का आश्वासन भी उन्हें मिल गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और विविध विषयों पर इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।)

हमारे आगामी अंक

मार्च, 2016 – कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र

अप्रैल, 2016 – ग्रामीण विकास बजट 2016–17

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	–	530	1000	1400

*पत्रिकाओं का संशोधित मूल्य अप्रैल 2016 से प्रभावी होगा

#रोजगार समाचार की नई दरें 6 फरवरी 2016 के अंक से लागू होंगी

विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पुस्तक मेला–2016 में हिस्सा लिया, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 17 जनवरी तक आयोजित किया गया। इस वर्ष के मेले का विषय *भारत की सांस्कृतिक धरोहर* था, इसलिए कला एवं संस्कृति तथा भारत की धरोहर पर प्रकाशन विभाग के समृद्ध संग्रह को प्रदर्शन के लिए उचित मंच मिल गया।

प्रकाशन विभाग भारतीय कला, संस्कृति एवं धरोहर पर पुस्तकें प्रकाशित करने में अग्रणी रहा है, जो संग्रह योग्य हैं, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय की *इंडियाज क्राफ्ट ट्रेडिशन,* जियाउद्दीन ए देसाई की *इंडो–इस्लामिक आर्किटेक्चर,* जीवन पाणि की *लिविंग डॉल्स–स्टोरी ऑफ इंडियन पपेट्स,* विद्या दहजिया की *लुकिंग अगेन एट इंडियन आर्ट,* श्री शिवराममूर्ति की *नटराज,* सुदर्शन कुमार कपूर की *बिहारी सतसई–अ कमेंटरी,* वी.एस. परमार की *वुड कार्विंग्स ऑफ गुजरात,* डॉ. कपिला वात्स्यायन की *इंडियन क्लासिकल डांस,* पंडित विजय शंकर मिश्र की आर्ट एंड साइंस *ऑफ प्लेइंग तबला* तथा बी. चैतन्य देव की *एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन म्यूजिक* शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग बच्चों के लिए सांस्कृतिक धरोहर, लोककला एवं लोककथाओं से संबंधित पुस्तकें हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करता रहा है। उनमें से कुछ हैं, अजंता के वैभव, भारतीय कला–उद्भव और विकास, भारतीय कला के हस्ताक्षर, गढ़वाल चित्रकला, सुरों के साधक, अंग्रेजी में फॉक टेल्स ऑफ गुजरात, फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, छत्तीसगढ़ की लोककथाएं, उत्तर भारत की लोककथाएं, मिजोरम की लोककथाएं और मिथिलांचल की लोककथाएं।

विभिन्न विषय जैसे इतिहास, जीव एवं वनस्पति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां, संदर्भ पुस्तकें जैसे 'भारतः वार्षिक संदर्भ ग्रंथ' को भी विभाग के प्रकाशनों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे गांधीवादी साहित्य पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने का श्रेय भी प्राप्त है, जिनमें 100 खंडों में *कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाङ्मय)* शामिल हैं, जिसे गांधी जी के लेखों का सबसे व्यापक एवं विश्वसनीय संग्रह माना जाता है। विभाग भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषण भी प्रकाशित करता है। हाल ही में विभाग ने राष्ट्रपति भवन और उसकी कार्यपद्धति के विभिन्न पहलुओं पर उत्कृष्ट पुस्तकों की एक शृंखला प्रकाशित की है।

मेले में उद्घाटन दिवस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री जितेंद्र शंकर माथुर ने 16 नई पुस्तकों का विमोचन किया। इनके नाम हैं: सागा ऑफ वेलॉर, जिसमें रेवा धनेधर ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं और 18 अशोक चक्र विजेताओं के वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह किया है, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला पर हरिपाल त्यागी की हिंदी पुस्तक *भारतीय कलाः उद्भव और विकास,* गांधीवादी विचारक, इतिहासकार एवं राजनीतिक दर्शनशास्त्री धर्मपाल (1922–2006) के समूचे अनुसंधान कार्यों का संकलन *इसेंशियल राइटिंग्स ऑफ धर्मपाल,* दिविक रमेश की *हिंदी बाल साहित्यः कुछ पड़ाव,* जिसमें बाल साहित्य से जुड़ी चिंताओं, परम्पराओं, रचना एवं चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई है, डॉ. खगेन्द्र ठाकुर की 'लक्ष्मी नारायण मिश्र', जिसमें मिश्र जी को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक बताया गया है, डॉ. मधु पंत की हिंदी पुस्तक *ऐसे जंगल स्वच्छ हुआ,* जिसका उद्देश्य नन्हें पाठकों में स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना है। डेनियल डीफो की प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक रॉबिंसन क्रूसो का हिंदी अनुवाद, बच्चों के लिए रश्मि स्वरूप जौहरी का प्रेरक कथाओं का संकलन *शरारत* और प्रो. अली अहमद फातमी की उर्दू पुस्तक *अली सरदार जाफरी। गजेटियर ऑफ इंडिया (वॉल्यूम–2), सुभाष चंद्र बोस, जमशेदजी टाटा, लोकमान्य तिलक, कबीर, विज्ञान बारहमासा* और *गालिब के पत्र* जैसी भारी मांग वाली पुस्तकों का भी इस अवसर पर विमोचन किया गया।

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2015–17
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54/2015–17
1 फरवरी 2016 को प्रकाशित एवं 5–6 फरवरी 2016 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020, संपादक : ललिता खुराना